

# HARYANA ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (HERC) IN THE NEWS

Period: 01.01.2023 TO 31.03.2023

# समाचारों में हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी)

अवधि: 01.01.2023 से 31.03.2023

उप निदेशक (मीडिया) दवारा संकलित

**Compiled by** 

Deputy Director (Media)

# एच.पी.जी.सी.एल. के सभी प्लांट्स में लगेंगे <mark>इलैक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग</mark> स्टेशन

चंडीगढ़, 1 जनवरी (गौड़): हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.जी.सी.एल.) ने अपने सभी प्लांट्स में इलैक्ट्रिक

व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने का फैसला लिया है।

इस बारे में एच.पी.जी.सी.एल. ने हरियाणा

इलै क्ट्रिसटी रैगुलेट्री कमीशन (एच.ई.आर.सी.) से चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए अप्रूवल मांगी है। जानकारी के अनुसार एच.पी.जी. सी.एल. छह लोकेशन में चार्जिंग स्टेशन की सुविधा देगा। इसके साथ ही एच.पी.जी.सी.एल. के हैडक्वार्टर में भी चार्जिंग स्टेशन लगेगा। एक चार्जिंग स्टेशन लगाने में लगभग 80 लाख रुपए खर्चा आएगा। इस तरह लगभग 3.2 करोड़ रुपए से सभी प्लांट्स में चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। इससे पहले 2019 में कमीशन ने मल्टी ईयर

> टैरिफरैगुलेशन में राज्य में इलैक्ट्रिक व्ही कल को प्रोमोट करने के लिए सभी सब स्टेशन के

नजदीक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन तैयार करने की सिफारिश की थी।

राज्य सरकार ने भी इलैक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में चार्जिंग स्टेशन की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया है। खासकर सरकारी कार्यालयों में चार्जिंग स्टेशन की सुविधा देने के लिए तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं।

# दैनिक भास्कर ,शुक्रवार ०६ जनवरी, २०२३

हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने प्री-पेड बिजली मीटर के लिए बनाए नियम

# प्री-पेड मीटर की रिचार्ज राशि कम होते ही मैसेज आएगा, 6 माह रिचार्जन कराया तो कनेक्शन कटेगा

मनोज कुमार | राजधानी हरियाणा

हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने प्री-पेड बिजली मीटर को लेकर नियम बना दिए हैं। बिजली निगम को इन नियमों के अनुसार ही काम करना होगा। आमजन पर ये नियम लागू होगे। अभी तक बिजली निगम ने कुछ ही प्री-पेड लगाए हैं, इसलिए अब तक कोई नियम नहीं थे। ये मीटर लगने के बाद उपभोक्ता को मीटर रिचार्ज करना होगा। उपभोक्ता को बैलेंस में निगम द्वारा तय राशि भी रखनी होगी। रिचार्ज नहीं करने पर भी उपभोक्ता को मासिक शुल्क चुकाना होगा। 6 माह तक रिचार्ज नहीं करवाने पर कनेक्शन स्थायी रूप से काट दिया जाएगा। वहीं, रिचार्ज की राशि खत्म होते ही बिजली आपूर्ति बंद हो जाएगी। सभी शुल्क जमा कराने व रिचार्ज हो जाने पर आपूर्ति बहाल हो जाएगी। ओवरलोड व अन्य कारणों से मीटर खराब होने पर उपभोक्ता से मीटर का पैसा लिया जाएगा। उपभोक्ता खुद निर्धारित वेंडर से नया मीटर खरीद सकता है।

### एप से मिलेगी खपत की जानकारी

- सिर्फ सुबह 10:00 से दोपहर 1:00 बजे के बीच ही कनेक्शन काटा जाएगा।
- कनेक्शन काटने के बाद निगम एसएमएस के जिए इसकी सूचना देगा।
- समय पर रिचार्ज नहीं कराने पर उपभोक्ता पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
- हर महीने उपभोक्ता को बिजली खपत का जानकारी एप या एसएमएस के जरिए भेजी जाएगी।

## 315 समाज सोमवार, 09 जनवरी, 2023

# एचईआरसी बिजली उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण में कर रही कार्य

- बिजली दरों को न्याय संगत बनाने के अलावा और जनहित कार्य
- 16 अगस्त 1998 को हरियाणा बिजली विनियामक आयोग का हुआ गढन

#### रमेश गोयत

हरियाणा पचकुला। बिजली विनियामक आयोग बिजली उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण व बिजली दरों को न्याय संगत बनाने के अलावा और भी बहुत कार्य करती है। बिजली उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण, बिजली दरों को न्यायसंगत, परामर्शी और पारदर्शी नीति निर्माण. कुशल और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य के लिए 1998 में हरियाणा पावर रिफोर्म एक्ट लागु हुआ, इसके

TOTH REGULA बिंग जलाी, विनियामक आर्गारा (एचईआरसी) 🕏 का गठन किया वीएस एलावादी (सेवानिवृत्त आई एएस),

इसके पहले अध्यक्ष बने, जिन्होंने 17 अगस्त, 1998 को शपथ ली। वर्तमान में आर के पचनन्दा आयोग के अध्यक्ष हैं और नरेश सरदाना आयोग के सदस्य हैं। हरियाणा पावर रिफोर्म एक्ट के तहत ही 1998 में बिजली क्षेत्र का पुनर्गठन किया गया था, इसके तहत पहले 14 अगस्त 1998 को हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के स्थान पर दो कंपनियां बनी। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम (एचवीपीएन) और हरियाणा बिजली उत्पादन निगम (एचपीजीसीएल)।

हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम से दो कंपनियां अलग बनाई गई, जो केवल

बिजली वितरण का कार्य करेंगी। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन), यानी यूएचबीवीएन के अंतर्गत अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर, कुरूक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक और झज्जर

सहित दस बिजली सर्कल हैं. इन दस सर्कलों में 32 डिविजन हैं और 128 सब डिविजिन हैं, इसी प्रकार डीएचबीवीएन के अंतर्गत हिसार, फतेहाबाद, जींद, नारनौल, रेवाडी, भिवानी, गुरुग्राम-1, गुरूग्राम-2, फरीदाबाद, पलवल और सिरसा सहित 11 सर्कल, 30 डिविजन और 129 सब डिविजन हैं। बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिलिंग, मीटरिंग, वोल्टेज, कनेक्शन, बिजली आपूर्ति से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का बिजली उपभोक्ता शिकायत निवारण उसके बाद 1 जुलाई 1999 को मंच (सीजीआरएफ) कुरूक्षेत्र में और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

का सीजीआरएफ गुरुग्राम में स्थित है.

वैसे दोनों सीजीआरएफ के चेयरमैन और सदस्य संबंधित सर्कल में समय-समय पर जाकर बिजली उपभोक्ताओं की शिकायत सुनते हैं, हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के सख्त निर्देश हैं कि बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का तुरंत निपटारा किया जाए, इसके अलावा यदि बिजली उपभोक्ता सीजीआरएफ के निर्णय से संतृष्ट नहीं होते तो वे पंचकूला स्थित हरियाणा विद्युत लोकपाल के कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के कार्य विद्युत अधिनियम, 2003 का सेक्शन 86 राज्य विद्युत विनियामक आयोग के कार्यों को बताता है. एचईआरसी द्वारा निम्नलिखित कार्यो का निर्वहन किया जाएगा। राज्य के अंदर बिजली, थोक, थोक या खुदरा, जैसा भी मामला हो, के उत्पादन, आपूर्ति, पारेषण और व्हीलिंग के लिए टैरिफ निर्धारित करना। जब राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा ओपन एक्सेस की अनुमति दी जाती है तो आयोग केवल व्हीलिंग चार्ज और सरचार्ज ही निर्धारित करेगा।

# हरियाणा में 6 लाख स्मार्ट मीटर लगे, कंपनी ने दिसम्बर तक 4 लाख और लगाने का किया दावा

(विजय गौड): हरियाणा में बिजली के स्मार्ट मीटर प्रोजैक्ट की

चंडीगढ़, 8 जनवरी 📕 पिछले साल 11 महीनों में तय किए गए लक्ष्य का 58 प्रतिशत मीटर ही लगा पाई कंपनी

रफ्तार में कोई इजाफा नहीं हुआ है। जो लक्ष्य कंपनी की ओर से तय किए गए थे, उन्हें भी पूरा नहीं किया जा सका। प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का कांट्रैक्ट एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (ई.ई.एस.एल.) को मिला हुआ है।

हरियाणा इलैक्ट्रिसटी रेगुलेट्री कमीशन (एच.ई.आर.सी.) के पास चल रहे इस मामले की सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से जानकारी दी गई कि राज्य में कुल 10 लाख स्मार्ट लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया था। अभी तक 6 लाख मीटर लगाए जा चुके हैं। कंपनी ने दावा किया कि निगमों के साथ हुए काँट्रैक्ट के हिसाब से दिसम्बर-2023 तक बाकी बचे हुए 4 लाख मीटर भी लगा दिए जाएंगे। कंपनी हर महीने लगभग 34000 स्मार्ट मीटर लगाएगी।

कंपनी के सी.ई.ओ. की ओर से जानकारी दी गई कि अक्तूबर-2022 के दौरान सप्लाई चेन और कैश फ्लो की समस्या आई थी, जिसकी वजह से प्रोजैक्ट की रफ्तार थोडी धीमी हो गई थी। वहीं, कमीशन की ओर से बताया गया कि पिछले साल जनवरी से लेकर नवम्बर तक की बात की जाए तो कंपनी अपने ही तय किए गए लक्ष्य के केवल 58 प्रतिशत मीटर ही लगा पाई है।

## फरीदाबाद के लिए नहीं मिली अनुमति

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डी.एच.बी.वी.एन.) ने सुनवाई के दौरान बताया कि गुरुग्राम में अनावश्यक बिलिंग मुद्दों के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं की शिकायतों में वृद्धि हुई है। गुरुग्राम में तसल्लीबख्श काम न होने की वजह से कंपनी को फरीदाबाद शहर में नया काम करने की अनुमति नहीं दी गई। इस पर कमीशन ने कंपनी और निगमों को एक सप्ताह के भीतर सभी मुद्दों को हल करने के निर्देश दिए। परियोजना सही समय पूरी हो इसके लिए एक योजना तैयार करने के लिए भी कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई के दौरान कमीशन द्वारा प्रोजैक्ट की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

### कंपनी ने मांगी निगमों से मदद

कंपनी ने प्रोजैक्ट को उचित समय पर पूरा करने के लिए निगमों से भी मदद मागी है। जहां पर उपभोक्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है या जहां केबल खींचने वाली टीमों की जरूरत है वहां पर निगमों को मदद करनी होगी। जबकि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यू.एच.बी.वी.एन.) ने बताया कि उनके एरिया में उपभोक्ताओं का किसी भी प्रकार का विरोध सामने नहीं आया है।ई.ई.एस.एल. की टीम ने पिछली किसी भी ख्यू मीटिंग के दौरान यह मुद्दा नहीं उठाया।

# Hry discoms promote shift to prepaid power

Manvir.Saini@timesgroup.com

Chandigarh: Even as the discoms have failed to meet the target of replacing old electricity meters with smart meters across Haryana, consumers are being pursued to shift to pre-paid electricity connections.

Notably, smart meters enable the distribution companies to offer app-based or generally operated pre-paid electricity connections to the consumers. Once a consumer opts for pre-paid electricity connection, he/she becomes eligible for 5% discount on the normal electricity billed tariff of regular connections.

"Besides the discount. which is being offered as it will end the manual work of meter reading, billing and payments, etc... The concept of pre-paid connection will also help consumers in rationing their consumptions. Rest tariff slabs and levies will be applicable as on regular connections," said an official of the Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam (UHBVN).

As of now, the discoms are focussing to introduce pre-paid connections in Gurugram, Faridabad. Sonipat Panchkula cities. In-charge of circles or sub-divisions are targeting special groups, especially the opinion makers or professionals and group housing societies or apartments used for rental purposes to popularise the scheme.

The move comes after the two electricity distribution companies - UHBVN and Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam (DHBVN) - of the state drew flak from the Haryana State Electricity Regulatory Commission (HERC).

**Energy Efficient Services** Limited (EESL) - the company engaged by the two discoms for replacement of old meters with smart meters has also faced the HERC ire.

As per information, the Haryana power department had given the target of installation of 30 lakh meters by the end of December 2024. The target till December 2022 was 10 lakh meters, but only 6.24 lakh were installed. In a hearing on January 3, HERC had advised the discoms and EESL officials to conduct monthly meetings.

#### Hari Bhumi 14.01.2023

## पानीपत हिरिभूमि 11



पानीपत । एवईआरसी के अध्यक्ष आरके पवनंदा व सदस्य नरेश सरदाना बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें सुनते हुए । फोटो: हरिभूमि

## बिजली की नई दरें तय करने की तैयारी में आयोग

- आयोग के चेयरमैन ने उपभोक्ताओं की सुनी दलीलें
- उपभोक्ताओं के हित के लिए किए जा रहे है बिजली संबंधी कार्यों में सुधार

हरिभूमि न्यूज 🛏 पानीपत

हरियाणा विद्यत विनियामक आयोग के चेयरमैन आरके पचनंदा और सदस्य नरेश सरदाना आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नई बिजली दरें तय करने से पहले बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें सुनने के लिए शुक्रवार को पानीपत पहुंचे। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के एमडी राजनारायण कौशिक निदेशक अश्वनी रहेजा. चीफ इंजीनियर एसके चावला और युएचबीवीएन के अधिकरियों की मौजुदगी में स्काईलार्क में हॉल में उद्यमियों एआरडब्ल्युए व अन्य श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं ने अपनी समस्याएं और सझाव दिये जिसे एचईआरसी के अधिकारियों ने नोट किया। इस दौरान विभिन्न औधोगिक संगठनों के प्रतिनिधियो बिजली से सम्बन्धित सधारीकरण को लेकर भी अपने अपने आवश्यक सुझाव दिए वहीं

डेवलपर्स सोसाइटियों में कनेक्शन को लेकर आ रही दिक्कतों को भी आयोग ने ध्यान से सुना। उपभोक्ताओं की शिकायतों एवं सुझाव सुनने के उपरान्त चेयरमैन आरके पंचनंदा ने बिजली उपभोक्ताओं से खचाखच भरे सभागार में सभी को आश्वस्त किया कि बिजली उपभोक्ताओं की बेहतरी के लिए अवश्य और अधिक सुधार किए जाएंगे। कोविड के दौरान वर्चुएल हियरिंग करते थे। लेकिन आज बिजली उपभोक्ताओं से सीधे तौर पर मिलकर उनकी समस्याएं और सुझाव सुने, यह उनके लिए भी बड़ा हर्ष का विषय है। सीजीआरएफ के चेयरमैन खन्ना को बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण संबंधी कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एचईआरसी कन्सलटैन्ट संजय बंसल निदेशक टैरिफ संजय वर्मा निदेशक तकनीकी विरेन्द्र सिंह संयक्त निदेशक वित्त मनीष सिंघल उपनिदेशक मीडिया प्रदीप मलिक एसई पानीपत धर्मबीर छिक्कारा सहित सभी संबंधित अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे।

#### Dainik Savera 14.01.2023

# पानीपत सवेरा

# बिजली की नई दरें तय करने की तैयारी में हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग

- आयोग के चेयरमैन ने उपभोक्ताओं की सुनी दलीलें
- 🕨 उपभोक्ताओं के हित के लिए किए जा रहे है बिजली संबंधी कार्यों में सुधार : आर.के. पंचनन्दा

सवेरा न्यूज/ विनोद पांचाल

पानीपत , 13 जनवरी : हरियाणा विनियामक (एचईआरसी) के चेयरमैन आर के पचनन्दा और सदस्य नरेश सरदाना आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नई बिजली दरें तय करने से पहले बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें सुनने के लिए शुक्र वार को पानीपत पहुंचे। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (युएचबीवीएन) के राजनारायण कौशिक , निदेशक प्रतिनिधियो ने बिजली से समबिन्धत अश्वनी रहेजा, चीफ इंजीनियर एस.के. चावला और युएचबीवीएन के अधिकरियों की मौजूदगी में स्काईलार्क



एचईआरसी के अध्यक्ष आर.के. पचनन्दा व सदस्य नरेश सरदाना बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें सुनते हुए।

अधिकारियों ने नोट किया। इस दौरान एम.डी. विभिन्न औधोगिक संगठनों के सुधारीकरण को लेकर भी अपने-अपने आवश्यक सझाव दिए, डेवलपर्स द्वारा विकिसत सोसायिटयों में के कॉन्फ्रेस हॉल में उद्यमियों कनेक्शन को लेकर आ रही दिक्कतों

,आरडब्ल्युए व अन्य श्रेणी के बिजली को भी आयोग ने ध्यान से सुना। उपभोक्ताओं ने अपनी समस्याएं और उपभोक्ताओं की शिकायतों एवं सुझाव सुझाव दिये, जिसे एचईआरसी के सुनने के उपरान्त चेयरमैन आर.के. पंचनन्दा ने बिजली उपभोक्ताओं से खचाखच भरे सभागार में सभी को आश्वस्त किया कि उपभोक्ताओं की बेहतरी के लिए अवश्य और अधिक सुधार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान वर्चएल हियरिंग करते थे, लेकिन


आज बिजली उपभोक्ताओं से सीधे तौर पर मिलकर उनकी समस्याएं और सुझाव सुने, यह उनके लिए भी बडा हर्ष का विषय है। उन्होंने सीजीआरएफ के चेयरमैन आर के खन्ना को बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण सम्बन्धी कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए। यएचबीवीएन के एम.डी. राजनारायण कौशिक ने भी उपस्थित सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों से बिजली बिलों तथा अन्य दर्ज शिकायतों के निवारण हेतु फीडबैक रिपोंट ली। इस दौरान एचईआरसी कन्सलटैन्ट संजय बंसल, निदेशक (टैरिफ) संजय वर्मा, निदेशक (तकनीकी) विरेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक (वित्त) मनीष सिंघल, उपनिदेशक मीडिया प्रदीप मिलक, एस.ई. पानीपत धर्मबीर छिकारा सहित सभी समिबन्धत अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे।

## पंजाबकेंसरी १४.०१.२०२३

# एच.ई.आर.सी. के चेयरमैन ने नई बिजली दरें तय करने से पहले उपभोक्ताओं की सुनी दलीलें

चंडीगढ़, 13 जनवरी (गौड़): हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) के चेयरमैन आर.के. पंचनंदा और सदस्य नरेश सरदाना आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नई बिजली दरें तय करने से पहले बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें सुनने के लिए शुक्रवार को पानीपत पहुंचे। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ( यू.एच.बी.वी.एन.) के एम.डी. राजनारायण कौशिक. निदेशक अश्वनी रहेजा और चीफ इंजीनियर एस.के. चावला की मौजुदगी में उद्यमियों, आर.डब्ल्यू.ए. व अन्य श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं ने अपनी समस्याएं और सुझाव दिए, जिसे आयोग के अधिकारियों ने नोट किया। इस दौरान औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बिजली से संबंधित सुधारीकरण को लेकर भी अपने-अपने आवश्यक सुझाव दिए।वहीं, डिवैल्पर्स द्वारा विकसित सोसायटियों में नए बिजली कनैक्शनों को लेकर आ रही परेशानियों को भी आयोग ने सुना। उपभोक्ताओं की शिकायतों एवं सुझाव सुनने के उपरांत आर.के. पंचनदा ने उपस्थित बिजली उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया कि उनकी बेहतरी के लिए भविष्य में और अधिक सुधार किए जाएंगे।

आरके. पंचनंदा ने कहा कि कोविड के दौरान आयोग वर्चुअल हियरिंग करता था, लेकिन आज बिजली उपभोक्ताओं से सीधे तौर पर मिलकर उनकी समस्याएं सुनीं और सुझाव लिए। उन्होंने सी.जी.आर एफ. के चेयरमैन आर.के. खन्ना को भी मौके पर ही बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण संबंधी कुछ आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।



### Amar Ujala 14.01.2023

# बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनी

माई सिटी रिपोर्टर

पानीपत। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) के चेयरमैन आरके पचनंदा और सदस्य नरेश सरदाना वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नई बिजली दरें तय करने से पहले बिजली उपभोक्ताओं की बात सुनने के लिए शुक्रवार को पानीपत पहंचे।

पचनंदा ने उपभोक्ताओं की शिकायतों एवं सुझाव सुने और कहा कि उनकी सुविधा के लिए और अधिक सुधार किए जाएंगे। कोविड के दौरान वर्चुअल सुनवाई करते थे, लेकिन आज बिजली उपभोक्ताओं से सीधे तौर पर मिलकर उनकी समस्याएं और सुझाव सुना।

इस मौके पर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) के एमडी राजनारायण कौशिक, निदेशक अश्वनी रहेजा, चीफ इंजीनियर एसके चावला और यूएचबीवीएन के अधिकरियों की मौजूदगी में स्काईलार्क के कॉन्फ्रेस हॉल में उद्यमियों, आरडब्ल्यूए और अन्य श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं ने अपनी समस्याएं और सुझाव दिए, जिन्हें नोट



मीटिंग के दौरान अपनी बात रखते उद्योगपति श्रीभगवान अग्रवाल व मौजूद अन्य। संवाद

किया गया। विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बिजली संबंधित सुधारीकरण को लेकर भी अपने सुझाव दिए।

इनके अलावा डेवलपर्स द्वारा विकसित सोसायटियों में कनेक्शन को लेकर आ रही दिक्कतों को भी आयोग ने सुना। उन्होंने सीजीआरएफ के चेयरमैन आरके खन्ना को बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण संबंधी दिशा निर्देश दिए। युएचबीवीएन के एमडी राजनारायण कौशिक ने अधिकारियों और कर्मचारियों से बिजली बिलों एवं अन्य दर्ज शिकायतों के निवारण के लिए फीडबैक रिपोर्ट ली।

इस दौरान एचईआरसी कन्सलटेंट संजय बंसल, निदेशक (टैरिफ) संजय वर्मा, निदेशक (तकनीकी) वीरेंद्र सिंह, संयुक्त निदेशक (वित्त) मनीष सिंघल, उपनिदेशक मीडिया प्रदीप मलिक, एसई पानीपत धर्मबीर छिकारा सहित सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजद रहे।

### आज समाज

## हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन पहुंचे पानीपत

बिजली उपभोक्ताओं की बेहतरी के लिए किए जाएंगे और अधिक सुधार: आर.के. पंचनन्दा

पंचकूला/चंडीगढ़। हरियाणा विद्युत

विनियामक आयो (एचईआरसी) के ( चेयरमैन आर केपंचनन्दा और

सदस्य नरेश सरदाना आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नई बिजली दरें तय करने से पहले बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें सुनने के लिए शुक्रवार को पानीपत पहुंचे। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) एम.डी. राजनारायण रहेजा, अश्वनी इंजीनियर एस.के. चावला यूएचबीवीएन के अधिकारियों की मौजूदगी में स्काईलार्क के कॉन्फ्रेंस हॉल में उद्यमियों ,आरडब्ल्यूए व अन्य श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं अपनी समस्याएं और सुझाव दिये, जिसे एचईआरसी के अधिकारियों ने नोट किया। इस दौरान औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बिजली से सम्बन्धित सुधारीकरण को लेकर भी अपने-अपने सुझाव दिए, आवश्यक डेवलपर्स द्वारा विकसित सोसायटियों में

नये बिजली कनेक्शनों को लेकर आ रही दिक्कतों को भी आयोग ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना। उपभोक्ताओं की शिकायतों एवं सुझाव सुनने के उपरान्त एचईआरसी के चेयरमैन आर.के. पंचनन्दा ने उपस्थित उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया कि बिजली उपभोक्ताओं की बेहतरी के लिए भविष्य में और अधिक सुधार ॄॄे\किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान आयोग वर्चुअल हियरिंग लेकिन आज बिजली उपभोक्ताओं से सीधे तौर पर मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और सुझाव उन्होंने सीजीआरएफ के चेयरमैन आर के खन्ना को भी मौके पर ही बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण संबंधी कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए। यूएचबीवीएन के एम.डी. राजनारायण कौशिक ने भी उपस्थित सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों से बिजली बिलों तथा अन्य शिकायतों के निवारण हेतु फीडबैक रिपोर्ट ली। इस दौरान संजय वर्मा. निदेशक विरेन्द्र सिंह, संयुक्त (तकनीकी) (वित्त) मनीष सिंघल, कंसलटेंट संजय बंसल, उपनिदेशक (मीडिया) प्रदीप मलिक, एस.ई. पानीपत धर्मबीर छिक्कारा सहित सभी सम्बन्धित अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे।

# जगत क्रान्ति 14.01.2023

# हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन पहुंचे पानीपत

 बिजली उपभोक्ताओं की बेहतरी के लिए किए जाएंगे और अधिक सुधार : आरके पंचनन्दा

#### जगत क्रान्ति 🕪 राकेश गुप्ता

चण्डीगढ़: हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) के चेयरमैन आर केपंचनन्दा और सदस्य नरेश सरदाना आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नई बिजली दरें तय करने से पहले बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें सुनने के लिए शुक्रवार को पानीपत पहुंचे। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) के एम.डी. राजनारायण कौशिक, निदेशक अश्वनी रहेजा, चीफ इंजीनियर एस.के. चावला और यूएचबीवीएन के अधिकारियों की मौजूदगी में स्काईलार्क के कॉन्फ्रेंस हॉल में उद्यमियों, आरडब्ल्यूए व अन्य श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं ने अपनी समस्याएं और सुझाव दिये, जिसे एचईआरसी के अधिकारियों ने नोट किया। इस दौरान औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बिजली से सम्बन्धित सुधारीकरण को लेकर भी अपने-अपने आवश्यक सुझाव दिए। वहीं डेवलपर्स द्वारा विकसित सोसायटियों में नये बिजली कनेक्शनों को लेकर आ रही दिक्कतों को भी आयोग ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना।

उपभोक्ताओं की शिकायतों एवं सुझाव सुनने के उपरान्त एचईआरसी के चेयरमैन आर.के. पंचनन्दा ने उपस्थित बिजली उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया कि बिजली उपभोक्ताओं की बेहतरी के लिए भविष्य में और अधिक सुधार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान आयोग वर्च्अल हियरिंग

करता था, लेकिन आज बिजली उपभोक्ताओं से सीधे तौर पर मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और सुझाव सीजीआरएफ के लिए। उन्होंने चेयरमैन आर के खन्ना को भी मौके पर ही बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण संबंधी कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए। यूएचबीवीएन के राजनारायण कौशिक ने भी उपस्थित सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों से बिजली बिलों तथा अन्य शिकायतों के निवारण हेतु फीडबैक रिपोर्ट ली। इस दौरान निदेशक (टैरिफ) संजय वर्मा, निदेशक (तकनीकी) विरेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक (वित्त) मनीष सिंघल, कंसलटेंट संजय बंसल, उपनिदेशक (मीडिया) प्रदीप मिलक, एस.ई. पानीपत धर्मबीर छिकारा सहित सभी सम्बन्धित अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे।

# पानीपत में एचईआरसी के चेयरमैन ने सुनीं बिजली उपभोक्ताओं की समस्याएं और लिए सुझाव

### वर्ष 2023-24 के लिए नई बिजली दरें तय करने से पहले उपभोक्ताओं से लिए गए सुझाव

पानीपत, 13 जनवरी (बिजेंद्र सिंह): हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआस्सी) के चेयरमैन आरके पंचनन्दा एवं सदस्य नरेश

सरदाना ने अगले वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नई बिजली की दरें तय करने से पहले शुक्रवार को पानीपत पहुंच करके बिजली उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनी और सुझाव लिये गये। उन्होंने उत्तर हरियाणा बिजली वहीं हरियाणा चैंबर ऑफ कामर्स के चेयरमैन विनोद खंडेलवाल सिंहत अन्य औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बिजली से संबंधित

के लिए भविष्य में और अधिक सुधार किए जाएंगे। उन्होंने सीजीआरएफ के चेयरमैन आरके खन्ना को भी मौके पर ही बिजली उपभोक्ताओं की

उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण को लेकर दिशा निर्देश दिए। यूएचबीवीएन के एमडी राज नारायण कौशिक ने भी सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों से बिजली बिलों तथा अन्य शिकायतों के निवारण को लेकर फीडबैक लिया। इस अक्सर पर



उत्तर बजली बजली रिगम एचईआरसी के चेयरमैन आर.के. पंचनन्दा और सदस्य नरेश सरदाना।

(यूएचबीवीएन) के एमडी राज नारायण कौशिक, निदेशक अश्वनी रहेजा, चीफ इंजीनियर एसके चावला और यूएचबीवीएन के अधिकारियों की मौजूदगी में स्काईलार्क के काफ्रेंस हॉल में उद्यमियों ,आरडब्ल्यूए व अन्य बिजली उपभोक्ताओं की राय ली।

सुधारीकरण को लेकर सुझाव दिए। जबिक डेवलपर्स ने विकसित सोसायिटयों में नये बिजली कनेक्शनों को लेकर आ रही दिक्कतों की समस्याओं को लेकर अवगत करवाया। एचईआरसी के चेयरमैन आरके पंचनन्दा ने आश्वस्त किया कि बिजली उपभोक्ताओं की बेहतरी

निदेशक (टैरिफ) संजय वर्मा, निदेशक (तकनीकी) विरेंद्र सिंह, संयुक्त निदेशक (वित्त) मनीष सिंघल, कंसलटेंट संजय बंसल, उपनिदेशक (मीडिया) प्रदीप मलिक, एसई पानीपत धर्मबीर छिकारा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

# Ajit Samachar 14.01.2023

# एचईआरसी तय करेगा बिजली की नई दरें, लिए सुझाव

एचइआरसी के चेयरमैन ने ली पानीपत-सोनीपत निगम के बिजली अधिकारियों व आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों की बैठक ली

जागरण संवाददाता. पानीपत हरियाणा विद्यंत विनियामक आयोग (एचईआरसी) के चेयरमैन आरके पचनंदा और सदस्य नरेश सरदाना शक्रवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नई बिजली दरें तय करने से पहले पानीपत और सोनीपत के उद्यमियों व रेजिहेंट वेल्फेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ रूबरू हए। इस दौरान उद्यमियों व आरडब्ल्युए पदाधिकारियों से सुझाव मांगे गए साथ ही उनकी समस्याएं सनी गई। स्काइंलार्क विश्रामगृह में आयोजित आमने-सामने की इस बैतक में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूपचबीवीएन) के एमडी राजनारायण कौशिक, निदेशक अश्वनी रहेजा, चीफ इंजीनियर एसके चावला सहित दोनों सकेल के बिजली निगम अधिकारी. उद्यमी मोहन लाल गर्ग, सतीश गोयल, राकेश भाटिया, राकेश गर्ग, राजेंद्र खराना, रमन सिंगला, मनीष अग्रवाल मौजुद रहे।



षेठक लेते हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन आरके पचनदा। • जागरण।

#### गिनाई समस्याएं, दिए सुझाव

हरियाणा चैबर आफ कामर्स के चेयरमैन विनोद खंडेलवाल ने कहा कि उद्योगों को विकास के लिए बिजली की दरों में कमी की जानी चाहिए। जो सिक्योरिटी जमा है, उस पर ब्याज दर बढ़ाई जाए। इंडिपेंडेंट फीडर का लाइन लोस उद्यमियों पर नहीं पड़ना चाहिए। निगम में स्टाफ कम होता जा रहा है। प्रयूज लगाने के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ता है। स्टाफ विशेषकर एसडीओं का तबादला भी कम से कम पांच साल में हो।

#### सेक्टर 24 और 29 की बिजली आपूर्ति एक साथ कट रही


पानीपत झयर्स एसोसिएशन के प्रधान भीम राणा ने कहा कि रेजिडेशियल एरिया सेक्टर 24 में यदि फाल्ट आता है तो सेक्टर 29 की पावर सप्लाई भी बंद कर दी जाती है। दो सेक्टरों के फीडर अलग किए जाएं।

#### बैठक में पानीपत इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान प्रीतम सचदेवा ने दिए सुझाव

- पसडीओ पर कमिश्यल कार्यों को लोड होता है। कमिश्यल और टेक्निकल कार्यों के लिए अलग-अलग एसडीओ होने चाहिए। लाइन लोस कम होगा उद्योगों को समुचित बिजली मिलेगी।
- उद्यमियों की जमा सिक्योरिटी राशी पर ब्याज दर 3.5 प्रतिशत बहुत कम है। ब्याज दर रिजर्व बैंक की रेपी रेट के मुताबिक होनी चाहिए।
- उद्योगों में वित की किल्लत है, डेढ़ माह करों झें रुपये एडवांस बिजली निगम में जमा है। स्मार्ट मीटर लगाए जाएं, उद्यमी एडवांस में भुगतान देने को तैयार है।
- 132 केवी में फीडर में इन दिनों फाल्ट आ रहे हैं। 11 केवी समुचित चल रहे हैं। कभी बीबीएमबी का फाल्ट आता है। इस पर ध्यान दिया जाए। सेक्टर 29 इंडस्ट्रीयल एरिया के प्रधान श्रीभगवान अग्रवाल के सुझाव
- उद्योगों को बिजली भले ही छह

- दिन दी जाए, लेकिन 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए।
- धर्मलों में बिजली उत्पादन के समय कोयले के भाव के कम ज्यादा होने के कारण एफएसए फ्यूल सरचार्ज लागू किया गया था। अब सरकार बिजली परचेज कर रही है।
- रेजिडेंशयल एसोसिएशन अंसल, टीडीआइ के सुरंश गुंबर, अनिल मलिक, विक्की कत्याल, अश्वनी गर्ग के सझाव
- अंसल टी डीआई, एल्डिको रेजिडेशियल कालोनियों में सिंगल मीटर कनेक्शन के स्थान पर सभी लोगों को अलग-अलग कनेक्शन दिया जाए।
- लोड कम होने के कारण एम ब्रीआइ बढ़ा जा रही है। अंसल में सवा पांच करोड़ एमडीआइ हो चुकी है। जो बढ़ती जा रही है। कनेक्शन काटने की तलवार उपभोवताओं पर लटकी रहती है।

- असल में डुप्लीकेट बिल देकर वसूली करने वाले राजेश नामक विजली अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो। उसे निगम ने गन्नोर में तैनात किया हुआ है। डुप्लीकेट बिल के पैसे उद्यमी भर चुके हैं, लेकिन निगम में पैसा जमा नहीं हुआ। छह लाख के बिल थे जो अब ब्याज, जुर्माना लग कर करोड़ों हो चुके हैं।
- मुरथल इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन के सुभाष गुप्ता ने ओवर लोड की समस्या को दूर करने की मांग करते हुए पांच सब – स्टेशन जल्द तैयार करवाने की मांग रखी।
- बिलिंग की सबसे अधिक दिवकत उद्यमियों के साथ-साथ आम उपभोक्ताओं को झेलनी पड़ रही है।
- नया कनेक्शन लेने पर लाखों को बिल आता है। जिसे ठीक करवाने के लिए निगम के चक्कर काटने पड़ते हैं। पिछले दिनों पांच लाख बिल आ गया जो ठीक करवाने पर 32 हजार हुआ।





# हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन पहुँचे पानीपत

## वित्त वर्ष २०२३-२४ के लिए नई बिजली दरें तय करने से पहले उपभोक्ताओं की सुनी दलीलें

पानीपत/टीम एक्शन इंडिया हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) के चेयरमैन आर के पचनन्दा और सदस्य नरेश सरदाना आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नई बिजली दरें तय करने से पहले बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें सुनने के लिए शुक्रवार को पानीपत पहुंचे। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (युएचबीवीएन) के एम.डी. राजनारायण कौशिक , निदेशक अश्वनी रहेजा, चीफ इंजीनियर एस.के. चावला और युएचबीवीएन के अधिकरियों की मौजदगी में स्काईलार्क के कॉन्फ्रेस हॉल में उद्यमियों ,आरडब्ल्यूए व अन्य श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं ने अपनी



समस्याएं और सुझाव दिये, जिसे एचईआरसी के अधिकारियों ने नोट किया। इस दौरान विभिन्न औधोगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बिजली से सम्बन्धित सुधारीकरण को लेकर भी अपने-अपने आवश्यक सुझाव दिए, वहीं डेवलपर्स द्वारा विकसित सोसायटियों में कनेक्शन को लेकर आ रही दिक्कतों को भी आयोग ने ध्यान से सुना।

उपभोक्ताओं की शिकायतों एवं सुझाव सुनने के उपरान्त चेयरमैन आर के पंचनन्दा ने बिजली उपभोक्ताओं से खचाखच भरे सभागार में सभी को आश्वस्त किया कि बिजली उपभोक्ताओं की बेहतरी के लिए अवश्य और अधिक सुधार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान वर्चुएल हियरिंग करते थे, लेकिन आज बिजली उपभोक्ताओं से सीधे तौर पर मिलकर उनकी समस्याएं और सुझाव सुने, यह उनके लिए भी बड़ा हर्ष का विषय है। उन्होंने सीजीआरएफ के चेयरमैन आर के खन्ना को बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण सम्बन्धी कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए। युएचबीवीएन

के एम.डी. राजनारायण कौशिक ने भी उपस्थित सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों से बिजली बिलों तथा अन्य दर्ज शिकायतों के निवारण हेतु फीडबैक रिपोंट ली। इस दौरान एचईआरसी कन्सलटैन्ट संजय बंसल. निदेशक (टैरिफ) संजय वर्मा, निदेशक (तकनीकी) विरेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक (वित्त) मनीष सिंघल, उपनिदेशक मीडिया प्रदीप मलिक, एस.ई. पानीपत धर्मबीर छिकारा सहित सभी सम्बन्धित अधिकारी तथा कर्मचारी मौजद रहे। फोटो परिचय-1,2 व 3-एचईआरसी के अध्यक्ष आर.के. पचनन्दा व सदस्य नरेश सरदाना बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें सुनते हुए।



#### पानीपत भास्कर 14-01-2023

प्लानिंग • हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) के चेयरमैन और युएचबीवीएन के एमडी ने की टैरिफ रिव्यू मीटिंग

## बिजली की दर बढ़ाने की प्लानिंग, चेयरमैन व निगम एमडी ने पब्लिक मीटिंग में पूछा तो उद्यमी बोले- रेट होने चाहिए कम

भारकर न्यूज | पानीपत

प्रदेश सरकार की बिजली की दर बढ़ाने की प्लानिंग है। इसी क्रम में हरियाणा विद्यत विनियामक आयोग (एचईआरसी ) के चेयरमैन आरके पचनंदा और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचब विधिन) के राजनारायण कौशिक ने अन्य अधिकारियों के साथ स्काईलार्क में पब्लिक के साथ ट्रैरिफ रिव्यू मीटिंग की। रेट बढाने से पहले सरकार पब्लिक का मृड जानना चाहती है, लेकिन पानीपत में तो उपभोक्ताओं ने बिजली की न सिर्फ अनेक समस्याएं बताई, उद्यमियों ने तो रेट कम करने की मांग रख दी। हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एचसी सीआई) के चेयरमैन विनोद खंडेलवाल ने कहा कि इंडस्टी पहले से ही संकट में है, 2 से 3 रुपए प्रति युनिट की रेट कम करके सरकार उद्योग को राहत दे। उन्होंने बिजली कनेक्शन पर 1000 रुपए प्रति किलोवाट की सुरक्षा राशि और एसीडी खत्म करने की मांग



पानीपत, स्काईलार्क में आयोजित मीटिंग में उपस्थित उद्योगपति।

#### जानिए... उद्यमियों के तर्क क्यों मजबत

- 1. पानीपत के उद्यमियों के 175 करोड़ सरकार के पास जमा उद्यमियों ने कहा कि पानीपत से करीब 175 करोड़ रुपए सरकार के पास एसीडी के रूप में जमा है। बैंकों से 9.25 प्रतिशत पर लोन लेकर उद्यमियों ने यह भरे हैं, यह सिर्फ सुरक्षा राशि है। लेकिन इस पर सिर्फ 3.5 प्रतिशत का सरकार ब्याज देती है। यह तो सरासर गलत है।
- 2. अब जब बिजली खरीदी जा रही है तो कोयला वाला फ्यूज सरचार्ज क्यों: उद्यमियों ने कहा कि पहले तो धर्मल चलाकर बिजली दी जाती थी। कोयला की रेट बढ़ने के कारण, उपभोक्ताओं से उस पर फ्युल 🌶 दूसरे राज्यों में मीडियम सप्लाई सरचार्ज लिया जाता था। अब जब सरकार भी बाहर से बिजली खरीद रही है तो, फ्युल चार्ज क्यों। इसे खत्म किया जाए।
- 3. रेबेन्य और टेक्निकल एसडीओ अलग लगाए जाएं : उद्यमियों ने कहा कि एसडीओ की जिम्मेदारी टेक्निकल की है, लेकिन उससे रेवेन्य का काम कराया जाता है। इसलिए, अलग-अलग एसडीओ लगाए जाएं।



स्काईलार्क में उद्यमियों की समस्या सुनते बिजली विभाग के एमडी।

#### आइए जानते हैं. किसने क्या बातें कही

 सरकार उद्यमियों से एडवांस कंजम्पशन डिमांड (एसीडी) ले रही है। उद्यमी बैंक से लोन लेकर एसीडी जमा करा रहे हैं. लेकिन निगम इसके एवज में मात्र 3.5 प्रतिशत ब्याज दे रहा है। यह तो रिजर्व बैंक की रैपो रेट में भी कम है। एसीडी लौटाया जाए. हमसे एडवांस बिल लिया जाए। -प्रीतम सिंह सचदेवा, प्रधान, पानीपत इंडस्टियल एसोसिएश

#### एमएससप्लाई ५० किलोवाट 24 घंटे बिजली दी जाए

- (एमएस) 100 किलोबाट और पानीपत में 50 है। जिससे उद्यमियों को भारी कीमत चकानी पड़ रही है। सरकार कम करे।
- श्रीभगवान अग्रवाल, प्रधान. सेक्टर-29 पार्ट-1 एसोसिएशन।

#### **₽** सेक्टर-२९ पार्ट-1 व २ और रेजिडेंशियल सेक्टर-24 सभी एक ही फीडर से जड़े हैं। सेक्टर-24 एरिया में गडबड़ी से इंडस्टी की विजली काट दी जाती है। इसे

अलग किया जाए । -भीम राणा .

प्रधान, डायर्स एसोसिएशन

#### अवैध कॉलोनियों में कनेक्शन दे सकते हैं. लेकिन टीडीआई में नहीं

 काबड़ी से लगते टीडीआई में फ्लैट खरीदने वालों को बिजली कनेक्शन नहीं मिल रहा है क्योंकि कंपनी ने जो कनेक्शन लिया है उस पर लोड कम है। यहां के 250 परिवारों को सरकार अलग-अलग बिजली कनेक्शन है। जब अवैध कॉलोनियों में कनेक्शन मिल सकता है को फ्लैटस में क्यों नहीं। सभी 7334 रुपए प्रति किलोबाट के हिसाब से चार्ज भी देने को तैयार हैं।

-अनिल मलिक, पदाधिकारी, आरडब्ल्युए टीडीआई टोल प्लाजा

#### सभी पॉइंट नोट कर लिए. जल्द सधार नजर आएगा

 उद्यमियों और पब्लिक के सभी पॉइंट नोट कर लिए गए हैं। नया साल शरू हो चका है. आप सबको जल्द संधार नजर आएगा। इसी के लिए यहां पर आए हैं. ताकि समस्याओं का पता चले। आरके पचनंदा, चेयरमैन. एचईआसी

# स्मार्ट और प्रीपेड मीटर के लिए बनाए नए नियम, 2014 के निरस्त

## सुबह 10 से दोपहर एक बजे के बीच काट सकेंगे कनेक्शन

अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। उपभोक्ताओं के प्रीपेड मीटर कनंक्शन काटने में अब हरियाणा के बिजली वितरण निगमों की मनमानी नहीं चलेगी। प्रीपेड मीटर की राशि खत्म होने पर उपभोक्ता उसे निधीरित समय में रिचार्ज नहीं करवाता है, तो बिजली निगम कनंक्शन को सुबह दस बजे से दोपहर एक बजे के बीच ही काट सकेंगे। इस समयावधि के बाहर निगम के कर्मचारियों को कनंक्शन काटने की अनुमति नहीं होगी।

उपभोक्ताओं की सुविधा को देखते हुए हरियाणां विद्युत नियामक आयोग ने प्रीपेड-स्मार्ट मीटरिंग, विनियम-2022 बनाए हैं। इन्हें दस जनवरी 2022 से गजट अधिसूचना जारी कर लागू कर दिया है। इसके बाद वर्ष 2015 में अधिसूचित प्रीपेड मीटरिंग विनियमन-2014 निरस्त हो गए हैं। पुराने नियमानुसार बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को प्रीपेड और स्मार्ट मीटर की सुविधा सही तरीके से उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे। पुराने नियमों के प्रासंगिता

## रिचार्ज की होगी सुविधा

प्रीपेड स्मार्ट मीटिरिंग सिस्टम में उपभोक्ता के खाते में क्रेडिट को रिचार्ज करने की सुविधा होगी। प्रीपेड मीटर के संचालित न होने की स्थिति में दैनिक ऊर्जा प्रभार की गणना की जाएगी। अनुमानित दैनिक खपत के आधार पर गणना पिछले 7 दिनों के औसत दैनिक रिकॉर्ड से कर सकेंगे। रीडिंग के बाद वास्तविक खपत के आधार पर प्री-पेड बैलेंस तुरंत अपडेट किया जाएगा। प्री-पेड बैलेंस आधी रात की खपत के हिसाब से अपडेट होगा। कम शेष राशि पर डिस्कनेक्शन को अस्थायी डिस्कनेक्शन माना जाएगा।

खोने के कारण नए नियम बनाए गए हैं, ये उपभोक्ताओं और बिजली निगमों के बीच प्रीपेड और स्मार्ट मीटर को लेकर चले आ रहे विवादों का निपटारा करेंगे।

बिजली निगमों ने प्रीपेड मीटरिंग लगभग दो साल पहले शुरू की थी, लेकिन यह प्रभावी नहीं हो पाई। आवेदकों को एसीडी यानी अग्रिम खपत जमा कर पोस्टपेड मोड पर आवेदन करने को कहा जा रहा है, जिसका कोई मानक नहीं है।

## स्मार्ट, प्रीपेड मीटर को बनाए नए नियम, 2014 के निरस्त

अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ। उपभोक्ताओं के प्रीपेड मीटर कनेक्शन काटने में अब हरियाणा के विजली वितरण निगमों की मनमानी नहीं चलेगी। प्रीपेड मीटर की राशि खत्म होने पर उपभोक्ता उसे निर्धारित समय में रिचार्ज नहीं करवाता है, तो बिजली निगम कनेक्शन को सुबह दस बजे से दोपहर एक बजे के बीच ही काट सकेंगे। इस समयावधि के बाहर निगम के कर्मचारियों की कनेक्शन काटने की अनुमति नहीं होगी।

उपभोक्ताओं की सुविधा को देखते हुए हरियाणा विद्युत नियामक आयोग ने प्रीपेड-स्मार्ट मीटरिंग, विनियम-2022 बनाए हैं। इन्हें दस जनवरी 2022 से गजट अधिसूचना सुबह दस से दोपहर एक बजे कें बीच ही काट सकेंगे प्रीपेड मीटर कनेक्शन

जारी कर लागू कर दिया है। इसके बाद वर्ष 2015 में अधिसृचित प्रीपेड मीटरिंग विनियमन-2014 निरस्त हो गए हैं। पराने नियमानसार विजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को प्रीपेड और स्मार्ट मीटर की सुविधा सही तरीके से उपलब्ध नहीं प्रासंगिता खोने के कारण नए नियम बनाए गए हैं, ये उपभोक्ताओं और विजली निगमों के बीच प्रीपेड और स्मार्ट मीटर को लेकर चले आ रहे विवादों का निपटारा करेंगे।

बिजली निगमों ने प्रीपेड मीटरिंग लगभग दो साल पहले शुरू की थी,

रिचार्ज की होगी सुविधा

प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम में उपभोक्ता के खाते में क्रेडिट को रिचार्ज

करने की सविधा होगी। प्रीपेड मीटर के संचालित न होने की स्थिति में दैनिक ऊर्जा प्रभार की गणना की जाएगी। अनुमानित दैनिक खपत के आधार पर गणना पिछले 7 दिनों के औसत दैनिक रिकॉर्ड से कर सकेंगे। रीडिंग के बाद वास्तविक खपत के आधार पर प्री-पेड वैलेंस तुरंत अपडेट किया जाएगा। प्री-पेड वैलेंस आधी रात की खपत के हिसाव से अपडेट होगा। कम शेष राशि पर डिस्कनेक्शन को अस्थायी डिस्कनेक्शन माना जाएगा।

लेकिन यह प्रभावी नहीं हो पाई। आवेदकों को एसीडी यानी अग्रिम करा पा रहे थे। पुराने नियमों के खपत जमा कर पोस्टपेड मोड पर आवेदन करने को कहा जा रहा है, जिसका कोई मानक नहीं है। उपभोक्ताओं को आ रही अनेक दिक्कतों को देखते हुए विद्युत नियामक आयोग को नए नियम बनाने पडे।

आयोग के नियमानुसार यदि

मौजूदा उपभोक्ता प्रीपेड कनेक्शन और पोस्टपेड व्यवस्था का विकल्प चुनता है, तो लाइसेंसधारक मौजदा मीटर को नए मीटर के साथ बदल देगा। प्रीपेड कनेक्शन की लागत उपभोक्ता से ली जाएगी। खपत के बाद भुगतान प्रणाली प्रीपेड स्मार्ट मीटर पर लागू नहीं होगी। स्मार्ट मीटर की रीडिंग प्रत्येक माह में कम से कम एक बार लेनी होगी।

### पंजाबकेसरी MONDAY • 16.01.2023

हरियाणा के किसानों को खेती के लिए मुप्त में मिलेगी बिजली, साथ ही सोलर एनर्जी बेचकर कर सकेंगे कमाई, किसान सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम के जरिए डिस्कॉम को सीधे बेच सकेंगे बिजली


## रेस्को मोड के लिए टैरिफ जल्द होगा फाइनल, यू.एच.बी.वी.एन. ने फाइल की पटीशन

चंडीगढ़, 15 जनवरी (विजय गौड़): हरियाणा के किसान अब खेती के साथ-साथ बिजली बेचकर भी कमाई कर पाएंगे। जल्द ही राज्य सरकार किसानों को सोलर एनजीं के जिरए बिजली की ट्रेडिंग करने का एक और ऑप्शन देने जा रही हैं। पहला ऑप्शन यह है कि किसान सोलर बाटर पंपिंग सिस्टम के जिरए डिस्कॉम को सीधे बिजली केच सकेंगे और दूसरे ऑप्शन में रिन्यूएबल एनजीं सर्विंस कंपनी (रेस्को) मोड की बदौलत थोड़ी इन्वैस्टमेंट करके कंपनी के जिरए बिजली वेचकर कमाई की जा सकेगी।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने 2019 में किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (पी.एम. -कुसुम) योजना लॉन्च की थी। इसी योजना को अब हरियाणा में लागू करने लिए नया टैरिफ तय किया जा रहा है। योजना के तहत किसानों को उनके सोलर पंप से दिन के समय बिजली का पूरा इस्तेमाल करने दिया जाएगा। इसके बाद जितनी सोलर पावर बचती है उसे उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यू.एच.बी.वी.एन.) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डी.एच.बी.वी.एन.) को बेचा भी जा सकेगा, जबकि रेस्को मोड में एक कंपनी से किसान का कोट्रैक्ट होगा। किसान को दिनभर बिजली देने के बाद अतिरिक्त सोलर एनर्जी ग्रिड में भेजकर कमाई भी होगी।

#### 6050 करोड़ रुपए सबसिडी का बोझ होगा कम

इस स्कीम काएक मकसद राज्य सरकारों पर किसानों को दी जाने वाली सबसिडी का बोझ कम करना भी है। जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हरियाणा सरकार को किसानों को लगभग ६०५० करोड रुपए सबसिडी के तौर पर देने हैं। ऐसे में राज्य सरकार पर सबसिडी का बोझ कम करने के लिए एम.एन.आर.ई. ने किसानों को अलॉट होने वाले सभी वाटर पंप को सोलर से कनैक्ट करने के सुझाव दिए थे। इस स्कीम सेडिस्कॉम को भी फायदा होगा। रेस्को मोड में डिस्कॉम को कम से कम कीमत पर खरीदने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार पर भी सबसिडी का बोझ कम हो जाएगा।



#### 2.33 रुपए टैरिफ का तैयार किया प्रोपोजल

पहली स्कीम के तहत हरियाण इलैक्ट्रिसटी रैगुलेट्री कमीशन (एच.इं.आर.सी.) ने 3.11 रूपए एक इं.आर.सी.) ने 3.11 रूपए फिक्स किया है। हालांकि इस स्कीम में राज्य या केंद्र सरकार की ओर से कोई स्वसिडी नहीं जाएगीं, जबकि दूसरी स्कीम में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा 30-30 प्रतिश्वत की सबिपडी वी जाएगीं। यू एच.बी.वी.एच. ने इस पोजीव्य के लिए एच.ई.आर.सी. के पास पटीष्ठन फाइल की है, जिसमें रेस्को स्कीम के लिए रैंग्डेंग्य केंद्र सा केंद्र को को मांग की गई हैं। निगम ने इस कै मांग की गई हैं। निगम ने इस कै मांग की गई हैं। निगम ने इस कैटेगरी के लिए 2.33 रूपए किलोवाट प्रति घंटे के टैरिफ प्रोपोजल तैयार करके कमीशक के प्राप्त अपूरत के लिए भेज़ दिया है। इसी टैरिफ के हिसाब से किसानों से डिस्कॉम द्वारा बिजली खरीदी जाएगीं।

#### राज्य सरकार सालाना 21 से 52 हजार रुपए बचाएगी

इस प्रोजैक्ट के तहत राज्य सरकार को भी फायबा मिलेगा। अगर कोई किसान 7.5 बी.एच.पी. की कैपेसिटी वाला पंप सोलर प्लांट से कनेक्ट करने के बाद इस्तेमाल करता है तो राज्य सरकार की सालाना लगभग 52 हजार रुपए की बचत होगी। वहीं, अगर पंप की कैपेसिटी 3 बी.एच.पी. की होती है तो सरकार की बचत लगभग 21 हजार रुपए हो जाएगी। यही नहीं, किसानों को दी जाने वाली सबसिडी में भी राज्य सरकार को राहत मिलेगी।

#### 5614 सोलर पंप लगवाने को मांगे आवेदन

हरियाणा सरकार ने अपने सरल पोर्टल पर किसानों से सोलर पंप लगावाने के लिए आवेदन मांगे हैं। प्रदेश के किसान 5614 सोलर पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसानों को अपने खेत के साइज, पानी के लेवल और पानी की जरूरत के अनुसार पंप का चयन करना होगा। इसके बाद किसान को उस कैपेसिटी में पैनलबद्ध फर्म में के किसी भी कंपनी का चुनाव करना होगा। कंपनी द्वारा साइट पर जाकर सर्वे किया जाएगा। जमीन उचित पाए जाने पर आगे का प्रोसेंस शुरू होगा।

## **315 सम** जनवरी 2023

## मौजूद बिजली संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बेहतर व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्ध: एचईआरसी

चंडीगढ़। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग प्रदेश में वर्तमान बिजली संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बेहतर व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्ध है और उपभोक्ताओं के हित ही आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस कड़ी में वर्ष 2023-24 के लिए नई बिजली दरें तय करने से पहले आज गुरुग्राम में उपभोक्ताओं की दलीलें सुनी। एचईआरसी के अध्यक्ष श्री आर .के. पचनंदा ने गुरुग्राम के पावर ग्रिंड स्थित एमपी हॉल में बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें सुनने उपरांत उन्होंने विद्युत उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया कि उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बिजली उपभोक्ताओं के हित और संतुष्टि उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसके लिए आयोग पहले ही उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए सर्कल स्तर पर उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सीजीआरएफ) का गठन कर चुका है। इस अवसर पर गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद के उद्योग संगठनों व व्यावसायिक श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं ने अपनी सुझाव और दलीलें भी दी। बैठक में आयोग के सदस्य श्री नरेश सरदाना, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के प्रबंध निदेशक अमित खत्री, एचईआरसी के निदेशक (टैरिफ) संजय वर्मा, उप-निदेशक (मीडिया) प्रदीप मलिक सिहत सभी सम्बन्धित अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे।

# जगत अविवार, 21 जनवरी 2023

# बिजली की बेहतर व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्ध : एचईआरसी

बिजली उपभोक्ताओं के हित हैं सर्वोच्च पाथमिकता : आरके पचनंदा

नई बिजली दरों की घोषणा से पूर्व सुनी उपभोक्ताओं की दलीलें

#### जगत क्रान्ति 📦 गुरुग्राम

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी)के अध्यक्ष आर.के. पचनंदा और सदस्य नरेश सरदाना ने स्थानीय पावर ग्रिड स्थित एमपी हॉल में आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नई बिजली दरें तय करने से पहले बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें सुनी। इस जन सुनवाई में दक्षिण हरियाणा वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के प्रबंध निदेशक अमित खत्री, निदेशक नीरज आहजा, चीफ इंजीनियर नवीन वर्मा, अनिल शर्मा, अतुल पसरीजा, सीएफओ सुशीला कुमारी और डीएचबीवीएन के अधिकारियों की उपस्थिति में गुरूग्राम, मानेसर और फरीदाबाद के उद्योग संगठनों व व्यवसायिक श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं ने अपनी



सुझाव और दलीलें दी, इन सभी को एचईआरसी अधिकारियों ने नोट किया।

इन सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के सुझाव सुनने के उपरांत एचईआरसी के अध्यक्ष आर.के. पचनंदा ने उपस्थित विद्यत उपभोक्ताओं को आश्चस्त किया कि उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हए बिजली उपभोक्ताओं के हित और संतष्टि उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसके लिए वह पहले ही उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए सर्कल स्तर पर उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सीजीआरएफ) का गठन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि बिजली वितरण निगमों द्वारा आगामी वित्त वर्ष के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) के लिए जो पेटिशन दायर की हुई थी, उन पर बिजली उपभोक्ताओं के सुझाव लिए बिना

एआरआर का आर्डर अधरा है।

**इसलिए** आयोग बिजली उपभोक्ताओं से इस संबंध में सुझाव लेने के लिए गुरुग्राम आया है। चेयरमैन पचनंदा ने बिजली उपभोक्ताओं से कहा कि इस एआरआर पर यदि किसी उपभोक्ता ने कोई अन्य महत्वपूर्ण सुझाव देना है तो वह आगामी तीन दिनों में आयोग को लिखित में सुझाव दे सकता है। इस दौरान एचईआरसी के निदेशक (टैरिफ) संजय वर्मा, निदेशक (तकनीकी) विरेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक (वित्त) मनीष सिंघल, कंसलटेंट संजय बंसल, उप निदेशक (मीडिया) प्रदीप मलिक. डीएचबीवीएन के अधिकारी संजय चुघ, एसई आर के जाजोरिया, एसई गुरुग्राम एमएल रोहिल्ला, पीके चौहान सहित सभी सम्बन्धित अधिकारी तथा कर्मचारी मौजद रहे।

# विजली उपभोक्ताओं के हित और संतुष्टि प्राथमिकताः एचईआरसी

संवाददाता. गुरुगुाम हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचडआरसी) के अध्यक्ष आरके पचनंदा और सदस्य नरेश सरदाना ने स्थानीय पावर ग्रिंड स्थित एमपी हाल में आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नई बिजली दरें तय करने से पहले बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें सुनीं। इसमें दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के प्रबंध निदेशक अमित खत्री, निदेशक नीरज आहुजा, चीफ इंजीनियर नवीन वर्मा, अनिल शर्मा, अतुल पसरीजा, सीएफओ सशीला कुमारी और डीएचबीवीएन के अधिकारियों की उपस्थिति में गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद के उद्योग संगठनों तथा व्यवसायिक श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं ने अपने सझाव दिए। सुझाव सुनने के बाद एचईआरसी अध्यक्ष आरके पचनंदा ने विद्युत उपभोक्ताओं को अष्ट्रवस्त किया कि उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हए बिजली उपभोक्ताओं के हित और संतुष्टि उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए पहले ही उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए सर्कल स्तर पर उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सीजीआरएफ) का गठन किया गया है।

उन्होंने कहा कि बिजली वितरण निगमों द्वारा आगामी वित्त वर्ष के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) के लिए जो पेटिशन दायर की हुई थी उनपर बिजली उपभोक्ताओं के सुझाव लिए बिना एआरआर का आर्डर अध्र है। इस एआरआर पर यदि किसी उपभोक्ता ने कोई अन्य महत्वपूर्ण सुझाव देना है तो वह आगामी तीन दिनों में आयोग को लिखित में सुझाव दे सकता है।

इस दौरान एचईआरसी के निदेशक (टैरिफ) संजय वर्मा, निदेशक (तकनीकी) विरेंद्र सिंह, संयक्त निदेशक (वित्त) मनीष सिंघल, कंसलटेंट संजय बंसल, उप निदेशक (मीडिया) प्रदीप मलिक, डीएचबीवीएन के जनसंपर्क अधिकारी संजय चुघ, एसई आरके जाजोरिया, एसई गुरुग्राम एमएल रोहिल्ला, पीके चौहान सहित सभी संबंधित अधिकारी तथा कर्मचारी मौजद रहे।

## 🕇 एचईआरसी ने गुरुग्राम में सुनी बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें



हरियाणा विद्यत विनियामक आयोग के चेयरमैन आर के पचनन्दा, सदस्य नरेश सरदाना बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें सुनते हुए।

### बेहतर व्यवस्था देने के लिए पतिबद्धः एचर्डआरसी

गुड़गांव, 20 जनवरी (ब्युरो): हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) के अध्यक्ष आर.के. पचनंदा और सदस्य नरेश सरदाना ने स्थानीय पावर ग्रिड स्थित एमपी हॉल में आगामी वित्त वर्ष 2023 - 24 के लिए नई बिजली दरें तय करने से पहले बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें सनी।

इस जन सुनवाई में दक्षिण हरियाणा बिज ली वित र ण निग म (डीएचबीवीएन) के प्रबंध निदेशक अमित खत्री, निदेशक नीरज आहजा, चीफ इंजीनियर नवीन वर्मा, अनिल शर्मा, अतुल पसरीजा, सीएफओ सशीला कमारी और डीएचबीवीएन के अधिकारियों की उपस्थिति में गरूग्राम, मानेसर और फरीदाबाद के उद्योग संगठनों व व्यवसायिक श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं ने अपनी सुझाव और दलीलें दी, इन सभी दलीलों को एचईआरसी के अधिकारियों ने नोट किया। इन सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के सञ्जाव सनने के उपरांत एचईआरसी के अध्यक्ष आर.के. पचनंदा ने उपस्थित विद्युत उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया कि उपलब्ध संसाधनों

को ध्यान में रखते हुए बिजली उपभोक्ताओं के हित और संतष्टि उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसके लिए वह पहले ही उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए सर्कल स्तर पर उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सीजीआरएफ) का गठन कर चके हैं।

बिजली वितरण निगमों द्वारा आगामी वित्त वर्ष के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) के लिए जो पेटिशन दायर की हुई थी, उन पर बिजली उपभोक्ताओं के सझाव लिए बिना एआरआर का आर्डर अधरा है। इसलिए आयोग बिजली उपभोक्ताओं से इस संबंध में सुझाव लेने के लिए गुरुग्राम आया है। चेयरमैन पचनंदा ने बिजली उपभोक्ताओं से कहा कि इस एआरआर पर यदि किसी उपभोक्ता ने कोई अन्य महत्वपूर्ण सुझाव देना है तो वह आगामी तीन दिनों में आयोग को लिखित में सुझाव दे सकता है। इस दौरान एचईआरसी के निदेशक (टैरिफ) संजय वर्मा, निदेशक (तकनीकी) विरेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक (वित्त) मनीष सिंघल, कं सलटेंट संजय बंसल, उप निदेशक प्रदीप (मोडिया) म लिक डीएचबीवीएनके जनसंपर्क अधिकारी संजय चघ मौजद थे।

# नई बिजली दरों की घोषणा से पहले एच.ई.आर.सी. ने गुरुग्राम में सुनी बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें

चंडीगढ़, 20 जनवरी (गौड़): हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) ने वर्ष 2023– 24 के लिए नई बिजली दरें तय करने से पहले शुक्रवार को गुरुग्राम में उपभोक्ताओं की दलीलें सुनीं। एच.ई.आर.सी. के अध्यक्ष आर.के. पचनंदा ने गुरुग्राम के पावर ग्रिड स्थित एम.पी. हॉल में बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें सुनने के उपरांत उन्हें आश्वस्त किया कि उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं के हित और संतुष्टि उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है।

इसके लिए आयोग पहले ही उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए सर्कल स्तर पर उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सी.जी.आर. एफ.) का गठन कर चुका है। इस अवसर पर गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद के उद्योग संगठनों व व्यावसायिक श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं ने अपनी सुझाव और दलीलें भी दी। बैठक में आयोग के सदस्य नरेश सरदाना, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डी.एच.बी.वी.एन.) के प्रबंध निदेशक अमित खत्री, एच.ई.आर.सी. के निदेशक (टैरिफ) संजय वर्मा, उप-निदेशक (मीडिया) प्रदीप मलिक सहित सभी संबंधित अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे।

आर.के. पचनंदा ने कहा कि बिजली वितरण निगमों द्वारा आगामी वित्त वर्ष के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ए.आर.आर.) के लिए जो पेटिशन दायर की हुई थी, उन पर बिजली उपभोक्ताओं के सुझाव लिए बिना ए.आर. आर. का आर्डर अधूरा है। इसलिए आयोग बिजली उपभोक्ताओं से इस संबंध में सुझाव लेने के लिए गुरुग्राम आया है। पचनंदा ने बिजली उपभोक्ताओं से कहा कि इस ए.आर.आर. पर यदि किसी उपभोक्ता ने कोई अन्य महत्वपूर्ण सुझाव देना है तो वह आगामी 3 दिनों में आयोग को लिखित में सुझाव दे सकता है।

# मौजूदा बिजली संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बेहतर व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्धः एचईआरसी

गुरूग्राम, सतबीर भारद्वाज (पंजाब केंसरी ) : हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) के अध्यक्ष आर.के. पचनंदा और सदस्य नरेश सरदाना ने स्थानीय पावर ग्रिड स्थित एमपी हॉल में आगामी वित्त वर्ष 2023 - 24 के लिए नई बिजली दरें तय करने से पहले बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें सुनी। इस जन सुनवाई में दक्षिण हरियाणा वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के प्रबंध निदेशक अमित खत्री, निर्देशक नीरज आहुजा, चीफ इंजीनियर नवीन वर्मा, अनिल शर्मा, अतुल पसरीजा, सीएफओ सुशीला कुमारी और डीएचबीवीएन के अधिकारियों की उपस्थिति में गुरूग्राम, मानेसर और फरीदाबाद के उद्योग संगठनों व व्यवसायिक श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं ने अपनी सुझाव और दलीलें दी, इन सभी दलीलों को एचईआरसी के अधिकारियों ने नोट किया। इन सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के सुझाव सुनने के उपरांत एचईआरसी के अध्यक्ष आर.के. पचनंदा ने उपस्थित विद्युत उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया कि उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बिजली उपभोक्ताओं के हित और संतुष्टि उनके लिए सर्वोच





प्राथमिकता है, इसके लिए वह पहले ही उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए सर्कल स्तर पर उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सीजीआरएफ) का गठन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि बिजली वितरण निगमों द्वारा आगामी वित्त वर्ष के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) के लिए जो पेटिशन दायर की हुई थी, उन पर बिजली उपभोक्ताओं के सुझाव लिए बिना एआरआर का आर्डर अधुरा है। इसलिए आयोग बिजली उपभोक्ताओं से इस संबंध में सुझाव लेने के लिए गुरुग्राम आया है। चेयरमैन पचनंदा ने बिजली उपभोक्ताओं से कहा कि इस एआरआर पर यदि किसी उपभोक्ता ने कोई अन्य महत्वपूर्ण सुझाव देना है तो वह आगामी तीन दिनों में आयोग को लिखित में सुझाव दे सकता है। इस दौरान एचईआरसी के निदेशक (टैरिफ) संजय वर्मा, निदेशक (तकनीकी) विरेन्द्र सिंह, संयक्त निदेशक (वित्त) मनीष सिंघल, कंसलटेंट संजय बंसल, उप निदेशक (मीडिया) प्रदीप मलिक, डीएचबीवीएन के जनसंपर्क अधिकारी संजय चुघ, एसई आर के जाजोरिया, एसई गुरुग्राम एमएल रोहिल्ला, पीके चौहान सहित सभी सम्बन्धित अधिकारी तथा कर्मचारी मौजद रहे।

# नई दरों के एलान से पहले एचईआरसी ने सुनीं बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें

• अधिकारी बोले, बिजली उपभोक्ताओं के हित हैं सर्वोच्च पाथमिकता

सच कहुँ/संजय कुमार मेहरा

गुरुग्राम। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) के अध्यक्ष आर.के. पचनंदा और सदस्य नरेश सरदाना ने स्थानीय पावर ग्रिड स्थित एमपी हॉल में आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नई बिजली दरें तय करने से पहले शुक्रवार को बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें सुनी।

इस जन सुनवाई में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के प्रबंध निदेशक अमित खत्री, निदेशक नीरज आहुजा, चीफ इंजीनियर नवीन वर्मा, अनिल शर्मा, अतल सीएफओ सुशीला पसरीजा. कुमारी और डीएचबीवीएन के अधिकारियों की उपस्थिति में गरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद के उद्योग संगठनों व व्यवसायिक



गुरुग्राम में बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें सुनते हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन आरके पचनन्दा।

## सुझाव लिए बिना एआरआर का आर्डर अधूरा

उन्होंने कहा कि बिजली वितरण निगमों द्वारा आगामी वित्त वर्ष के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) के लिए जो पीटिशन दायर की हुई थी, उन पर बिजली उपभोक्ताओं के सुझाव लिए बिना एआरआर का आर्डर अधूरा है। इसलिए आयोग बिजली उपभोक्ताओं से इस संबंध में सुझाव लेने के लिए गुरुग्राम आया है। चेयरमैन पचनंदा ने बिजली उपभोक्ताओं से कहा कि इस एआरआर पर यदि किसी उपभोक्ता ने कोई अन्य महत्वपूर्ण सुझाव देना है तो वह आगामी तीन दिनों में आयोग को लिखित में सुझाव दे सकता है।

अधिकारियों ने नोट किया।

उपभोक्ताओं के सुझाव सुनने के पहले ही उपभोक्ताओं अपनी सुझाव और दलीलें दीं। इन उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते गठन कर चुके हैं।

सभी दलीलों को एचईआरसी के हुए बिजली उपभोक्ताओं के हित और संतुष्टि उनके लिए सर्वोच्च इन सभी श्रेणी के बिजली प्राथमिकता है, इसके लिए वह उपरांत एचईआरसी के अध्यक्ष शिकायतों के निवारण के लिए आर.के. पचनंदा ने उपस्थित विद्युत सर्कल स्तर पर उपभोक्ता शिकायत श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं ने उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया कि निवारण मंच (सीजीआरएफ) का

# नई बिजली दरों की घोषणा से पहले एचईआरसी ने सुनी बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें: आरके पचनंदा

### मौजूद बिजली संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बेहतर व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्ध

### बिजली उपभोक्ताओं के हित सर्वोच्च प्राथमिकता

#### सवेरा ब्यूरो

चंडीगढ़, 20 जनवरी : हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग प्रदेश में वर्तमान बिजली संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बेहतर व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्ध है। उपभोक्ताओं के हित ही आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस कड़ी में वर्ष 2023-24 के लिए नई बिजली दरें तय करने से पहले गुरुग्राम में उपभोक्ताओं की दलीलें एचईआरसी के अध्यक्ष आरके पचनंदा ने गुरुग्राम के पावर ग्रिड स्थित एमपी हॉल में बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद उन्होंने विद्युत उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया कि उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बिजली उपभोक्ताओं के हित और संतुष्टि उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए आयोग पहले ही उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए सर्कल स्तर पर उपभोक्ता

का गठन कर चुका है। इस अवसर पर गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद के उद्योग संगठनों व व्यावसायिक श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं ने अपनी सुझाव और दलीलें भी दी। बैठक में आयोग के सदस्य नरेश सरदाना, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के प्रबंध निदेशक अमित खत्री, एचईआरसी के निदेशक (टैरिफ) संजय वर्मा, उप-निदेशक (मीडिया) प्रदीप मलिक सहित सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

आगामी तीन दिन में उपभोक्ता आयोग को दे सकते हैं लिखित में सुझाव: आरके पचनंदा ने कहा कि बिजली वितरण निगमों द्वारा आगामी वित्त वर्ष के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) के लिए जो पेटिशन दायर की हुई थी, उन पर बिजली उपभोक्ताओं के सुझाव लिए बिना एआरआर का आर्डर अधूरा है इसलिए आयोग बिजली उपभोक्ताओं से इस संबंध में सुझाव लेने के लिए गुरुग्राम आया है। पचनंदा ने बिजली उपभोक्ताओं से कहा कि इस एआरआर पर यदि किसी उपभोक्ता ने कोई अन्य महत्वपूर्ण सुझाव देना है तो वह आगामी तीन दिनों में आयोग को लिखित

## मौजूद बिजली संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बेहतर व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्ध: एचईआरसी



ब्यूरो/गुड़गांव मेल

गुड़गांव, 20 जनवरी। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी)के अध्यक्ष आर.के. पचनंदा और सदस्य नरेश सरदाना ने स्थानीय पावर ग्रिड स्थित एमपी हॉल में आगामी वित्त वर्ष 2023 - 24 के लिए नई बिजली दरें तय करने से पहले बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें सुनी।

इस जन सुनवाई में दर्बाषण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के प्रबंध निदेशक अमित खत्री, निदेशक नीरज आहूजा, चीफ इंजीनियर नवीन वर्मा, अनिल शर्मा, अतुल पसरीजा, सीएफओ सुशीला कुमारी और डीएचबीवीएन के अधिकारियों की उपस्थिति में गुरूग्राम, मानेसर और फरीदाबाद के उद्योग संगठनों व व्यवसायिक श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं ने अपनी सुझाव और दलीलें दी, इन सभी दलीलों को एचईआरसी के अधिकारियों ने नोट किया। इन सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के सुझाव सुनने के उपरांत एचईआरसी के अध्यक्ष आर के. पचनंदा ने उपस्थित विद्युत उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया कि उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बिजली उपभोक्ताओं के हित और संतुष्टि उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसके लिए वह पहले ही उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए सर्वल स्तर पर उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सीजीआरएफ) का गठन कर चुके हैं।

उन्होंने कहा कि बिजली वितरण निगमों द्वारा आगामी वित्त वर्ष के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) के लिए जो पेटिशन दायर की हुई थी, उन पर बिजली उपभोक्ताओं के सुझाव लिए बिना

एआरआर का आर्डर अधुरा है। इसलिए आयोग बिजली उपभोक्ताओं से इस संबंध में सुझाव लेने के लिए गुरुग्राम आया है। चेयरमैन पचर्नदा ने बिजली उपभोक्ताओं से कहा कि इस एआरआर पर यदि किसी उपभोक्ता ने कोई अन्य महत्वपूर्ण सुझाव देना है तो वह आगामी तीन दिनों में आयोग को लिखित में सुझाव दे सकता है। इस दौरान एचईआरसी के निदेशक (टैरिफ) संजय वर्मा, निदेशक (तकनीकी) विरेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक (वित्त) मनीष सिंघल, कंसलटेंट संजय बंसल, उप निदेशक (मीडिया) प्रदीप मलिक, डीएचबीवीएन के जनसंपर्क अधिकारी संजय चुघ, एसई आर के जाजोरिया, एसई गुरुग्राम एमएल रोहिल्ला, पीके चौहान सहित सभी सम्बन्धित अधिकारी तथा कर्मचारी मौजद रहे।

# नई बिजली दरों की घोषणा से पहले एचईआरसी ने सुनी उपभोक्ताओं की दलीलें

#### अमर भारती संवाददाता

हरियाणा गुरुग्राम। विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) के अध्यक्ष आरके पचनंदा और सदस्य नरेश सरदाना ने स्थानीय पावर ग्रिड स्थित एमपी हॉल में आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नई बिजली दरें तय करने से शुक्रवार को बिजली पहले उपभोक्ताओं की दलीलें सुनी। इस जन सुनवाई में दक्षिण हरियाणा वितरण निगम प्रबंध (डीएचबीवीएन) के निदेशक अमित खत्री, निदेशक नीरज आहजा, चीफ इंजीनियर नवीन वर्मा, अनिल शर्मा, अतुल पसरीजा, सीएफओ सुशीला कुमारी और डीएचबीवीएन के अधिकारियों की उपस्थिति में गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद के उद्योग संगठनों व व्यवसायिक श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं ने अपनी सुझाव और दलीलें दीं। इन सभी दलीलों को एचईआरसी के अधिकारियों ने नोट किया। इन सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के सुझाव सुनने के उपरांत एचईआरसी के अध्यक्ष आरके पचनंदा ने उपस्थित विद्यत उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया कि



उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बिजली उपभोक्ताओं के हित और संतुष्टि उनके लिए सर्वो च्च प्राथमिकता है, इसके लिए वह पहले ही उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए सकज्ल स्तर पर उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सीजीआरएफ) का गठन कर चुके हैं। चेयरमैन पचनंदा ने बिजली उपभोक्ताओं से कहा कि इस एआरआर पर यदि किसी उपभोक्ता ने कोई अन्य महत्वपूर्ण सुझाव देना है तो वह आगामी तीन दिनों में आयोग को लिखित में सुझाव दे सकता है। इस दौरान एचईआरसी के निदेशक (टैरिफ) संजय वर्मा, निदेशक (तकनीकी) विरेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक (वित्त) मनीष सिंघल, कंसलटेंट संजय बंसल, उप निदेशक (मीडिया) प्रदीप मलिक, डीएचबीवीएन के जनसंपर्क अधिकारी संजय चुघ, एसई आरके जाजोरिया, एसई गुरुग्राम एमएल रोहिल्ला, पीके चौहान सहित सभी सम्बन्धित अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे।

## एचईआरसी अध्यक्ष ने बिजली उपभोक्ताओं की सुनी दलील

#### संवाददाता

गुरुग्राम । हरियाणा विद्यत विनियामक आयोग (एचईआरसी)के अध्यक्ष आर.के. पचनंदा और सदस्य नरेश सरदाना ने स्थानीय पावर ग्रिड स्थित एमपी हॉल में आगामी वित्त वर्ष 2023 - 24 के लिए नई बिजली दरें तय करने से पहले बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें सनी। इस जन सुनवाई में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के प्रबंध निदेशक अमित खत्री, निदेशक नीरज आहजा, चीफ इंजीनियर नवीन वर्मा, अनिल शर्मा, अतुल पसरीजा, सीएफओ सुशीला कुमारी और डीएचबीवीएन के अधिकारियों की उपस्थिति गरूग्राम, मानेसर और फरीदाबाद के उद्योग संगठनों व व्यवसायिक श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं ने अपनी सुझाव और दलीलें दी, इन सभी को एचईआरसी अधिकारियों ने नोट किया। इन सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के सझाव सनने के उपरांत एचईआरसी के अध्यक्ष आर.के. पचनंदा ने उपस्थित विद्यत उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया कि उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बिजली उपभोक्ताओं के हित और संतुष्टि उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसके लिए वह पहले ही उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए सर्कल स्तर पर उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सीजीआरएफ) का गठन कर चुके हैं।

उन्होंने कहा कि बिजली वितरण निगमों द्वारा आगामी वित्त वर्ष के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता



(एआरआर) के लिए जो पेटिशन दायर की हुई थी, उन पर बिजली उपभोक्ताओं के सझाव लिए बिना एआरआर का आर्डर अधुरा है। इसलिए आयोग बिजली उपभोक्ताओं से इस संबंध में सझाव लेने के लिए गुरुग्राम आया है। चेयरमैन पचनंदा ने बिजली उपभोक्ताओं से कहा कि इस एआरआर पर यदि किसी उपभोक्ता ने कोई अन्य महत्वपुर्ण सुझाव देना है तो वह आगामी तीन दिनों में आयोग को लिखित में सुझाव दे सकता है। इस दौरान एचईआरसी के निदेशक (टैरिफ) संजय वर्मा, निदेशक (तकनीकी) विरेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक (वित्त) मनीष सिंघल, कंसलटेंट संजय बंसल. उप निदेशक (मीडिया) प्रदीप मलिक. डीएचबीवीएन के जनसंपर्क अधिकारी संजय चघ, एसई आर के जाजोरिया, एसई गुरुग्राम एमएल रोहिल्ला, पीके चौहान सहित सभी सम्बन्धित अधिकारी तथा कर्मचारी मौजद रहे।

- हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन आर के पचनन्दा, सदस्य नरेश सरदाना बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें सुनते हुए।
- बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें आदि सुनवाई के दौरान उपस्थित डीएचबीवीएन के प्रबंध निदेशक अमित खत्री व अन्य।

### मौजूदा बिजली संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बेहतर व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्ध : एचईआरसी

## बिजली उपभोक्ताओं के हित हैं सर्वोच्च प्राथमिकता

#### » नई बिजली दरों की घोषणा से पहले एचईआरसी ने गुरुग्राम में सुनी बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें

गुरूग्राम । हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी)के अध्यक्ष आर.के. पचनंदा और सदस्य नरेश सरदाना ने स्थानीय पावर ग्रिड स्थित एमपी हॉल में आगामी वित्त वर्ष 2023 - 24 के लिए नई बिजली दरें तय करने से पहले बिजली उपभोकाओं की दलीलें सुनी । इस जन सुनवाई में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन)

बिजली वितरण निगम (डाएचबावाएन) के प्रबंध निदेशक अमित खत्री, निदेशक नीरज आहुजा, चीफ इंजीनियर नवीन वर्मा, अनिल शर्मा, अनुल पसरीजा, सीएफओ सुशीला कुमारी और डीएचबीवीएन के अधिकारियों की उपस्थित में गुरूग्राम, मानेसर और फरीदाबाद के उद्योग संगठनों व व्यवसायिक श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं ने अपनी सुझाव और दलीलें दी, इन सभी दलीलों को एचईआरसी के अधिकारियों ने



नोट किया। इन सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के सुझाव सुनने के उपरांत एचईआरसी के अध्यक्ष आर.के. पचनंदा ने उपस्थित विद्युत उपभोक्ताओं को आश्वरत किया कि उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बिजली उपभोक्ताओं के हित और संतुष्टि उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसके लिए वह पहले ही उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए सर्वल स्तर पर उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सीजीआरएफ) का गठन कर चके हैं।

उन्होंने कहा कि बिजली वितरण निगमों द्वारा आगामी वित्त वर्ष के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) के लिए जो पेटिशन दायर की हुई थी, उन पर बिजली उपभोक्ताओं के सुझाव लिए बिना एआरआर का आर्डर अधूरा है। इसलिए आयोग बिजली उपभोक्ताओं से इस संबंध में सुझाव लेने के लिए गुरुग्राम आया है। चेयरमैन पचनंदा ने बिजली उपभोकाओं से कहा कि इस एआरआर पर यदि किसी उपभोक्ता ने कोई अन्य महत्वपूर्ण सुझाव देना है तो वह आगामी तीन दिनों में आयोग को लिखित में सुझाव दे सकता है। इस दौरान एचईआरसी के

निदेशक (टैरिफ) संजय वर्मा, निदेशक (तकनीकी) विरेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक (वित्त) मनीय सिंघल, कंसलटेंट संजय बंसल, उप निदेशक (मीडिया) प्रदीप मिलक, डीएचबीवीएन के जनसंपर्क अधिकारी संजय चुघ, एसई आर के जाजोरिया, एसई गुरुग्राम एमएल रोहिल्ला, पीके चौहान सिंहत सभी सम्बन्धित अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे।

# नई बिजली दरें तय करने से पहले एचईआरसी के अध्यक्ष ने उपभोक्ताओं की दलीलें सुनीं

बिजली उपभोक्ताओं के हित है सर्वोच्च प्राथमिकताः पचनंदा



#### भास्कर न्यूज | गुड़गांव

विनियामक विद्युत (एचईआरसी) के अध्यक्ष आरके पचनंदा और सदस्य नरेश सरदाना ने स्थानीय पावर ग्रिड स्थित एमपी हॉल में आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नई बिजली दरें तय करने से पहले बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें सुनीं। इस जन सुनवाई में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के प्रबंध निदेशक अमित खत्री, निदेशक नीरज आहुजा, चीफ इंजीनियर नवीन वर्मा, अनिल शर्मो, अतुल पसरीजा, सीएफओ सुशीला कुमारी और डीएचबीवीएन के अधिकारियों की उपस्थिति में गुड़गांव, मानेसर और फरीदाबाद के उद्योग संगठनों व व्यवसायिक श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं ने अपनी सुझाव और दलीलें दीं, इन सभी दलीलों को एचईआरसी के अधिकारियों ने नोट किया। इन सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के सुझाव सुनने के बाद एचईआरसी के अध्यक्ष आरके पचनंदा ने उपस्थित विद्युत उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया कि उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बिजली उपभोक्ताओं के हित और संतुष्टि उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसके लिए वह पहले ही उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए सर्कल स्तर पर उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सीजीआरएफ) का गठन कर चुके हैं।

उन्होंने कहा कि बिजली वितरण निगमों द्वारा आगामी वित्त वर्ष के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) के लिए जो पेटिशन दायर की हुई थी, उन पर बिजली उपभोक्ताओं के सुझाव लिए बिना एआरआर का ऑर्डर अधूरा है। इसलिए आयोग बिजली उपभोक्ताओं से इस संबंध में सुझाव लेने के लिए गुड़गांव आया है। चेयरमैन पचनंदा ने बिजली उपभोक्ताओं से कहा कि इस एआरआर पर यदि किसी उपभोक्ता ने कोई अन्य महत्वपूर्ण सुझाव देना है तो वह आगामी तीन दिनों में आयोग को लिखित में सुझाव दे सकता है।

# नई बिजली दरों की घोषणा से पहले एचईआरसी ने गुरुग्राम में सुनी उपभोक्ताओं की दलीलें

गुरुग्राम। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) के अध्यक्ष आरके पचनंदा और सदस्य नरेश सरदाना ने स्थानीय पावर ग्रिड स्थित एमपी हॉल में आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नई बिजली दरें तय करने से पहले शुक्रवार को बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें सुनी।

इस जन सुनवाई में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के प्रबंध निदेशक अमित खत्री, निदेशक नीरज आहुजा, चीफ इंजीनियर नवीन वर्मा, अनिल शर्मा, अतुल पसरीजा, सीएफओ सुशीला कुमारी और डीएचबीवीएन के अधिकारियों की उपस्थिति में गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद के उद्योग संगठनों व व्यवसायिक श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं ने अपनी सुझाव और दलीलें दी। इन सभी दलीलों को एचईआरसी के अधिकारियों ने नोट किया।

इन सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के सुझाव सुनने के उपरांत एचईआरसी के अध्यक्ष आरके पचनंदा ने उपस्थित विद्युत उपभोक्ताओं



को आश्चस्त किया कि उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बिजली उपभोक्ताओं के हित और संतुष्टि उनके लिए सर्वों च्च प्राथमिकता है, इसके लिए वह पहले ही उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए सकउल स्तर पर उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सीजीआरएफ) का गठन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि बिजली वितरण निगमों

द्वारा आगामी वित्त वर्ष के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) के लिए जो पेटिशन दायर की हुई थी, उन पर बिजली उपभोक्ताओं के सङ्गाव लिए बिना एआरआर का आर्डर अधूरा है। इसलिए आयोग बिजली उपभोक्ताओं से इस संबंध में सुझाव लेने के लिए गुरुग्राम आया है। चेयरमैन पचनंदा ने बिजली उपभोक्ताओं से कहा कि इस एआरआर पर यदि किसी उपभोक्ता ने कोई अन्य महत्वपूर्ण सुझाव देना है तो वह आगामी तीन दिनों में आयोग को लिखित में सुझाव दे सकता है। इस दौरान एचईआरसी के निदेशक (टैरिफ) संजय वर्मा, निदेशक (तकनीकी) विरेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक (वित्त) मनीष सिंघल, कंसलटेंट संजय बंसल, उप निदेशक (मीडिया) प्रदीप मलिक, डीएचबीवीएन के जनसंपर्क अधिकारी संजय चुघ, एसई आरके जाजोरिया, एसई गुरुग्राम एमएल रोहिला, पीके चौहान सहित सभी सम्बन्धित अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे।

## नव समाचार 21.01.2023

# मीजूद बिजली संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बेहतर व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्ध



## बिजली उपभोक्ताओं के हित हैं सर्वोच्च प्राथमिकताः आर.के. पचनंदा

गुरुग्राम (नव समाचार)। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष आर.के. पचनंदा और सदस्य नरेश सरदाना ने स्थानीय पावर ग्रिड स्थित एमपी हॉल में आगामी वित्त वर्ष 2023 - 24 के लिए नई बिजली दरें तय करने से पहले बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें सुनी। इस जन सुनवाई में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के प्रबंध निदेशक अमित खत्री, निदेशक नीरज आहूजा, चीफ इंजीनियर नवीन वर्मा, अनिल शर्मा, अतुल पसरीजा, सीएफओ सुशीला कुमारी और डीएचबीवीएन के अधिकारियों की

में गुरूग्राम, मानेसर और फरीदाबाद के उद्योग संगठनों व व्यवसायिक श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं ने अपनी सुझाव और दलीलें दी, इन सभी दलीलों को एचईआरसी के अधिकारियों ने नोट किया। इन सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के सुझाव सुनने के उपरांत एचईआरसी के अध्यक्ष आर.के. पचनंदा ने उपस्थित विद्युत उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया कि उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बिजली उपभोक्ताओं के हित और संतुष्टि उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसके लिए वह पहले ही उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए सर्कल स्तर पर उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सीजीआरएफ) का गठन कर चुके हैं।

# मौजूद बिजली संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बेहतर व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्ध



जनसुनवाई में बिजली संबंधित समस्या रखते उपभोक्ता।

गुरुग्राम, बुलंद खोज / लोकेश कुमार। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) के अध्यक्ष आरके पचनंदा और सदस्य नरेश सरदाना ने स्थानीय पावर ग्रिड स्थित एमपी हॉल में आगामी वित्त वर्ष 2023 - 24 के लिए नई बिजली दरें तय करने से पहले बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें सुनी। इस जन सुनवाई में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के प्रबंध निदेशक अमित खत्री, निदेशक नीरज आहूजा, चीफ इंजीनियर नवीन वर्मा, अनिल शर्मा, अतुल पसरीजा, सीएफओ सुशीला कुमारी और डीएचबीवीएन के अधिकारियों की उपस्थित में गुरूग्राम, मानेसर और फरीदाबाद के उद्योग संगठनों व व्यवसायिक श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं ने अपनी सुझाव और दलीलें दी, इन सभी दलीलों को एचईआरसी के अधिकारियों ने नोट किया। इन सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के सुझाव सुनने के उपरांत एचईआरसी के अध्यक्ष आर.के. पचनंदा ने उपस्थित विद्युत उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया कि उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बिजली उपभोक्ताओं के हित और संतुष्टि उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसके लिए वह पहले ही उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए सर्कल स्तर पर उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सीजीआरएफ) का गठन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि बिजली वितरण निगमों द्वारा आगामी वित्त वर्ष के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) के लिए जो पेटिशन दायर की हुई थी, उन पर बिजली उपभोक्ताओं के सुझाव लिए बिना एआरआर का आर्डर अधुरा है। इसलिए आयोग बिजली उपभोक्ताओं से इस संबंध में सुझाव लेने के लिए गुरुग्राम आया है। चैयरमैन पचनंदाँ ने बिजली उपभोक्ताओं से कहा कि इस एआरआर पर यदि किसी उपभोक्ता ने कोई अन्य महत्वपूर्ण सुझाव देना है तो वह आगामी तीन दिनों में आयोग को लिखित में सुझाव दे सकता है।

### एचईआरसी ने सुनीं उपभोक्ताओं की दलीलें



गुरुग्राम में विजली उपभोक्ताओं की दलीलें सुनते हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन आरके पचनन्दा।

गुरुग्राम। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) के अध्यक्ष आरके पचनंदा और सदस्य नरेश सरदाना ने स्थानीय पावर ग्रिड स्थित एमपी हॉल में आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नई बिजली दरें तय करने से पहले शुक्रवार को बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें सुनी। इस जन सुनवाई में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के प्रबंध निदेशक अमित खत्री, निदेशक नीरज आहजा, चीफ इंजीनियर नवीन वर्मा, अनिल शर्मा, अतुल पसरीजा, सीएफओ सुशीला कुमारी और डीएचबीवीएन के अधिकारियों की उपस्थिति में गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद के उद्योग संगठनों व व्यवसायिक श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं ने अपनी सुझाव और दलीलें दों। इन संभी दलीलों को एचईआरसी के अधिकारियों ने नीट किया। इन सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के सुझाव सुनने के उपरांत एचईआरसी के अध्यक्ष आरके पचनंदा ने उपस्थित विद्यत उपभोकाओं को आश्वस्त किया कि उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बिजली उपभोक्ताओं के हित और संतृष्टि उनके लिए सर्वो च्च प्राथमिकता है, इसके लिए वह पहले ही उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए सर्कल स्तर पर उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सीजीआरएफ) का गठन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि बिजली वितरण निगमों द्वारा आगामी वित्त वर्ष के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एँआरआर) के लिए जो पेटिशन दायर की हुई थी, उन पर बिजली उपभोकाओं के सुझाव लिए बिना एआरआर का आर्डर अधुरा है। इसलिए आयोग बिजली उपभोक्ताओं से इस संबंध में सुझाव लेने के लिए गुरुग्राम आया है। चेयरमैन पचनंदा ने बिजली उपभोक्ताओं से कहा कि इस एआरआर पर यदि किसी उपभोक्ता ने कोई अन्य महत्वपूर्ण सुझाव देना है तो वह आगामी तीन दिनों में आयोग को लिखित में सुझाव दे सकता है। इस दौरान एचईआरसी के निदेशक (टैरिफ) संजय वर्मा, निदेशक (तकनीकी) विरेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक (वित्त) मनीय सिंघल, कंसलटेंट संजय बंसल, उप निदेशक (मीडिया) प्रदीप मलिक, डीएचबीवीएन के जनसंपर्क अधिकारी संजय चुघ, एसई आरके जांजीरिया, एसई गुरुग्राम एमएल रोहिल्ला, पीके चौहान सहित सभी सम्बन्धित अधिकारी तथा कर्मचारी मौजद रहे।

## नई बिजली दरों को लेकर एचईआरसी सम्मुने सुनीं उपभोक्ताओं की दलीलें

बिजली उपभोक्ताओं

के हित सर्वोच्च

प्राथमिकता : पचनंदा

गुरुग्राम (एसएनबी)। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) के अध्यक्ष आरके पचनंदा और सदस्य नरेश सरदाना ने स्थानीय पावर ग्रिड स्थित एमपी हॉल में आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नई बिजली दरें तय करने से पहले शुक्रवार को

बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें सुनीं। जन सुनवाई में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के प्रबंध निदेशक अमित खत्री, निदेशक नीरज आहूजा, चीफ इंजीनियर नवीन वर्मा, अनिल शर्मा, अतुल पसरीजा, सीएफओ सुशीला

कुमारी और डीएचबीवीएन के अधिकारियों की उपस्थित में गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद के उद्योग संगठनों व व्यवसायिक श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं ने अपनी सुझाव और दलीलें दीं। इन सभी दलीलों को एचईआरसी के अधिकारियों ने नोट किया।

का मापदंड : कौशिक

ते

त

ग

4

ह

Π,

玄

fi

हो

स

इन सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के सुझाव सुनने के उपरांत एंचईआरसी के अध्यक्ष आरके पचनंदा ने उपस्थित विद्युत उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया कि उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बिजली उपभोक्ताओं के हित और संतुष्टि उनके लिए सर्वो च्च प्राथमिकता है, इसके लिए वह पहले ही उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए सकज्ल स्तर पर उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच दुसीजीआरएफ)

का गठन कर चुके हैं।

उन्होंने कहा कि बिजली वितरण निगमों द्वारा आगामी वित्त वर्ष के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता हुएआरआर) के लिए जो पेटिशन दायर की हुई थी, उन पर बिजली उपभोक्ताओं के 6

सुझाव लिए बिना एआरआर का आर्डर अधूरा है। इसलिए आयोग बिजली उपभोक्ताओं से इस संबंध में सुझाव लेने के लिए गुरुग्राम आया है। चेयरमैन पचनंदा ने बिजली उपभोक्ताओं से कहा कि इस एआरआर पर यदि किसी उपभोक्ता ने कोई अन्य महत्वपूर्ण सुझाव देना है तो वह आगामी तीन दिनों में आयोग को लिखित में सुझाव दे सकता है। इस दौरान एचईआरसी के निदेशक (टैरिफ) संजय वर्मा, निदेशक (तकनीकी) विरेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक (वित्त) मनीष सिंघल, कंसलटेंट संजय बंसल, उप निदेशक (मीडिया) प्रदीप मलिक, डीएचबीवीएन के जनसंपर्क अधिकारी संजय चुघ, एसई

आरके जाजोरिया सहित सभी सम्बन्धित अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे।

एचएसपीसीबी के अध्यक्ष ने



## 'उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देने का करेंगे प्रयास'



■ विस, गुड़गांव : हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HRC) ने स्थानीय पावर ग्रिड के एमपी हॉल में आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नई बिजली दरें तय करने से पहले बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें सुनी। इस दौरान आयोग के सदस्यों और

2023-24 के लिए नई बिजली दरें तय करने के लिए हुई बैठक निगम के अधिकारियों को सुझाव भी दिए गए। इस जन सुनवाई में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) के प्रबंध निदेशक अमित

खत्री और अन्य अधिकारियों की उपस्थित में गुड़गांव, मानेसर और फरीदाबाद के उद्योग संगठनों व व्यावसायिक श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं ने अपनी सुझाव और दलीलें दी। इन सभी दलीलों को एचईआरसी के अधिकारियों ने नोट किया। उपभोक्ताओं के सुझाव सुनने के बाद एचईआरसी के अध्यक्ष आरके पचनंदा ने कहा कि वह उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सीजीआरएफ) का गठन कर चुके हैं। आगामी वित्त वर्ष के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) के लिए जो पेटिशन दायर की हुई थी, उन पर बिजली उपभोक्ताओं के सुझाव लिए बिना एआरआर का आर्डर अध्रा है।

1203271921-1-13

# बिजली दर की घोषणा से पहले दलीलें सुनीं

गुरुग्राम। आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नई बिजली दरें तय करने से पहले बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें सुनी गई। शुक्रवार को हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी)के अध्यक्ष आरके पचनंदा और सदस्य नरेश सरदाना ने स्थानीय पावर ग्रिड स्थित एमपी हॉल में जन सुनवाई में हुई।

इसमें गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद के उद्योग संगठनों व व्यवसायिक श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं ने अपनी सुझाव और दलीलें दीं। उपभोक्ताओं के सुझाव सुनने के बाद एचईआरसी अध्यक्ष आरके पचनंदा ने उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया कि उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बिजली उपभोक्ताओं के हित और संतुष्टि उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है।

# उपभोक्ताओं के हित सर्वोच्च प्राथमिकता : आरके पचनंदा

गुरुग्राम, २० जनवरी (निस्)

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) के अध्यक्ष आरके पचनंदा और सदस्य नरेश सरदाना ने स्थानीय पावर ग्रिड स्थित एमपी हॉल में आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नई बिजली दरें तय करने से पहले बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें सुनी। इस मौके पर आरके पचनंदा ने कहा कि उपभोक्तओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। इस जन सुनवाई में डीएचबीवीएन के प्रबंध निदेशक अमित खत्री, निदेशक नीरज आहूजा, चीफ इंजीनियर नवीन वर्मा, अनिल शर्मा, अतुल पसरीजा, सीएफओ सुशीला और डीएचबीवीएन कुमारी अधिकारियों की उपस्थिति में बिजली उपभोक्ताओं ने सुझाव और दलीलें दीं।

# नई बिजली दरों की घोषणा से पहले एचईआरसी ने रूट गुरुग्राम में सुनी उपभोक्ताओं की दलीलें

गुरुग्राम। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) के अध्यक्ष आरके पचनंदा और सदस्य नरेश सरदाना ने स्थानीय पायर ग्रिड स्थित एमपी हॉल में आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नई बिजली दरें तय करने से पहले शुक्रवार को बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें सुनी।

इस जन सुनवाई में दक्षिण श्ररेयाणा बिजली वितरण निगम (श्रीएचबीवीएन) के प्रबंध निदेशक अमित खत्री, निदेशक नीरज आह्जा, चीफ इंजीनियर नवीन वर्मा, अनिल शर्मा, अनुल पसरीजा, सीएफओ सुशीला कुमारी और श्रीएचबीवीएन के अधिकारियों की उपस्थिति में गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद के उद्योग संगठनों व व्यवसायिक श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं ने अपनी सुझ्ख और दलीलें दीं। इन सभी दलीलों को एचईआरसी के अधिकारियों ने नोट किया।

इन सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के सुझाव सुनने के उपरांत एचईआरसी के अध्यक्ष आरके पष्टांदा ने उपस्थित विद्युत उपभोक्ताओं



को आध्यस्त किया कि उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बिजली उपभोक्ताओं के हित और मंतुष्टि उनके लिए सर्वो च्च प्राथमिकता है. इसके लिए वह पहले ही उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए सकडल स्तर पर उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सीजीआरएफ) का गठन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि बिजली वितरण निगमों द्वारा आगामी वित्त वर्ष के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) के लिए जो पेटिशन दायर की हुई थी, उन पर बिजली उपभोक्ताओं के सुझाव लिए बिना एआरआर का आडंर अधुरा है। इसलिए आयोग बिजली उपभोक्ताओं से इस संबंध में सुझाव लेने के लिए गुरुग्राम आया है। चेयरमैन पचनंदा ने बिजली उपभोक्ताओं से कहा कि इस प्रआरआर पर यदि किसी उपभोक्ता ने कोई अन्य महत्वपूर्ण सुझाव देना है तो वह आगामी तीन दिनों में आयोग को लिखित में सुझाव दे सकता है। इस दौरान एचईआरसी के निदेशक (टैरिफ) संजय वर्मा, निदेशक (तकनीकी) विरेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक (वित्त) मनीष सिंघल, कंसलटेंट संजय बंसल, उप निदेशक (मीडिया) प्रदीप मलिक, डीएचबीवीएन के जनसंपर्क अधिकारी संजय चुघ, एसई आरके जाजोरिया, एसई गुरुग्राम एमएल रोहिल्ला, पीके चौहान सहित सभी सम्बन्धित अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे।

# मीजूद बिजली संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बेहतर व्यवस्था देने के लिए एचईआरसी प्रतिबद्ध : पचनंदा

चंडीगढ़, 20 जनवरी (विशेष संवाददाता): हिरयाणा विद्युत विनियामक आयोग प्रदेश में वर्तमान बिजली संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बेहतर व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्ध है और उपभोक्ताओं के हित ही आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस कड़ी में वर्ष 2023-24 के लिए नई बिजली दरें तय करने से पहले आज गुरुग्राम में उपभोक्ताओं की दलीलें सुनी। एचईआरसी के अध्यक्ष आरके पचनंदा ने गुरुग्राम के पावर ग्रिड स्थित एमपी हॉल में बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें सुनने उपरांत उन्होंने विद्युत उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया कि उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बिजली उपभोक्ताओं के हित और संतुष्टि उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसके लिए आयोग पहले ही उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए सर्कल स्तर पर उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सीजीआरएफ) का गठन कर चुका है। इस अवसर पर गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद के उद्योग संगठनों व व्यावसायिक श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं ने अपनी सुझाव और दलीलें भी दी।

बैठक में आयोग के सदस्य नरेश सरदाना, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के प्रबंध निदेशक अमित खत्री, एचईआरसी के निदेशक (टैरिफ) संजय वर्मा सिहत सभी संबंधित अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे। आरके पचनंदा ने कहा कि बिजली वितरण निगमों द्वारा आगामी वित्त वर्ष के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) के लिए जो पेटिशन दायर की हुई थी, उन पर बिजली उपभोक्ताओं के सुझाव लिए बिना एआरआर का आर्डर अधूरा है। इसलिए आयोग बिजली उपभोक्ताओं से इस संबंध में सुझाव लेने के लिए गुरुग्राम आया है। पचनंदा ने बिजली उपभोक्ताओं से कहा कि इस एआरआर पर यदि किसी उपभोक्ता ने कोई अन्य महत्वपूर्ण सुझाव देना है तो वह आगामी तीन दिनों में आयोग को लिखित में सुझाव दे सकता है।

# पंजाब केसरी

### बेहतर व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्ध

Edited By Archna Sethi, Updated: 20 Jan, 2023 07:39 PM



हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग प्रदेश में वर्तमान बिजली संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बेहतर व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्ध है और उपभोक्ताओं के हित ही आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस कड़ी में

वर्ष 2023-24 के लिए नई बिजली दरें तय करने से पहले आज...

चंडीगढ़, 20 जनवरी- (अर्चना सेठी) हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग प्रदेश में वर्तमान बिजली संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बेहतर व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्ध है और उपभोक्ताओं के हित ही आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस कड़ी में वर्ष 2023-24 के लिए नई बिजली दरें तय करने से पहले आज गुरुग्राम में उपभोक्ताओं की दलीलें सुनी।

एचईआरसी के अध्यक्ष आर.के. पचनंदा ने गुरुग्राम के पावर ग्रिड स्थित एमपी हॉल में बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें सुनने उपरांत उन्होंने विद्युत उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया कि उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते ह्ए बिजली उपभोक्ताओं के हित और संतुष्टि उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसके लिए आयोग पहले ही उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए सर्कल स्तर पर उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सीजीआरएफ) का गठन कर चुका है। इस अवसर पर गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद के उद्योग संगठनों व व्यावसायिक श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं ने अपनी स्झाव और दलीलें भी दी।

बैठक में आयोग के सदस्य नरेश सरदाना, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के प्रबंध निदेशक अमित खत्री, एचईआरसी के निदेशक (टैरिफ) संजय वर्मा, उप-निदेशक (मीडिया) प्रदीप मलिक सहित सभी सम्बन्धित अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे। आर.के. पचनंदा ने कहा कि बिजली वितरण निगमों द्वारा आगामी वित्त वर्ष के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) के लिए जो पेटिशन दायर की हुई थी, उन पर बिजली उपभोक्ताओं के सुझाव लिए बिना एआरआर का आर्डर अधूरा है। इसलिए आयोग बिजली उपभोक्ताओं से इस संबंध में सुझाव लेने के लिए गुरुग्राम आया है। श्री पचनंदा ने बिजली उपभोक्ताओं से कहा कि इस एआरआर पर यदि किसी उपभोक्ता ने कोई अन्य महत्वपूर्ण सुझाव देना है तो वह आगामी तीन दिनों में आयोग को लिखित में सुझाव दे सकता है।

Home > एनसीआर > गुडगाँव > मौजुद बिजली संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बेहतर व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्ध: एचईआरसी

### मौजूद बिजली संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बेहतर व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्धः एचईआरसी

























#### अजीत सिन्हा की रिपोर्ट

गुरुग्राम:हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी)के अध्यक्ष आर.के. पचनंदा और सदस्य नरेश सरदाना ने स्थानीय पावर ग्रिड स्थित एमपी हॉल में आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नई बिजली दरें तय करने से पहले बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें सुनी। इस जनसुनवाई में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के प्रबंध निदेशक अमित खत्री, निदेशक नीरज आहूजा, चीफ इंजीनियर नवीन वर्मा,अनिल शर्मा, अतुल पसरीजा, सीएफओ सुशीला कुमारी और डीएचबीवीएन के अधिकारियों की उपस्थिति में गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद के उद्योग संगठनों व व्यावसायिक श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं ने अपनी सुझाव और दलीलें दी,

इन सभी दलीलों को एचईआरसी के अधिकारियों ने नोट किया। इन सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के सुझाव जानने के उपरांत एचईआरसी के अध्यक्ष आर.के. पचनंदा ने उपस्थित विद्युत उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया कि उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बिजली उपभोक्ताओं के हित और संतुष्टि उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसके लिए वह पहले ही उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए सर्कल स्तर पर उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सीजीआरएफ) का गठन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि बिजली वितरण निगमों द्वारा आगामी वित्त वर्ष के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) के लिए जो पिटीशन दायर की हुई थी, उन पर बिजली उपभोक्ताओं के सुझाव लिए बिना एआरआर का आर्डर अधूरा है। इसलिए आयोग बिजली उपभोक्ताओं से इस संबंध में सुझाव लेने के लिए गुरुग्राम आया है। चेयरमैन पचनंदा ने बिजली उपभोक्ताओं से कहा कि इस एआरआर पर यदि किसी उपभोक्ता ने कोई अन्य महत्वपूर्ण सुझाव देना है तो वह आगामी तीन दिनों में आयोग को लिखित में सुझाव दे सकता है। इस दौरान एचईआरसी के निदेशक (टैरिफ) संजय वर्मा, निदेशक (तकनीकी) विरेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक (वित्त) मनीष सिंघल,कंसलटेंट संजय बंसल, उप निदेशक (मीडिया) प्रदीप मलिक, डीएचबीवीएन के जनसंपर्क अधिकारी संजय चुघ, एसई आर के जाजोरिया, एसई गुरुग्राम एमएल रोहिल्ला, पीके चौहान सिहत सभी सम्बन्धित अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे।



HOME

INDIA

WORLD

DHARM

HEALTH

**ENTERTAINMENT** 

CRIME

LIFEST

Home > sanjay chugh > नई बिजली दरों की घोषणा से पहले एवईआरसी ने गुरुग्राम में सुनी बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें

### नई बिजली दरों की घोषणा से पहले एचईआरसी ने गुरुग्राम में सुनी बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें

& ajeybharat O Friday, January 20, 2023

- मौजूद बिजली संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बेहतर व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्ध: एचईआरसी
- बिजली उपभोक्ताओं के हित हैं सर्वोच्च प्राथमिकता: आर.के. पचनंदा
- नई बिजली दरों की घोषणा से पहले एचईआरसी ने गुरुग्राम में सुनी बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें
- -एचईआरसी चेयरमैन ने कहा कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण के लिए सर्कल स्तर पर सीजीआरएफ बना चुके हैं



#### गुरूग्राम, २० जनवरी, २०२३।

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी)के अध्यक्ष आर.के. पचनंदा और सदस्य नरेश सरदाना ने स्थानीय पावर ग्रिड स्थित एमपी हॉल में आगामी वित्त वर्ष 2023 - 24 के लिए नई बिजली दरें तय करने से पहले बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें सुनी।

इस जन सुनवाई में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के प्रबंध निदेशक अमित खत्री, निदेशक नीरज आहूजा, चीफ इंजीनियर नवीन वर्मा, अनिल शर्मा, अतुल पसरीजा, सीएफओ सुशीला कुमारी और डीएचबीवीएन के अधिकारियों की उपस्थित में गुरूग्राम, मानेसर और फरीदाबाद के उद्योग संगठनों व व्यवसायिक श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं ने अपनी सुझाव और दलीलें दी, इन सभी दलीलों को एचईआरसी के अधिकारियों ने नोट किया। इन सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के सुझाव सुनने के उपरांत एचईआरसी के अध्यक्ष आर.के. पचनंदा ने उपस्थित विद्युत उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया कि उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बिजली उपभोक्ताओं के हित और संतुष्टि उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसके लिए वह पहले ही उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए सर्कल स्तर पर उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सीजीआरएफ) का गठन कर चुके हैं।



उन्होंने कहा कि बिजली वितरण निगमों द्वारा आगामी वित्त वर्ष के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) के लिए जो पेटिशन दायर की हुई थी, उन पर बिजली उपभोक्ताओं के सुझाव लिए बिना एआरआर का आर्डर अधूरा है। इसलिए आयोग बिजली उपभोक्ताओं से इस संबंध में सुझाव लेने के लिए गुरुग्राम आया है। चेयरमैन पचनंदा ने बिजली उपभोक्ताओं से कहा कि इस एआरआर पर यदि किसी उपभोक्ता ने कोई अन्य महत्वपूर्ण सुझाव देना है तो वह आगामी तीन दिनों में आयोग को लिखित में सुझाव दे सकता है। इस दौरान एचईआरसी के निदेशक (टैरिफ) संजय वर्मा, निदेशक (तकनीकी) विरेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक (वित्त) मनीष सिंघल, कंसलटेंट संजय बंसल, उप निदेशक (मीडिया) प्रदीप मलिक, डीएचबीवीएन के जनसंपर्क अधिकारी संजय चुघ, एसई आर के जाजोरिया, एसई गुरुग्राम एमएल रोहिल्ला, पीके चौहान सहित सभी सम्बन्धित अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे।

# उदयपुर किरण

गुरुग्राम: नई बिजली दरों की घोषणा से पहले एचईआरसी ने सुनीं उपभोक्ताओं की दलीलें



-बिजली उपभोक्ताओं के हित हैं सर्वोच्च प्राथमिकता: आरके पचनंदा

गुरुग्राम, . हरियाणा (Haryana) विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) के अध्यक्ष आरके पचनंदा और सदस्य नरेश सरदाना ने स्थानीय पावर ग्रिड स्थित एमपी हॉल में आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नई बिजली दरें तय करने से पहले शुक्रवार (Friday) को बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें स्नी.

इस जन सुनवाई में दक्षिण हरियाणा (Haryana) बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के प्रबंध निदेशक अमित खत्री, निदेशक नीरज आहूजा, चीफ इंजीनियर नवीन वर्मा, अनिल शर्मा, अतुल पसरीजा, सीएफओ सुशीला कुमारी और डीएचबीवीएन के अधिकारियों की उपस्थिति में गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद (faridabad) के उद्योग संगठनों व व्यवसायिक श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं ने अपनी स्झाव और दलीलें दीं. इन सभी दलीलों को एचईआरसी के अधिकारियों ने नोट किया.

इन सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के सुझाव सुनने के उपरांत एचईआरसी के अध्यक्ष आरके पचनंदा ने उपस्थित विद्युत उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया कि उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बिजली उपभोक्ताओं के हित और संतुष्टि उनके लिए सर्वो च्च प्राथमिकता है, इसके लिए वह पहले ही उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए सकज़्ल स्तर पर उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सीजीआरएफ) का गठन कर चुके हैं.

उन्होंने कहा कि बिजली वितरण निगमों द्वारा आगामी वित्त वर्ष के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) के लिए जो पेटिशन दायर की हुई थी, उन पर बिजली उपभोक्ताओं के सुझाव लिए बिना एआरआर का आर्डर अधूरा है. इसलिए आयोग बिजली उपभोक्ताओं से इस संबंध में सुझाव लेने के लिए गुरुग्राम (Gurugram)आया है. चेयरमैन पचनंदा ने बिजली उपभोक्ताओं से कहा कि इस एआरआर पर यदि किसी उपभोक्ता ने कोई अन्य महत्वपूर्ण सुझाव देना है तो वह आगामी

तीन दिनों में आयोग को लिखित में सुझाव दे सकता है. इस दौरान एचईआरसी के निदेशक (टैरिफ) संजय वर्मा, निदेशक (तकनीकी) विरेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक (वित्त) मनीष सिंघल, कंसलटेंट संजय बंसल, उप निदेशक (मीडिया (Media)) प्रदीप मिलक, डीएचबीवीएन के जनसंपर्क अधिकारी संजय चुघ, एसई आरके जाजोरिया, एसई गुरुग्राम (Gurugram)एमएल रोहिल्ला, पीके चौहान सिहत सभी सम्बन्धित अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे.



# मौजूद बिजली संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बेहतर व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्ध: एचईआरसी

Jan 20, 2023 <u>aap party haryana, haryana congress, haryana sarkar, INLD, jjp, एचईआरसी)के अध्यक्ष आर.के.</u> पचनंदा, डीएचबीवीएन, मुख्यमंत्री मनोहर लाल



बिजली उपभोक्ताओं के हित हैं सर्वोच्च प्राथमिकता: आर.के. पचनंदा

नई बिजली दरों की घोषणा से पहले एचईआरसी ने गुरुग्राम में सुनी बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें

-एचईआरसी चेयरमैन ने कहा कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण के लिए सर्कल स्तर पर सीजीआरएफ बना चुके हैं



गुरूग्राम, 20 जनवरी, 2023। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी)के अध्यक्ष आर.के. पचनंदा और सदस्य नरेश सरदाना ने स्थानीय पावर ग्रिड स्थित एमपी हॉल में आगामी वित वर्ष 2023 – 24 के लिए नई बिजली दरें तय करने से पहले बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें सुनी।

इस जन स्नवाई में दक्षिण हरियाणा

बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के प्रबंध निदेशक अमित खत्री, निदेशक नीरज आहूजा, चीफ इंजीनियर नवीन वर्मा, अनिल शर्मा, अतुल पसरीजा, सीएफओ सुशीला कुमारी और डीएचबीवीएन के अधिकारियों की उपस्थिति में गुरूग्राम, मानेसर और फरीदाबाद के उद्योग संगठनों व व्यवसायिक श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं ने अपनी सुझाव और दलीलें दी, इन सभी दलीलों को एचईआरसी के अधिकारियों ने नोट किया। इन सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के सुझाव सुनने के उपरांत एचईआरसी के अध्यक्ष आर.के. पचनंदा ने उपस्थित विद्युत उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया कि उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बिजली उपभोक्ताओं के हित और संतुष्ट उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसके लिए वह पहले ही उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए सर्कल स्तर पर उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सीजीआरएफ) का गठन कर चुके हैं।

उन्होंने कहा कि बिजली वितरण निगमों द्वारा आगामी वित्त वर्ष के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) के लिए जो पेटिशन दायर की हुई थी, उन पर बिजली उपभोक्ताओं के सुझाव लिए बिना एआरआर का आर्डर अध्रा है। इसलिए आयोग बिजली उपभोक्ताओं से इस संबंध में सुझाव लेने के लिए गुरुग्राम आया है। चेयरमैन पचनंदा ने बिजली उपभोक्ताओं से कहा कि इस एआरआर पर यदि किसी उपभोक्ता ने कोई अन्य महत्वपूर्ण सुझाव देना है तो वह आगामी तीन दिनों में आयोग को लिखित में सुझाव दे सकता है। इस दौरान एचईआरसी के निदेशक (टैरिफ) संजय वर्मा, निदेशक (तकनीकी) विरेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक (वित) मनीष सिंघल, कंसलटेंट संजय बंसल, उप निदेशक (मीडिया) प्रदीप मलिक, डीएचबीवीएन के जनसंपर्क अधिकारी संजय चुघ, एसई आर के जाजोरिया, एसई गुरुग्राम एमएल रोहिल्ला, पीके चौहान सहित सभी सम्बन्धित अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे।



मीज़द बिजली संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बेहतर व्यवस्था देने के तिए प्रतिबद्ध एवईआरसी

- बिज़ली उपभोक्ताओं के हित हैं सर्वोच्च प्राथमिकता: आर.के. पचनदा

्नई बिजली दरों की घोषणा से पहले एचईआरबी ने गुनशाम में सुनी बिजली उपभोक्ताओं को दलीलें -एचईआरसी चेयरमेन ने कहा कि उपभोक्ताओं की विकायतों का निवारण के लिए सर्कट्स स्तर पर सीखीआरएफ बना चुके हैं

गुरूसाम् २० जनवरी २०२३।

हरियाणा विदयुत विनिधामक आयोग (एचईआरसी)के अध्यक्ष आर.के. पवनंदा और सदस्य नरेश सरदाना ने स्थानीय पावर फिड स्थित एमपी हॉल में आगामी वित्त वर्ष 2023 - 24 के लिए नई बिजली उर तथ करने से पहले बिजली उपभोक्ताओं की दलील किराय मिगन (हीएचबीवीएन) के प्रकंप निदेशक अधिक स्थान विद्याल अमित खड़ी. निदेशक नीरक अधुकार में मान प्रतिच्यान अभित खड़ी. निदेशक नीरक अधुकार मान स्थान विज्ञान स्थान के अधिकारी में मुरूपान मानेसर और प्रनीदाबाद के उद्योग संगठनों व व्यवसायिक श्रेणी के विज्ञती 

उन्होंने कहा कि बिजती वितरण निगमों द्वारा आगामी वित्त वर्ष के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर का आईर अधूरा है। इसलिए आयोग बिजती उपभोक्ताओं से इस संबंध में सुझाव लेने के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर पर यदि किसी उपभोक्ता) के लिए वार्षिक राजस्व अग्रामी तीन दिनों में आयोग को लिखित में सुझाव देन है तो वह अग्रामी तीन दिनों में आयोग को लिखित में सुझाव देन है तो वह अग्रामी तीन दिनों में आयोग को लिखित में सुझाव दे सकता है। इस दौरान एवईआरबी के निदेशक (नित) मनीष शिवल, कसलटेंट संजय बंसल, उप निदेशक (मिटिया) प्रतीप मतिक. डीएवडीवीएन के जनसंपर्क अधिकारी संजय व्हा. एसई आर के काओरिया. एसई गुरुपाम एमएत रोहिल्ला. पीके चौहान सहित सभी सम्बन्धित अधिकारी संजय व्हा.

1. हरियाणा विदयुत विनियासक आयोग के चेयरसैन आर के पत्तनन्दा. सदस्य नरेश सरदाना बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें सुनते हुए।

बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें आदि सुनवाई के दौरान उपस्थित डीएवबीवीएन के प्रबंध निदेशक अमित खत्री व अन्य







Home/राज्य/हरियाणा/नई बिजली दरों की घोषणा से पहले एचईआरसी ने गुरुग्राम में सुनी बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें

हरियाणा

# नई बिजली दरों की घोषणा से पहले एचईआरसी ने गुरुग्राम में सुनी बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें

चंडीगढ़, 20 जनवरी- हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग प्रदेश में वर्तमान बिजली संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बेहतर व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्ध है और उपभोक्ताओं के हित ही आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस कड़ी में वर्ष 2023-24 के लिए नई बिजली दरें तय करने से पहले आज गुरुग्राम में उपभोक्ताओं की दलीलें सुनी।

एचईआरसी के अध्यक्ष आर.के. पचनंदा ने गुरुग्राम के पावर ग्रिड स्थित एमपी हॉल में बिजली उपभोक्ताओं की दलीलें सुनने उपरांत उन्होंने विद्युत उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया कि उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बिजली उपभोक्ताओं के हित और संतुष्टि उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसके लिए आयोग पहले ही उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए सर्कल स्तर पर उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सीजीआरएफ) का गठन कर चुका है। इस अवसर पर गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद के उद्योग संगठनों व व्यावसायिक श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं ने अपनी सुझाव और दलीलें भी दी।

बैठक में आयोग के सदस्य नरेश सरदाना, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के प्रबंध निदेशक अमित खत्री, एचईआरसी के निदेशक (टैरिफ) संजय वर्मा, उप-निदेशक (मीडिया) प्रदीप मलिक सहित सभी सम्बन्धित अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे।

श्री आर.के. पचनंदा ने कहा कि बिजली वितरण निगमों द्वारा आगामी वित्त वर्ष के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) के लिए जो पेटिशन दायर की हुई थी, उन पर बिजली उपभोक्ताओं के सुझाव लिए बिना एआरआर का आर्डर अधूरा है। इसलिए आयोग बिजली उपभोक्ताओं से इस संबंध में सुझाव लेने के लिए गुरुग्राम आया है। श्री पचनंदा ने बिजली उपभोक्ताओं से कहा कि इस एआरआर पर यदि किसी उपभोक्ता ने कोई अन्य महत्वपूर्ण सुझाव देना है तो वह आगामी तीन दिनों में आयोग को लिखित में सुझाव दे सकता है।

# पंजाद केसरी Monday • 23.1.2023

# हरियाणा में बिजली के नए टैरिफ से पहले राज्य<sup>ी</sup> सलाहकार समिति की मीटिंग 25 को पंचकूला में

चंडीगढ़, 22 जनवरी (गौड़): वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ए.आर.आर.) ऑर्डर से पहले हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) ने 25 जनवरी को राज्य सलाहकार समिति (एस.ए.सी.) की मीटिंग रखी है। यह मीटिंग पंचकूला स्थित एच.ई.आर.सी. के कांफ्रेंस रूम में होगी।

कमीशन ने बिजली कंपनियों की ए.आर.आर. पेटिशन पर जन सुनवाई पूरी कर ली है। पहली पब्लिक हियरिंग 11 जनवरी को जहां हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम (एच.पी.जी.सी.एल.) और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम (एच.वी.पी.एन.) की पब्लिक हियरिंग एच.ई.आर.सी. के पंचकूला स्थित कोर्ट रूम में हुई वहीं, 12 जनवरी को उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यू.एच.बी.वी.एन.) की पहली पब्लिक हियरिंग पंचकूला में तो दूसरी 13 जनवरी को पानीपत में हुई।

इसी प्रकार 17 जनवरी को दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डी.एच.बी.वी.एन.) की एक पब्लिक हियरिंग पंचकूला में हुई तो दूसरी 20 जनवरी को गुरुग्राम स्थित पावरग्रिड टाऊनशिप के एम.पी. हॉल में सम्पन्न हुई। इस दौरान एच.ई.आर सी. ने बिजली कंपनियों और बिजली उपभोक्ताओं की दलीलों को रिकॉर्ड किया।

### कमीशन करता है जनसुनवाइयों का आयोजन

हर साल 30 नवम्बर से पहले इन बिजली कंपनियों को एक पेटिशन की शक्ल में अपना पूरा लेखा-जोखा एच.ई.आर सी. में फाइल करना होता है, उसके बाद कमीशन की तरफ से जनसुनवाइयों का आयोजन किया जाता है। इन जन सुनवाइयों के उपरांत ही एच.ई.आर सी. अपना निर्णय देता है।

उससे पहले एस. ए. सी. की एक मीटिंग बुलाई जाती है। जिसमें एस. ए. सी. के सदस्य बिजली सुधारों और बिजली निगमों के ए. आर. आर. की पेटिशन पर अपने सुझाव देते हैं। इन पब्लिक हियरिंग में पावर यूटीलिटिस के एम. डी., निगमों के वरिष्ठ अधिकारियों व विभिन्न श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं ने शिकरत की। एस. ए. सी. की मीटिंग की अध्यक्षता एच. ई. आर. सी. के अध्यक्ष आर. के. पचनंदा करेंगे।

### राज्य सलाहकार समिति की बैठक 25 को

चंडीगढ़। हरियाणा में बिजली की नई दरों को निर्धारित करने के लिए हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) ने 25 जनवरी को राज्य सलाहकार समिति (एसएसी) की बैठक बुलाई है। पंचकूला स्थित आयोग कार्यालय में होने वाली बैठक में समिति के साथ दरों को लेकर समीक्षा की जाएगी और सुझाव भी मांगे जाएंगे। एसएसी की बैठक की अध्यक्षता एचईआरसी के अध्यक्ष आरके पचनंदा करेंगे और सदस्य नरेश सरदाना के साथ साथ समिति के 21 सदस्य मौजूद रहेंगे। हर साल हरियाणा में 1 अप्रैल से बिजली की नई दरें लागू होती है। ब्यूरो

### राज्य सलाहकार समिति की बैठक 25 को

चंडीगढ़। हरियाणा में बिजली की नई दरों को निर्धारित करने के लिए हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) ने 25 जनवरी को राज्य सलाहकार समिति (एसएसी) की बैठक बुलाई है। पंचकूला स्थित आयोग कार्यालय में होने वाली बैठक में समिति के साथ दरों को लेकर समीक्षा की जाएगी और सुझाव भी मांगे जाएंगे। ब्यूरो

## एआरआर आर्डर से पहले एचईआरसी ने 25 जनवरी को रखी एसएसी की बैठक

- पंचकूला हियत एचईआरसी के कांफ्रेंस रून में होगी बैठक
- बिजली कंपनियों की एआरआर पेटिशनस पर जनसुनवाई हुई पूरी

#### सवेरा ब्यूरो

चंडीगढ़, 22 जनवरी: वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) आडंर से पहले हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) ने 25 जनवरी को राज्य सलाहकार समिति (एसएसी) की बैठक होगी। बैठक पंचकृला स्थित एचईआरसी के कांफ्रेंस रूप में होगी। गत 11 जनवरी को जहां हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम (एचपीजीसीएल) और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम (एचवीपीएन) को पब्लिक हियरिंग एचईआरसी के पंचकूला स्थित कोर्ट रूम में हुई। वहीं 12 जनवरी को उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) की पब्लिक हियरिंग पंचकुला स्थित एचईआरसी के कोर्ट रूम में और दूसरी 13 जनवरी को पानीपत स्थित स्काईलार्क टूरिस्ट रिसोर्ट में हुई।

इसके बाद गत 17 जनवरी को दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (ढीएचबीवीएन) की पब्लिक हियरिंग पंचकृला स्थित एचईआरसी कोर्ट रूम में हुई और दूसरी 20 जनवरी को गुरुग्राम स्थित पावरग्रिड टाउनिशिप के एमपी हॉल में संपन्न हुई। एचईआरसी ने बिजली कंपनियों और बिजली उपभोक्ताओं की दलीलों को रिकॉर्ड किया। हर साल 30 नवंबर से पहले बिजली कंपनियों को एक पटीशन की शक्ल में अपना पूरा लेखा-जोखा एचईआरसी में फाइल करना होता है।

उसके बाद एचईआरसी की तरफ से जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है। इनके बाद ही एचईआरसी अपना निर्णय देता है। उससे पहले राज्य सलाहकार समिति (एसएसी) की बैठक बुलाई जाती है। इसमें एसएसी के सदस्य बिजली सुधारों और बिजली निगमों के वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) की पटीशन पर अपने सुझाव देते हैं। पब्लिक हियरिंग में पावर यूटीलिटिस के एमडी, निगमों के विजली उपभोक्ताओं ने शिकरत की। एसएसी की मीटिंग की अध्यक्षता एचईआरसी के अध्यक्ष करते हैं। एचईआरसी के सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। वर्तमान में एचईआरसी के अध्यक्ष आरके पचनंदा है और सदस्य नरेश सरदाना है।

### एआरआर आर्डर से पहले एचईआरसी ने एसएसी बैठक में लिया फीडबैक

#### सवेरा ब्यूरो

चंडीगढ, 25 जनवरी : हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) की पंचकुला स्थित आयोग के कांफ्रेंस रूम में राज्य सलाहकार समिति (एसएसी) की 28वीं बैठक संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता एचईआरसी के चेयरमैन आरके पचनंदा ने की। सदस्य के तौर पर एचईआरसी के सदस्य नरेश सरदाना सहित अन्य सदस्यों के तौर पर हरियाणा बिजली उत्पादन निगम (एचपीजीसीएल) के प्रबंध निदेशक मोहम्मद शाइन, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के प्रबंध निदेशक अमित खत्री, हरियाणा अक्षय ऊर्जा के निदेशक एस. नारायणन, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निदेशक मुकुल कुमार, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) के निदेशक अश्वनी रहेजा, निदेशक (वित्त) अमित दिवान, डीएचबीवीएन की सीएफओ सुशीला कुमारी सहित एसएसी के सदस्यों ने बैठक में हिस्सा लिया। इलेक्ट्रिसटी एक्ट के सैक्शन 87 में एसएसी के गठन और सैक्शन 88 में एसएसी के कार्यों का उल्लेख

है। वर्तमान संदर्भ में बिजली से संबंधित सभी मामलों और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा संबंधी मामलों का विचार विमर्श किया गया। एसएसी की बैठक में हरियाणा के बिजली निगमों ने, जो वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) पटीशन दायर की हुई थी, उन पर एचईआरसी जन सुनवाई पहले ही आयोजित कर चुका है। 11 जनवरी को एचपीजीसीएल और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम (एचवीपीएन) की जन सुनवाई पंचकृला स्थित एचईआरसी के कोर्ट रूम में हुई थी। 12 जनवरी को यूचबीवीएन की एक जन सुनवाई पंचकुला स्थित एचईआरसी के कोर्ट रूम और दूसरी स्काईलार्क टूरिस्ट रिसोर्ट पानीपत में हुई। इसी तरह डीएचबीवीएन की एक पब्लिक हियरिंग 17 जनवरी को पंचकुला स्थित एचईआरसी के कोर्ट रूम और दूसरी 20 जनवरी को गुरुग्राम स्थित पावरग्रिड टाउनशिप के एमपी हॉल में संपन्न हुई थी। इन जन सुनवाई के बाद एचईआरसी की ओर से एसएसी की बैठक बुलाई गई ताकि एचपीजीसीएल, एचवीपीएन, युएचबीवीएन और डीएचबीवीएन के

एआरआर आर्डर से पहले इन एआरआर की पटीशन पर सुझाव लिए जा सकें। एसएसी की बैठक में सभी सदस्यों के महत्वपूर्ण सुझावों को नोट कर लिए गया। बैठक में सदस्य अरविंद कुमार ने एग्रो इंडस्ट्री के नए कनेक्शन को लेकर फीडर संबंधी कुछ जरूरी सुझाव दिए। इस पर एचईआरसी के चेयरमैन पचनंदा ने डीएचबीवीएन एमडी को कहा कि इनके सुझाव लिखित में लेकर उनका मृल्यांकन करते हुए उन पर नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने के लिए यथासंभव कदम उठाए जाएं। इस मौके पर विद्युत लोकपाल वीरेंद्र सिंह, एचईआरसी के सचिव नरेंद्र कुमार, निदेशक (टैरिफ) संजय वर्मा, संयुक्त निदेशक (वित्त) मनीष सिंघल, कंसलटेंट संजय बंसल, उप निदेशक (मीडिया) प्रदीप मिलक, उप निदेशक (वित्त) ॲकिता महाजन, उप निदेशक (वितरण) डॉ. रणधीर सिंह व विधि अधिकारी अलोका शर्मा सहित बिजली निगमों के वरिष्ठ अधिकारी मौजुद रहे।

### 3 5 24 5 गुरुवार, 26 जनवरी 2023

### एआरआर आर्डर से पहले एचईआरसी ने एसएसी मीटिंग में लिया फीडबैक



पंचकुला/चंडीगढ। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) की बुधवार को पंचकुला स्थित आयोग के कांफ्रेंस रूम में राज्य सलाहकार समिति (एसएसी) की 28वीं मीटिंग संपन्न हुई। जिसकी अध्यक्षता एचईआरसी के चेबरमैन आर. के. पचनंदा ने की, सदस्य के तौर पर एचईआरसी के सदस्य नरेश सरदाना, अन्य सदस्यों के तौर पर हरियाणा बिजली उत्पादन निगम (एचपीजीसीएल) के प्रबंध निदेशक मोहम्मद शाईन ,दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के प्रबंध निदेशक अमित खत्री, हरियाणा अक्षय ऊर्जा के निदेशक एस. नारायणन, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निदेशक मुकुल कुमार, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) के निदेशक अश्वनी रहेजा, निदेशक (वित्त) अमित दिवान, डीएचबीवीएन की सीएफओ सुशीला कुमारी सहित एसएसी के सदस्यों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। उल्लेखनीय है कि इलेक्ट्रिसटी एक्ट 2003 के सेक्शन 87 में एसएसी के गठन और सेक्शन 88 में एसएसी के कार्यों का उल्लेख है। वर्तमान संदर्भ में बिजली से संबंधित सभी मामलों और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा संबंधी मामलों का विचार विमर्श किया गया। एसएसी की मीटिंग में हरियाणा के बिजली निगमों ने जो वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) पिटीशन दायर की हुई थी, उन पर एचईआरसी जन सुनवाई पहले ही आयोजित कर चुका है। 11

जनवरी को एचपीजीसीएल और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम (एचवीपीएन) की जन सुनवाई पंचकूला स्थित एचईआरसी के कोर्ट रूम में हुई थी, 12 जनवरी को युचबीवीएन की एक जन सुनवाई पंचकुला स्थित एचईआरसी के कोर्ट रूम में तथा दूसरी स्काईलार्क ट्रिस्ट रिसोर्ट पानीपत में, इसी तरह डीएचबीबीएन की एक पब्लिक हियरिंग 17 जनवरी को पंचकुला स्थित एचईआरसी के कोर्ट रूम में तथा दूसरी 20 जनवरी को गुरुग्राम स्थित पावरग्रिड टाउनशिप के एमपी हॉल में सम्पन्न हुई थी। इन जन सुनवाइयों के बाद एचईआरसी की ओर से यह एसएसी की मीटिंग बुलाई गई थी, ताकि एचपीजीसीएल, एचवीपीएन, यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन के एआरआर आर्डर से पहले इन एआरआर की पिटीशन पर सुझाव लिये जा सके। एसएसी की मीटिंग में सभी सदस्यों के महत्वपूर्ण सुझावों को नोट कर लिए गया। वहीं, मीटिंग में एक सदस्य अरविंद कुमार ने एग्रो इंडस्ट्री के नए कनेक्शन को लेकर फीडर संबंधी कुछ जरूरी सुझाव दिए, इस पर एचईआरसी के चेयरमैन पचनंदा ने डीएचबीवीएन एमडी को कहा कि इनके सुझाव लिखित में लेकर उनका मुल्यांकन करते हुए उन पर नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करना सनिश्चित करें। चेयरमैन पचनन्दा ने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों को सरक्षित रखने के लिए यथासम्भव कदम उठाए जाएं। इस मौके पर विद्युत लोकपाल वीरेंद्र सिंह, एचईआरसी के सचिव नरेंद्र कुमार, निदेशक (टैरिफ) संजय वर्मा, संयुक्त निदेशक (वित्त) मनीष सिंघल, कंसलटेंट संजय बंसल, उप निदेशक (मीडिया) प्रदीप मलिक, उप निदेशक (बित्त) अंकिता महाजन, उप निदेशक (वितरण) डॉ रणधीर सिंह व विधि अधिकारी अलोका शर्मा सहित बिजली निगमों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

# पंजाब केसरी 26.01.2023

# एस.ए.सी. की मीटिंग में उपभोवताओं के हितों की सुरक्षा पर विचार-विमर्श

चंडीगढ़, 25 जनवरी (गौड़): हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) की बुधवार को पंचकूला स्थित आयोग के कांफ्रेंस रूम में राज्य सलाहकार समिति (एस.ए.सी.) की 28वीं मीटिंग संपन्न हुई।जिसकी अध्यक्षता एच.ई.आर.सी. के चेयरमैन आर.के. पचनंदा ने की।

सिंदस्य के तौर पर आयोग के सदस्य नरेश सरदाना, अन्य सदस्यों के तौर पर हरियाणा बिजली उत्पादन निगम (एच.पी.जी.सी.एल.) के प्रबंध निदेशक मोहम्मद शाईन, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डी.एच.बी.वी.एन.) के प्रबंध निदेशक अमित खत्री, हरियाणा अक्षय ऊर्जी के निदेशक एस. नारायणन, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निदेशक मुकुल कुमार, उत्तर हरियाणा बिजली वितंरण निगम (यू.एच.बी.वी.एन.) के निदेशक अश्वनी रहेजा, निदेशक (वित्त) अमित दिवानं. डी.एच.बी.वी.एन. की सी.एफ.ओ.

सुशीला कुमारी सिहत एस.ए.सी. के सदस्यों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। इलै्ट्रिरसिटी एक्ट-2003 के सैक्शन-87 में एस.ए.सी. के गठन और सैक्शन-88 में एस.ए.सी. के कार्यों का उल्लेख है। वर्तमान संदर्भ में बिजली से संबंधित सभी मामलों और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा संबंधी मामलों का विचार-विमर्श किया गया।

एस.ए.सी. की मीटिंग में हरियाणा के बिजली निगमों ने जो वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ए.आर.आर.) पेटीशन दायर की हुई थी, उन पर एच.ई.आर.सी. जन सुनवाई पहले ही आयोजित कर चुका है।

इन जन सुनवाइयों के बाद एच.ई.आर.सी. की ओर से यह एस.ए.सी. की मीटिंग बुलाई गई थी, ताकि एच.पी. जी. सी. एल., एच.वी.पी.एन., यू.एच.बी.वी.एन. और डी.एच. बी. वी. एन. के ए.आर.आर. ऑर्डर से पहले इन पेटीशन पर सुझाव लिए जा सके।

### एचईआरसी ने एसएसी मीटिंग में लिया फीडबैक

चंडीगढ़। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) की बुधवार को पंचकूला स्थित आयोग के कांफ्रेंस रूम में राज्य सलाहकार समिति (एसएसी) की 28वीं मीटिंग संपन्न हुई। जिसकी अध्यक्षता एचईआरसी के चेयरमैन आर. के. पचनंदा ने की, सदस्य के तौर पर एचईआरसी के सदस्य नरेश सरदाना, अन्य सदस्यों के तौर पर हरियाणा बिजली उत्पादन निगम (एचपीजीसीएल) के प्रबंध निदेशक मोहम्मद शाईन ,दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के प्रबंध निदेशक अमित खत्री सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

### एआरआर आर्डर से पहले एचईआरसी ने एसएसी मीटिंग में लिया फीडबैक

#### भारत सारथी

चंडीगढ, 25 जनवरी। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) की बधवार को पंचकला स्थित आयोग के कांफ्रेंस रूम में राज्य सलाहकार समिति (एसएसी) की 28वीं मीटिंग संपन्न हुई। जिसकी अध्यक्षता एचईआरसी के चेयरमैन आर. के. पचनंदा ने की, सदस्य के तौर पर एचईआरसी के सदस्य नरेश सरदाना, अन्य सदस्यों के तौर पर हरियाणा बिजली उत्पादन निगम (एचपीजीसीएल) के प्रबंध निदेशक मोहम्मद शाईन, दर्अषण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के प्रबंध निदेशक अमित खत्री, हरियाणा अक्षय ऊर्जा के निदेशक एस, नारायणन, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निदेशक मुकुल कुमार, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) के निदेशक अश्वनी रहेजा, निदेशक (वित्त) अमित दिवान, डीएचबीवीएन की सीएफओ सुशीला कुमारी सहित एसएसी के सदस्यों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया।



उल्लेखनीय है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के सेक्शन 87 में एसएसी के गठन और सेक्शन 88 में एसएसी के कार्यों का उल्लेख है। वर्तमान संदर्भ में बिजली से संबंधित सभी मामलों और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा संबंधी मामलों का विचार विमर्श किया गया। एसएसी की मीटिंग में हरियाणा के बिजली निगमों ने जो वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) पिटीशन दायर की हुई थी, उन पर एचईआरसी जन सुनवाई पहले

ही आयोजित कर चुका है। 11 जनवरी को एचपीजीसीएल और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम (एचवीपीएन) की जन सनवाई पंचकला स्थित एचईआरसी के कोर्ट रूम में हुई थी, 12 जनवरी को युचबीवीएन की एक जन सुनवाई पंचकुला स्थित एचईआरसी के कोर्ट रूम में तथा दूसरी स्काईलार्क ट्रिस्ट रिसोर्ट पानीपत में, इसी तरह डीएचबीवीएन की एक पर्बलक हियरिंग 17 जनवरी को पंचकुला संधत एचईआरसी के कोर्ट रूम में तथा दूसरी 20 जनवरी को गरुग्राम संधत पावरग्रिड टाउनशिप के एमपी हॉल में सम्पन्न हुई थी। इन जन सुनवाइयों के बाद एचईआरसी की ओर से यह एसएसी की मीटिंग बुलाई गई थी, ताकि एचपीजीसीएल, एचवीपीएन, युएचबीवीएन और डीएचबीवीएन के एआरआर आर्डर से पहले इन एआरआर की पिटीशन पर सुझाव लिये जा सके। एसएसी की मीटिंग में सभी सदस्यों के महत्वपूर्ण सुझावों को नोट कर लिए गया।

वहीं, मीटिंग में एक सदस्य अरविंद कुमार ने एग्रो इंडस्ट्री के नए कनेक्शन को लेकर फीडर संबंधी कुछ जरूरी सुझाव दिए, इस पर एचईआरसी के चेयरमैन पचनंदा ने डीएचबीवीएन एमडी को कहा कि इनके सुझाव लिखित में लेकर उनका मूल्यांकन करते हुए उन पर नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। चेयरमैन पचनन्दा ने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने के लिए यथासम्भव कदम उठाए जाएं।

इस मौके पर विद्युत लोकपाल वीरेंद्र सिंह, एचईआरसी के सचिव नरेंद्र कुमार, निदेशक (टैरिफ) संजय वर्मा, संयुक्त निदेशक (वित्त) मनीष सिंघल, कंसलटेंट संजय बंसल, उप निदेशक (मीडिया) प्रदीप मिलक, उप निदेशक (वित्त) अंकिता महाजन, उप निदेशक (वितरण) डॉ रणधीर सिंह व विधि अधिकारी आलोका शर्मा सिंहत बिजली निगमों के विष्ठ अधिकारी मौजुद थे।

### HERC Meeting: हरियाणा में HERC ने एसएसी मीटिंग में लिया फीडबैक, जानियें बिजली निगम में क्या चल रहा है खास ?

By chopal tv Wed, 25 Jan 2023 (1) (3)







HERC Meeting Panchkula: हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) की बुधवार को पंचकूला स्थित आयोग के कांफ्रेंस रूम में राज्य सलाहकार समिति (एसएसी) की 28वीं मीटिंग संपन्न हुई। जिसकी अध्यक्षता एचईआरसी के चेयरमैन आर. के. पचनंदा ने की है।

इस बैठक में सदस्य के तौर पर एचईआरसी के सदस्य नरेश सरदाना, अन्य सदस्यों के तौर पर हरियाणा बिजली उत्पादन निगम (एचपीजीसीएल) के प्रबंध निदेशक मोहम्मद शाईन ,दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के प्रबंध निदेशक अमित खत्री, हरियाणा अक्षय ऊर्जा के निदेशक एस. नारायणन, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निदेशक मुकुल कुमार, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) के निदेशक अश्वनी रहेजा, निदेशक (वित्त) अमित दिवान, डीएचबीवीएन की सीएफओ सुशीला कुमारी सहित एसएसी के सदस्यों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया।

Also Read - नौकरानी से संबंध बनाते समय 67 साल के बुजुर्ग की मौत, बुजुर्ग ने नौकरानी को बना रखा था गर्लफ्रेंड, फिर हुआ ये...

उल्लेखनीय है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के सेक्शन 87 में एसएसी के गठन और सेक्शन 88 में एसएसी के कार्यों का उल्लेख है। वर्तमान संदर्भ में बिजली से संबंधित सभी मामलों और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा संबंधी मामलों का विचार विमर्श किया गया। एसएसी की मीटिंग में हरियाणा के बिजली निगमों ने जो वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) पिटीशन दायर की हुई थी, उन पर एचईआरसी जन सुनवाई पहले ही आयोजित कर चुका है।

11 जनवरी को एचपीजीसीएल और हिरयाणा विद्युत प्रसारण निगम (एचवीपीएन) की जन सुनवाई पंचकूला स्थित एचईआरसी के कोर्ट रूम में हुई थी, 12 जनवरी को यूचबीवीएन की एक जन सुनवाई पंचकूला स्थित एचईआरसी के कोर्ट रूम में तथा दूसरी स्काईलार्क टूरिस्ट रिसोर्ट पानीपत में, इसी तरह डीएचबीवीएन की एक पब्लिक हियरिंग 17 जनवरी को पंचकूला स्थित एचईआरसी के कोर्ट रूम में तथा दूसरी 20 जनवरी को गुरुग्राम स्थित पावरिग्रेड टाउनिशप के एमपी हॉल में सम्पन्न हुई थी।



इन जन सुनवाइयों के बाद एचईआरसी की ओर से यह एसएसी की मीटिंग बुलाई गई थी, ताकि एचपीजीसीएल, एचवीपीएन, यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन के एआरआर आर्डर से पहले इन एआरआर की पिटीशन पर सुझाव लिये जा सके। एसएसी की मीटिंग में सभी सदस्यों के महत्वपूर्ण सुझावों को नोट कर लिए गया।

वहीं, मीटिंग में एक सदस्य अरविंद कुमार ने एग्रो इंडस्ट्री के नए कनेक्शन को लेकर फीडर संबंधी कुछ जरूरी सुझाव दिए, इस पर एचईआरसी के चेयरमैन पचनंदा ने डीएचबीवीएन एमडी को कहा कि इनके सुझाव लिखित में लेकर उनका मूल्यांकन करते हुए उन पर नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

चेयरमैन पचनन्दा ने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने के लिए यथासम्भव कदम उठाए जाएं। इस मौके पर विद्युत लोकपाल वीरेंद्र सिंह, एचईआरसी के सचिव नरेंद्र कुमार, निदेशक (टैरिफ) संजय वर्मा, संयुक्त निदेशक (वित्त) मनीष सिंघल, कंसलटेंट संजय बंसल, उप निदेशक (मीडिया) प्रदीप मलिक, उप निदेशक (वित्त) अंकिता महाजन, उप निदेशक (वितरण) डॉ रणधीर सिंह व विधि अधिकारी आलोका शर्मी सहित बिजली निगमों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।





एआरआर आर्डर से पहले एचईआरसी ने एसएसी मीटिंग में लिया फीडबैक

चंडीगढ, 25 जनवरी, 2023 ।

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) की बुधवार को पंचकूला स्थित आयोग के कांफ्रेंस रूम में राज्य सलाहकार समिति (एसएसी) की 28वीं मीटिंग संपन्न हुई। जिसकी अध्यक्षता एचईआरसी के चेयरमैन आर. के. पचनंदा ने की, सदस्य के तौर पर एचईआरसी के सदस्य नरेश सरदाना, अन्य सदस्यों के तौर पर हरियाणा बिजली उत्पादन निगम (एचपीजीसीएल) के प्रबंध निदेशक मोहम्मद शाईन, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के प्रबंध निदेशक अमित खत्री, हरियाणा अक्षय ऊर्जा के निदेशक एस. नारायणन, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निदेशक मुकुल कुमार, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) के निदेशक अश्वनी रहेजा, निदेशक (वित्त) अमित दिवान, डीएचबीवीएन की सीएफओ सुशीला कुमारी सहित एसएसी के सदस्यों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया।

उल्लेखनीय है कि इलेक्ट्रिसेटी एक्ट 2003 के सेक्शन 87 में एसएसी के गठन और सेक्शन 88 में एसएसी के कार्यों का उल्लेख है। वर्तमान संदर्भ में बिजली से संबंधित सभी मामलों और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा संबंधी मामलों का विचार विमर्श किया गया। एसएसी की मीटिंग में हरियाणा के बिजली निगमों ने जो वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) पिटीशन दायर की हुई थी, उन पर एचईआरसी जन सुनवाई पहले ही आयोजित कर चुका है। 11 जनवरी को एचपीजीसीएल और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम (एचवीपीएन) की जन सुनवाई पंचकूला स्थित एचईआरसी के कोर्ट रूम में तथा दूसरी की जून सुनवाई पंचकूला स्थित एचईआरसी के कोर्ट रूम में तथा दूसरी स्काईलार्क ट्रिस्ट रिसोर्ट पानीपत में, इसी तरह डीएचबीवीएन की एक पब्लिक हियरिंग 17 जनवरी को पंचकूला स्थित एचईआरसी के कोर्ट रूम में तथा दूसरी 20 जनवरी को गुरुग्राम स्थित पावरग्रिड टाउनशिप के एमपी हॉल में सम्पन्न हुई थी। इन जन सुनवाइयों के बाद एचईआरसी की ओर से यह एसएसी की मीटिंग बुलाई गई थी, ताकि एचपीजीसीएल, एचवीपीएन, यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन के एआरआर आर्डर से पहले इन एआरआर की पिटीशन पर सुझाव लिये जा सके। एसएसी की मीटिंग में सभी सदस्यों के महत्वपूर्ण सझावों को नोट कर लिए गया।

वहीं, मीटिंग में एक सदस्य अरविंद कुमार ने एग्रो इंडस्ट्री के नए कनेक्शन को लेकर फीडर संबंधी कुछ जरूरी सुझाव दिए, इस पर एचईआरसी के चेयरमैन पचनंदा ने डीएचबीवीएन एमडी को कहा कि इनके सुझाव लिखित में लेकर उनका मूल्यांकन करते हुए उन पर नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। चेयरमैन पचनन्दा ने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों को सरक्षित रखने के लिए यथासम्भव कदम उठाए जाएं।

इस मौके पर विद्युत लोकपाल वीरेंद्र सिंह, एचईआरसी के सचिव नरेंद्र कुमार, निदेशक (टैरिफ) संजय वर्मा, संयुक्त निदेशक (वित्त) मनीष सिंघल, कंसलटेंट संजय बंसल, उप निदेशक (मीडिया) प्रदीप मलिक, उप निदेशक (वित्त) अंकिता महाजन, उप निदेशक (वितरण) डॉ रणधीर सिंह व विधि अधिकारी आलोका शर्मा सहित बिजली निगमों के वरिष्ठ अधिकारी मौजुद थे ।





Home / Breaking News / HERC की SAC की 28वीं मीटिंग हुई संपन्न, हुए ये बड़े फैसले



### HERC की SAC की 28वीं मीटिंग हुई संपन्न, हुए ये बड़े फैसले

Dev Sheokand 22 hours ago Breaking News, हरियाणा Leave a comment

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) की बुधवार को पंचकूला स्थित आयोग के कांफ्रेंस रूम में राज्य सलाहकार समिति (एसएसी) की 28वीं मीटिंग संपन्न हुई।

जिसकी अध्यक्षता एचईआरसी के चेयरमैन आर. के. पचनंदा ने की, सदस्य के तौर पर एचईआरसी के सदस्य नरेश सरदाना, अन्य सदस्यों के तौर पर हरियाणा बिजली उत्पादन निगम (एचपीजीसीएल) के प्रबंध निदेशक मोहम्मद शाईन ,दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के प्रबंध निदेशक अमित खत्री, हरियाणा अक्षय ऊर्जा के निदेशक एस. नारायणन, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निदेशक मुकुल कुमार, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) के निदेशक अश्वनी रहेजा, निदेशक (वित्त) अमित दिवान, डीएचबीवीएन की सीएफओ सुशीला कुमारी सहित एसएसी के सदस्यों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया।

उल्लेखनीय है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के सेक्शन 87 में एसएसी के गठन और सेक्शन 88 में एसएसी के कार्यों का उल्लेख है।

वर्तमान संदर्भ में बिजली से संबंधित सभी मामलों और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा संबंधी मामलों का विचार विमर्श किया गया। एसएसी की मीटिंग में हरियाणा के बिजली निगमों ने जो वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) पिटीशन दायर की हुई थी, उन पर एचईआरसी जन सुनवाई पहले ही आयोजित कर चुका है। 11 जनवरी को एचपीजीसीएल और हिरयाणा विद्युत प्रसारण निगम (एचवीपीएन) की जन सुनवाई पंचकूला स्थित एचईआरसी के कोर्ट रूम में हुई थी, 12 जनवरी को यूचबीवीएन की एक जन सुनवाई पंचकूला स्थित एचईआरसी के कोर्ट रूम में तथा दूसरी स्काईलार्क टूरिस्ट रिसोर्ट पानीपत में, इसी तरह डीएचबीवीएन की एक पब्लिक हियरिंग 17 जनवरी को पंचकूला स्थित एचईआरसी के कोर्ट रूम में तथा दूसरी 20 जनवरी को गुरुग्राम स्थित पावरग्रिड टाउनिशप के एमपी हॉल में सम्पन्न हुई थी । इन जन सुनवाइयों के बाद एचईआरसी की ओर से यह एसएसी की मीटिंग बुलाई गई थी, तािक एचपीजीसीएल, एचवीपीएन, यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन के एआरआर आर्डर से पहले इन एआरआर की पिटीशन पर सुझाव लिये जा सके। एसएसी की मीटिंग में सभी सदस्यों के महत्वपूर्ण सुझावों को नोट कर लिए गया।

वहीं, मीटिंग में एक सदस्य अरविंद कुमार ने एग्रो इंडस्ट्री के नए कनेक्शन को लेकर फीडर संबंधी कुछ जरूरी सुझाव दिए, इस पर एचईआरसी के चेयरमैन पचनंदा ने डीएचबीवीएन एमडी को कहा कि इनके सुझाव लिखित में लेकर उनका मूल्यांकन करते हुए उन पर नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। चेयरमैन पचनन्दा ने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने के लिए यथासम्भव कदम उठाए जाएं। इस मौके पर विद्युत लोकपाल वीरेंद्र सिंह, एचईआरसी के सचिव नरेंद्र कुमार, निदेशक (टैरिफ) संजय वर्मा, संयुक्त निदेशक (वित्त) मनीष सिंघल, कंसलटेंट संजय बंसल, उप निदेशक (मीडिया) प्रदीप मलिक, उप निदेशक (वित्त) अंकिता महाजन, उप निदेशक (वितरण) डॉ रणधीर सिंह व विधि अधिकारी आलोका शर्मा सहित बिजली निगमों के विरष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

# Discoms, firm in blame game over smart meters

Manvir.Saini @timesgroup.com

Chandigarh: There was high drama at a hearing of Haryana Electricity Regulatory Commission on Wednesday, when officials of Haryana's state-run power distribution companies and a private company hired to install smart meters, Energy Efficient Services Limited (EESL), passed the buck to each other on the pace of replacement of smart me-

#### HEARING BEFORE REGULATOR

ters in the state.

Finally, HERC directed EESL to visit the two discoms' offices on February 13 to sort out issues and report back by February 15.

All this happened when the HERC quorum, led by chairman R K Pachnanada and member Naresh Sardana, questioned senior executives of Uttar Haryana Bijli Vitram Nigam (UHBVN) and Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam (DHBVN) about the reasons behind failing to meet the monthly target of replacing 34,000 meters every month in 2023.

The HERC observed that the pace of replacement had dropped by 72%.

Manoj Modi, a senior executive of EESL, said financial crisis faced by company All this happened when the HERC quorum UHBVN and DHBVN about the reasons behind failing to meet the monthly target of replacing 34,000 meters every month in 2023

on the account non-release of funds by the distribution companies was the reason for putting the drive on hold for 10-12 days.

He submitted that only 50% payments had been made against bills submitted to the Discoms. He added that pace of work was also slow due to resistance by residents.

Chandan Singh, chief engineer (commercial) of UHBVN, told the HERC that EESL had not been providing its team since January 2023, due to which discom's cable-pulling teams were sitting idle.

Manish Dhariwal, a senior engineer of UHBVN, submitted that both discoms had made payments after deductions as per the service-level—agreement against all invoices submitted by EESL up to October 2022 and there were no pending payments. Chandan denied if there was any incident highlighted by EESL about resistance by consumers.

### Amar Ujala 10.02.2023

# कंपनी और डिस्कॉम में विवाद की वजह से स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य धीमा

चंडीगढ़। हरियाणा में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य फिर से धीमा हो गया है। डिस्कॉम मीटर लगाने वाली कंपनी ईईएसएल में विवाद के चलते लक्ष्य के मुताबिक कम मीटर लगाए गए। अभी तक 6 लाख 25 हजार स्मार्ट मीटर ही लगाए गए हैं, जबिक लगने हैं दस लाख। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने ईईएसएस कंपनी और बिजली अधिकारियों की दलीलें सुनने के बाद आदेश दिया है कि कंपनी के अधिकारी व्यक्तिगत रूप से निगम के अधिकारियों के साथ बैठक करके मामले की निपटाएं और प्रोजेक्ट की तेज करेंगे। ईईएसएल मनोज मोदी ने कहा कि कंपनी वित्तीय संकट का सामना कर रहा है, जिससे 8-10 दिनों से काम बंद है। अभी कंपनी का निगम के पास 50 प्रतिशत तक भुगतान लंबित है। ब्र्यूरो

स्मार्ट नहीं हो रहे मीटर • 2024 तक 30 लाख मीटर लगाने का था दावा

# ईईएसएल कंपनी ने स्मार्ट मीटर का काम रोका, 10 में से 6 लाख ही लगे

 भुगतान में फंसा पेच तो कंपनी ने अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने का हवाला दिया  इलेक्ट्रिसटी रेगुलेटरी कमीशन के आदेश-दोनों पक्ष आपस में बैठकर मामला निपटाएं

मनोज कुमार | राजधानी हरियाणा

प्रदेश में मीटरों को स्मार्ट करने की योजना बीच में ही लटक गई है। स्मार्ट मीटर लगाने की गति पहले से ही धीमी चल रही थी। अब ईईएसएल कंपनी ने आर्थिक स्थिति खराब होने का हवाला देकर काम रोक दिया है। हालांकि, सूत्रों की मानें तो डिस्कॉम और कंपनी में भगतान को लेकर पेंच फंस गया है। कंपनी ने दावा किया है कि डिस्कॉम ने बिल जमा कराने पर भी 50% भगतान नहीं किया, जबकि बिजली निगम अधिकारी कोई भुगतान लंबित न होने का दावा कर रहे हैं। इस मामले में मॉनिटरिंग कर रहे हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगलेटरी कमीशन ने डिस्कॉम और कंपनी दोनों को बैठकर मामला निपटाने के आदेश दिए हैं। कमीशन में अब 1 मार्च को सुनवाई होगी। बता दें कि 11 जुलाई 2018 को डिस्कॉम का ईईएसएल कंपनी से स्मार्ट मीटर लगाने का एमओयू हुआ। यूएचबीवीएन ने 7 दिसंबर 2020 और डीएचबीवीएन ने 21 जनवरी 2021 को एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। 3 साल में काम पुरा होने का समझौता किया था, लेकिन अभी तक 60% मीटर ही इनस्टॉल हो पाए हैं। दिसंबर तक 10 लाख स्मार्ट मीटर लगने हैं, पर दो साल में 6.25 लाख मीटर ही लग पाए हैं। यह मीटर पंचकुला, कालका, पिंजीर, करनाल, घरींडा, गुडगांव, पानीपत, फरीदाबाद में लगने हैं। फरीदाबाद में एक भी मीटर नहीं लगा है। करीब 6 माह पहले बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने दावा किया था कि राज्य में 2024 तक 30 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इस मामले में बिजली मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे बाहर हैं।

### कमीशन में यह दिए दोनों पक्षों ने तर्क

### डिस्कॉम ने 50% बिलों का भुगतान नहीं कियाः कंपनी

एचईआरसी में हुई सुनवाई में ईईएसएल कंपनी के सीजीएम मनोज मोदी ने कहा कि ईईएसएल वित्तीय संकट का सामना कर रही है। इसके कारण 8-10 दिन से काम बंद है। डिस्कॉम की तरफ पहले से जमा किए गए बिलों का 50% भुगतान अटका हुआ है। विरोध से काम धीमा चल रहा है।

#### कंपनी जनवरी से उपलब्ध नहीं करवा रही टीम : सीई

यूएचबीवीएन के सीई कॉमर्शियल चंदन सिंह ने पक्ष रखते हुए कहा कि ईईएसएल जनवरी से टीम उपलब्ध नहीं करा रही है। इसके कारण डिस्कॉम की केबल खींचने वाली टीमें खाली बैटी हैं। ईईएसएल ने उपभोक्ताओं के विरोध का मामला कभी नहीं रखा। काम दोबारा शुरू नहीं हुआ तो डिस्कॉम को भारी नुकसान होगा।

#### कंपनी का भुगतान लंबित नहीं: एसई

यूएचबीवीएन के एसई मनीष धारीवाल ने कहा कि दोनों डिस्कॉम ने पिछले साल अक्टूबर तक इंइएसएल द्वारा प्रस्तुत सभी चालानों का भुगतान कर दिया है। कोई भुगतान लंबित नहीं है।



#### स्मार्ट मीटर के <u>फायदे</u> उपभोक्ताः

- उपनायता स्मार्ट मीटर को

उपभोक्ता प्री-पेड में बदलवा सकता है। उपभोक्ता बिजलो खपत के अनुसार उसे मोबाइल की तरह रिचार्ज कर सकता है। वह मीटर में बैलेंस चेक कर सकता है। प्री-पेड मीटर पर बिल में 5% की छूट मिलती है।


### कहां कितने लगे स्मार्ट मीटर

शहर	लमने हैं	स्टॉल हुए
• गुड़गांव	3.77 लाख	2,34,104
• फरीदाबाद	1.23 लाख	0.00
• करनाल	2.00 लाख	1,41,230
• पंचकूला	1.50 लाख	92,214
• पानीपत	1.50 লাভ	1,26,265
<ul> <li>কুল</li> </ul>	10 लाख	6,25,648

 डिस्कॉमः स्पार्ट मीटर में छेड़छाड़ नहीं हो सकती। इससे बिजली चोरी रुकेगी। यदि कोई मीटर से छेड़छाड़ करता है तो उसकी सूचना डिस्कॉम के पास पहुंच जाएगी। इसके अलावा डिफाल्टिंग राशि भी नहीं रहेगी, क्योंकि डिफॉल्टर होने पर डिस्कॉम बिजली सप्लाई रोक देगा।

# हरियाणा में ७६ लाख उपभोक्ताओं को राहत, इस साल नहीं बढ़ाई बिजली की दरें

चंडीगढ, 15 फरवरी (विजय गौड़): हरियाणा में लगभग 76 लाख उपभोक्ताओं को राहत देते हुए हरियाणा इलैक्ट्रिसटी रैगुलेट्री कमीशन (एच.ई. आर.सी.) ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए



बिजली की दरें न बढाने का फैसला लिया है।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यू.एच.बी. वी.एन.) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डी.एच.बी. वी.एन.) की ओर से आगामी वित्त वर्ष के लिए पिछले साल समग्र राजस्व आवश्यकता (ए.आर.आर.) की पेटीशन फाइल की गई थी। (शेष पुष्ट 2 कालम 2 पर)

### सभी इलैक्ट्रोमैकेनिकल मीटर की मांगी रिपोर्ट

कमीशन ने पिछले साल मार्च के महीने में टैरिफ ऑर्डर जारी करते हुए निगमों को सभी इलैक्ट्रोमैकेनिकल मीटर को जल्द से जल्द बदलने के निर्देश दिए थे। लेकिन अभी भी काफी संख्या में इन मीटरों को बदला जाना बाकी है। प्रदेश में लगभग 1.04.281 इलैक्टोमैकेनिकल मीटर अभी भी बदले जाने बाकी हैं।

इनमें से 18,771 मीटर यू.एच.बी.वी.एन. और 85,510 मीटर डी.एच.बी.वी.एन. के अंतर्गत आने वाले एरिया में हैं। कमीशन ने दोनों निगमों को सभी इलैक्ट्रोमैकेनिकल मीटर्स को बदलने के निर्देश दिए हैं जिसकी रिपोर्ट 3 माह के भीतर सबिमट करवाने के लिए कहा गया है।

### यह रहेगा टैरिफ

कैटेगरी स्लैब ( यूनिट में ) डोमैस्टिक सप्लाई ( कैटेगरी-1 )	टैरिफ( प्रति यूनिट)
0-50	2 रुपए
51-100	2.50 रुपए
(कैटेगरी-2)	
0-150	2.75 रुपए
150-250	5.25 रुपए
251-500	6.30 रुपए
501-800	7.10 रुपए

### राजस्व घाटा ३९७ करोड़ तक जाने का अनुमान

दोनों निगमों ने ए.आर.आर. फाइल करते हुए वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान किसी भी कैटेगरी में टैरिफ को न बढ़ाने की सिफारिश की थी। हालांकि (शेष पृष्ट 2 कालम 5 पर)

### हरियाणा में 76 लाख...

जिस पर बुधवार को कमीशन के अध्यक्ष आर.के. पचनंदा और सदस्य नरेश सरदाना ने फैसला सुनाते हुए किसी भी कैटेगरी में बिजली की दरों में बढोतरी नहीं की।

गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2021-22 से पहले 6 वर्षों तक कमीशन ने बिजली के रेट नहीं बढ़ाए थे। जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में घरेल उपभोक्ताओं पर 25 पैसे प्रति युनिट का बोझ डाला गया था। हालांकि इस साल किसी भी कैटेगरी में टैरिफ

नहीं बढाया गया है।

1 अप्रैल 2023 से पुराने टैरिफ के अनुसार ही उपभोक्ताओं से बिजली के बिल वसूले जाएंगे। बिजली की दरें बढाई जाएं या नहीं इसका फैसला लेने का पूरा अधिकार कमीशन के पास होता है।

### राजस्व घाटा ३९७ करोड़...

आगामी वित्त वर्ष के लिए राजस्व घाटा 265.21 करोड रुपए तक जाने की बात कही गई है। अब टैरिफ में कोई बढोतरी नहीं की गई है तो यह राजस्व घाटा 397.36 करोड़ रुपए तक जाने का अनुमान लगाया गया है।

# हरियाणा में 76 लाख उपभोक्ताओं को राहत, नहीं बढ़ाई बिजली की दरें

चंडीगढ़, 15 फरवरी (विजय गौड़): हरियाणा में लगभग 76 लाख उपभोक्ताओं को राहत देते हुए हरियाणा इलैंट्रिरसिटी रैंगुलेट्री कमीशन (एच.ई.आर.सी.) ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिजली की दरें न बढ़ाने का फैसला लिया है।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यू. एच. बी. वी. एन.) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डी. एच. बी. वी. एन.) की ओर से आगामी वित्त वर्ष के लिए पिछले साल समग्र राजस्व आवश्यकता (ए. आर. आर.) की पेटीशन फाइल की गई थी। जिस पर बुधवार को कमीशन के अध्यक्ष आर. के. पचनंदा और सदस्य नरेश सरदाना ने फैसला सुनाते हुए किसी भी कैटेगरी में बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं की।

गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2021-22 से पहले 6 वर्षों तक कमीशन ने बिजलों के रेट नहीं बढ़ाए थे। जबिक वित्त वर्ष 2022-23 में घरेलू उपभोक्ताओं पर 25 पैसे प्रति यूनिट का बोझ डाला गया था। हालांकि इस साल किसी भी कैटेगरी में टैरिफ नहीं बढ़ाया गया है। 1 अप्रैल 2023 से पुराने टैरिफ के अनुसार ही उपभोक्ताओं से बिजली के बिल बसूले जाएंगे। बिजली की दरें बढ़ाई जाएं या नहीं इसका फैसला लेने का पूरा अधिकार कमीशन के पास होता है।

## यूनिट के अनुसार यह रहेगा टैरिफ

कैटेगरी डोमैरिटक सप्लाई	स्लैब	टैरिफ
(कैटेगरी-1)	0-50	2 रुप्ए
**	51-100	2.50 रुपए
कैटेगरी-2	0-150	2.75 रुपए
	150-250	५.२५ रुपए
	251-500	6.30 रुपए
	501-800	७.१० रुपए

# राजस्व घाटा ३९७ करोड़ तक जाने का अनुमान

दोनों निगमों ने ए.आर.आर. फाइल करते हुए वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान किसी भी कैटेगरी में टैरिफ को न बढ़ाने की सिफारिश की थी।

हालांकि आगामी वित्त वर्ष के लिए राजस्व घाटा २६५.२१ करोड़ रुपए तक जाने की बात कही गई है। ऐसे में जबकि अगले एक वर्ष के लिए टैरिफ में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है तो यह राजस्व घाटा ३९७.३६ करोड़ रुपए तक जाने का अनुमान लगाया गया है।

सभी इलैक्ट्रोमैकेनिकल मीटर की मांगी रिपोर्ट

कमीशन ने मार्च, 2022 में टैरिफ ऑर्डर जारी करते हुए निगमों को सभी इलैक्ट्रोमैकेनिकल मीटर को जल्द से जल्द बदलने के निर्देश दिए थे। लेकिन अभी भी काफी संख्या में इन मीटरों को बदला जाना बाकी है। प्रदेश में लगभग 1,04,281 इलैक्ट्रोमैकेनिकल मीटर



अभी भी बदले जाने बाकी हैं। इनमें से 18,771 मीटर यू.एच.बी.वी.एन. और 85,510 मीटर डी.एच.बी.वी.एन. के अंतर्गत आने वाले एरिया में हैं। कमीशन ने दोनों निगमों को इलैक्ट्रोमैकेनिकल मीटर्स को बदलने के निर्देश दिए हैं जिसकी रिपोर्ट 3 माह के भीतर सबमिट करवाने के लिए कहा गया है।

## आज समाज शुक्रवार, 17 फरवरी 2023

## कृषि क्षेत्र को जारी रहेगी सब्सिडी


# बिजली उपभोक्ताओं के हित सर्वोपरि : मुख्यमंत्री

 विगत 8 वर्षों में हरियाणा में अभूतपूर्व बिजली सुधार किए गए: मनोहर लाल

#### आज समाज नेटवर्क

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि विगत 8 वर्षों में हरियाणा में अभूतपूर्व बिजली सुधार किए गए हैं तथा प्रदेश में हुए बिजली सुधारों की केंद्रीय बिजली मंत्री राज कुमार सिंह ने भी सराहना की है और केंद्रीय दल ने हरियाणा का अध्ययन भी किया है।

इसी के फलस्वरूप लाइन लॉसिस को कम करने पर फोकस किया गया है और आज लाइन लॉसिस 13.43 प्रतिशत रह गया है जो पूर्व की सरकारों में 25 से 30 प्रतिशत तक रहता था। सरकार ने उपभोक्ताओं को नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए हैं। उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सरकार ने बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली दरों के रेट हरियाणा बिजली विनियामक आयोग तय करता है न कि



सरकार। आयोग ने वर्ष 2023-2024 के बिजली दरों के आदेश भी कल जारी कर दिए हैं जिसे आयोग की वेबसाइट पर भी डाला गया है। उन्होंने कहा कि आज सभी श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 76 लाख से

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनेक बार बिजली की उपलब्धता कम होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को पूरी बिजली उपलब्ध करवाई, यह बिजली प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की है और बिजली के रेट नहीं बढ़ाए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-2023 के दौरान श्रेणी एक में जीरो से 50 यूनिट तक 2 रुपए प्रति यूनिट, 51 से 100 यूनिट तक 2.50 रुपए चार्ज किया। श्रेणी दो में 0 से 150 यूनिट तक 2.75 रुपए, 150 से 250 यूनिट तक 5.25 रुपए, 251 से 500 यूनिट तक 6.30 रुपए तथा 501 से 800 यूनिट तक 7.10 रुपए चार्ज किया। इस वर्ष भी घरेलू उपभोक्ताओं की

श्रेणी एक व दो की निर्धारित दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में 15 हॉर्स पावर व उससे ऊपर की मोटर वाले कृषि नलकूपों के लिए 200 रुपए प्रति हॉर्स पावर प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है।

इसी प्रकार बिना मीटर वाले नलकूपों के लिए यह दरें 15 रुपए प्रति हॉर्स पावर प्रति माह तथा 15 हॉर्स पावर से ऊपर की मीटर वाले नलकूपों के लिए 12 रुपए प्रति हॉर्स पावर प्रति माह निर्धारित था, जो वर्ष 2023-24 के दौरान भी जारी रहेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को पूर्व की भांति सब्सिडी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। इसके लिए सरकार ने बड़े स्तर पर बिजली की पुरानी तारों को बदला है, इसके अलावा पुराने ट्रांसफार्मर्स पर नए कंडेंसर्स लगवाए गए हैं ताकि लाइन लॉसिस को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली सप्लाई के लिए नए सबस्टेशन बनाये गए हैं तथा पुराने स्टेशनों की क्षमता में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा लोड को कम करने के लिए फीडर्स का सेग्रीगेशन भी किया गया है।

## दैनिक भारकर शुक्रवार १७ फरवरी, २०२३

प्रदेश में बिजली दरों में न बढ़ोतरी न राहत, लोगों पर नहीं पड़ेगा अतिरिक्त बोझ

# बिजली सप्लाई की लागत घटी तो सरकार को सब्सिडी का 280 करोड़ का फायदा

भास्कर न्यूज राजधानी हरियाणा

हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने बिजली का टैरिफ जारी कर दिया है। राज्य में बिजली दरों को जस का तस रखा गया है। ऐसे में लोगों को बिजली का अतिरिक्त बोझ नहीं आएगा। वहीं कमीशन ने बिजली कंपनियों की ओर से कृषि कनेक्शनों पर सप्लाई होने वाली बिजली के लिए मांगी गई सब्सिडी पर बड़ी कैंची चलाई है। क्योंकि प्रदेश में बिजली सप्लाई का खर्च कम हुआ है। इसके अलावा किसानों के लिए बिना सब्सिडी के टैरिफ में शामिल दर में 5 पैसे प्रति युनिट कमी की गई है। लेकिन संस्कार किसानों को पहले ही 10 पैसे प्रति युनिट बिजली दे रही है। ऐसे में 5 पैसे की कमी से सरकार को फायदा होगा और वह घटी दर के अनुसार ही कंपनियों को सब्सिडी देगी। हालांकि कंपनियों ने अगले वित वर्ष के लिए 6115.42 करोड़ रुपए की सब्सिडी मांगी परंतु कमीशन ने 5769.94 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। जबकि चालू वित्त वर्ष के लिए 6050 करोड़ रुपए की सब्सिडी निर्धारित की हुई है। ऐसे में सरकार को ही 280 करोड़ रुपए का फायदा होगा। खास बात यह है कि बिजली कंपनियों ने 2023-24 में लाइन लॉस 14 प्रतिशत तक होने की डिमांड की थी लेकिन कमीशन ने आदेश दिया है कि कंपनियां 13 प्रतिशत लाइन लॉस रखे। एक प्रतिशत लाइन लॉस के फर्क से ही 300 करोड़ रुपए की बचत हो जाती है।

## रोलिंग मिलों को 30 पैसे का फायदा होगाः कमीशन

बिजली कंपनियों की ओर से रोलिंग मिलों को 6.95 रुपए प्रति यूनिट बिजली सप्लाई करने के साथ प्रति यूनिट 30 पैसे सरचार्ज भी लगा रही थी। इससे मिल मालिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड रहा था। अब कमीशन ने स्पष्ट किया है कि रोलिंग मिलों से प्रति यूनिट 6.65 रूपए चार्ज लिया जाएगा। ऐसे में रोलिंग मिलों को प्रति यूनिट 30 पैसे का फायदा होगा।

#### कंपनियों ने दिखाया 397 करोड रुपए का आय-व्यय का गैप

बिजली कंपनियों ने जो अपना प्रस्तावित आय का ब्यौरा दिया है, उसमें 397.13 करोड़ का गैप है। यानी इतनी राशि आय से ज्यादा व्यय होगी। लेकिन कमीशन ने 357.18 करोड़ रुपए तक की छूट दी है। इस गैप को खत्म करने को बिजली की दर नहीं बढाई जा सकती।

2200 करोड से होगा बिजली इन्फ्रास्ट्रक्चर का काम

प्रदेश में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से 1200 और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से 1000 करोड़ रुपए के विकास कराए जाने का प्रस्ताव दिया है। जिस कमीशन ने पास किया है। लेकिन इन विकास कार्यों में एक बार फिर रिहायशी क्षेत्र से 11केवी लाइन हटाने का काम भी शामिल किया है। यह कार्य हर साल शामिल किया जाता है लेकिन लाइन हटाने का काम नहीं हो रहा है।

### कृषि सप्लाई की बिजली पहले ही 10 पैसे प्रति युनिट दे रही सरकार

टैरिफ में किसानों को सप्लाई की जाने वाली बिजली के रेट प्रति युनिट 6.67 पैसे से घटाकर 6.62 रुपए किए हैं। हालांकि सरकार पहले ही किसानों को 10 पैसे प्रति युनिट के हिसाब से बिजली सप्लाई करती है।

#### कृषि क्षेत्र में पहले की तरह ही सब्सिडी जारी रहेगीः मुख्यमंत्री

सीएम मनोहर ने कह कि कृषि क्षेत्र में पहले की तरह सब्सिडी जारी रहेगी। बिजली सुधारों को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। प्रदेश में करीब 76 लाख उपभोक्ता है। बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

# बिजली सप्लाई की लागत घटी तो सरकार को सब्सिडी का 280 करोड़ रुपए का फायदा

हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने बिजली का टैरिफ जारी कर दिया है। राज्य में बिजली दरों को जस का तस रखा गया है। ऐसे में लोगों को बिजली का अतिरिक्त बोझ नहीं आएगा। वहीं कमीशन ने बिजली कंपनियों की ओर से कृषि कनेक्शनों पर सप्लाई होने वाली बिजली के लिए मांगी गई सब्सिडी पर बड़ी कैंची चलाई है। प्रदेश में बिजली सप्लाई का खर्च कम हुआ है। किसानों के लिए बिना सब्सिडी के टैरिफ में शामिल दर में 5 पैसे प्रति यूनिट कमी की गई है। सरकार किसानों को पहले ही 10 पैसे प्रति यूनिट बिजली दे रही है। ऐसे में 5 पैसे की कमी से सरकार को फायदा होगा और वह घटी दर के अनुसार ही कंपनियों को सिन्सिडी देगी। कंपनियों ने अगले वित्त वर्ष के लिए 6115.42 करोड़ रुपए की सब्सिडी मांगी परंतु कमीशन ने 5769.94 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चालू वित्त वर्ष के लिए 6050 करोड़ की सब्सिडी निर्धारित की हुई है। ऐसे में सरकार को ही 280 करोड़ रुपए का फायदा होगा। उधर, सीएम ने कहा कि कृषि क्षेत्र में पहले की तरह सब्सिडी जारी रहेगी। बिजली सुधारों को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। प्रदेश में करीब 76 लाख उपभोक्ता है। बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

# प्रदेश में इस साल नहीं बढ़ेंगे बिजली के रेट, HERC का नोटिफिकेशन जारी

■एनबीटी न्यूज, चंडीगढ़

हरियाणा में इस साल बिजली की दरों में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी। हरियाणा बिजली विनियामक आयोग ने इस संबंध में गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश सरकार बिजली के मुद्दे पर चौतरफा घिरी हुई है। पड़ोसी राज्य पंजाब की सरकार बिजली मुफ्त दे रही है। ऐसे में सरकार पर बिजली मुफ्त देने का दबाव बढ़ा हुआ है। इस संबंध में तो अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सरकार बिजली की दरों को नहीं बढ़ाएगी।

एचईआरसी की ओर से जारी के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रदेश में बिजली का लाइन लॉस 25 प्रतिशत से कम होकर 13.43 प्रतिशत रह गया है। उपभोक्ताओं को राहत देते हए सरकार ने बिजली दरों में

कोई बदलाव नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली की दरें हरियाणा बिजली विनियामक आयोग तय करता है। आज सभी श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 76 लाख से अधिक है। बिजली की



उपलब्धता कई बार कम होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को पूरी बिजली उपलब्ध करवाई, यह बिजली प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण रही है।

उन्होंने कहा कि 2022-2023 के

दौरान श्रेणी एक में जीरो पर पंजाब पर पंजाब की तर्ज पर बिजली मुफ्त देने का दबाव दौरान श्रेणी एक में जीरो से 50 यूनिट तक 2 रुपये प्रति यूनिट, 51 से 100 यूनिट तक 2.50 रुपये चार्ज किया जा रहा है। श्रेणी दो में 0 से 150 यनिट तक 2.75 रुपये.

> 150 से 250 यूनिट तक 5.25 रुपये, 251 से 500 यूनिट तक 6.30 रुपये तथा 501 से 800 यूनिट तक 7.10 रुपये के हिसाब से चार्ज किया जा रहा है। इस वर्ष भी घरेलू उपभोक्ताओं की श्रेणी एक व दो

की निर्धारित दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में 15 हॉर्स पावर व उससे ऊपर की मोटर वाले ट्यूबवेल के लिए न्यूनतम चार्ज 200 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। बिना मीटर वाले नलकूपों के लिए यह दरें 15 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह और 15 हॉर्स पावर से ऊपर की मीटर वाले ट्यूबवेल के लिए 12 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह निर्धारित था, जो वर्ष 2023-24 के दौरान भी जारी रहेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को सिंद्सिडी जारी रहेगी। सरकार ने बड़े स्तर पर बिजली की पुरानी तारों को बदला है। पुराने ट्रांसफार्मर्स पर नए कंडेंसर्स लगवाए गए हैं, ताकि लाइन लॉस को कम किया जा सके।

### THE INDIAN EXPRESS, FRIDAY, FEBRUARY 17, 2023

## Ahead of poll year, Haryana CM says no hike in power tariffs

EXPRESS NEWS SERVICE

CHANDIGARH, FEBRUARY 16

WITH AN eye on next year's Assembly aswell as Parliamentary elections, Harvana Chief Minister Manohar Lal Khattar on Thursday declared that there will be no hike in power rariff in the state for the upcoming financial year, 2023-24. The state's move comes at a time when AAP has tried to woo voters with the likelihood of supplying free electricity if voted to power, a scheme that helped it swing elections in neighbouring Punjab and Delhi with heavy mandates. Arvind Kejriwal in a rally held in Kuruksherra in 2022 had stated. "We have made availability of power for 24 hours daily in Delhi. Do you want 24-hour electricity supply in Haryana too? In Delhi, we have not only given round-theclock electricity but it is also free. Do you want free electricity? The government needs to be changed, if you need free electricity, Khattar sahabis not going to give free elec-

On Thursday, chief minister Khattar said that during thefinancial year of 2022-2023, in category one. Rs 2 per unit was charged from zero to 50 units of electricity; while Rs 2.50 was charged from 51 to 100 units. In category two, Rs 2.75 was charged for 0 to 150 units, Rs 5.25 for 150 to 250 units, Rs 6.30 for 251 to 500 units, and Rs 7.10 for 501 to 800 units.

In the next year as well, there will be no changes in fixed rates for categories one and two for domestic consumers, Khattar said,

The chief minister then went on to say that power tariffs are decided by the Haryana Electricity Regulatory Commission and not the government, before going on to laud the commission for setting a great example of power management, wherein despite the less availability of electricity at many times, it managed to supply electricity to all consumers.

The chief minister said that the subsidy to the agriculture sector will continue as before, Stating than 'power saving is power generation', he said that for this, the govemment has replaced old electrical wiring on a large scale, Besides this, new condensers have been installed on old transformers to reduce line losses. He said that new sub-stations and old stations have been increased for uninterrupted power supply to consumers. Apart from this, segregation of feeders has been done to reduce the load. Kharrar also said that unprecedented power reforms have been carried out in Haryana in the past eightyears, which, he claimed, had gamered appreciation from Union Power Minister, Rai Kumar Singh besides even being studied by a Central government team. The CM said. "As a result of this, the focus has been on reducing the line losses, which have come down to 13.43 per cent, which used to be 25 to 30 per cent in the previous governments. The state government has made elaborate arrangements to ensure regular power supply to the consumers." Haryana power minister Ranjit Singh Chautala, too, had earlier told The Indian Express that the aggregate technical and commercial losses - which provide a real situation of energy and revenue losses - have come down mainly because of checks on electricity theft and recovery of power bills,

In 2022, a report of the Union Ministry of Power — Tenth Annual Integrated Rating and Ranking of Power Distribution Utilities — had pegged Haryana at number two among Indian states, second only after Gujarat, The ranking was based on an exercise that covers 41 state distribution utilities spread across 22 states.

# **दैनिक जागरम** 17 फरवरी, 2023

# नहीं बढ़ेंगी बिजली दरें, किसानों को सब्सिडी मिलती रहेगी

राज्य व्यरो वंदीगदः हरियणा विधानसभा के बजट सत्र से पहले प्रदेश सरकार ने 76 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी रहत दी है। बिजली उत्पादन और बिजली खरीद को बढ़ी लागत के बावजुद हरियाणा राज्य विद्यत विनियामक आयोग ने पुराने बिजली टैरिफ को बरकरार स्वा है। किसी भी श्रेणी में बिजली को दरें नहीं बढ़ाई गई हैं। कृषि क्षेत्र को सब्सिद्धी भी जारी रहेगी। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के हस्तक्षेप पर बिजली की दरें नहीं बढ़ाने का फैसला लिया गया है।

नया टैरिफ पहली अप्रैल से लागू होगा। पिछले साल की तरह ही श्रेणी एक के बिजली उपभोक्ताओं से 50 युनिट तक दो रुपये प्रति युनिट और 51 से 100 युनिट तक ढाई रुपये चार्ज किए जाएँगे। श्रेणी दे में 150 युनिट तक 2.75 रुपये, 150 से 250 यनिट तक 5.25 रुपये, 251

- हरियाणा राज्य विदात विनियमक आयोग ने 76 लाख ब्रिजली उपभोवनाओं को सहत देते हुए पुराने बिजली टेरिफ को स्खा वस्क सर
- पिछले आठ वर्गो से बिजली की दरों में नहीं की गई है वृद्धिः इस दौरन ब्रिजली की कम स्वपत वाले उपभोवनाओं के सस्ती हुई बिजली

#### बिजली सधारों पर केंद्र सरकार ने थपथपाई पीठ



मनोहर लाल। • मध्यरण आक्रांडव

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि विगत आठ वर्षों में प्रदेश में अभृतपूर्व बिजली सुधार किए गए हैं । केंद्रीय बिजली मंत्री राज कुमार सिंह ने भी इसकी सराहना की है। केंद्रीय दल ने हरियाणा का अध्ययन भी किया है। इसी के फलस्वरूप लाइनलास को कम करने पर फोकस किया गया है। आज लाइनलास 13.43 प्रतिशत रह गया है जो पूर्व की सरकारों में 25 से 30 प्रतिशत तक रहता था। अनेक बार उपलब्धता कम होने के बावजुद सरकार ने उपभोवताओं को पूरी बिजली उपलब्ध करवाई । यह प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण है। बिजली कंपनियां फिल्हाल लाभ में हैं।

क्षेत्र में 15 हासं पावर व उससे ऊपर

से 500 यूनिट तक 6.30 रुपये तथा पावर प्रति माह तथा 15 हार्स पावर 501 से 800 युनिट तक 7.10 रुपये से ऊपर की मीटर वाले नलकुपों के प्रति युनिट चार्ज किए जाएँगे। कृषि लिए 12 रूपये प्रति हार्स पावर प्रति माह रहेगा। मख्यमंत्री मनोहर लाल की मीटर वाले कृषि नलकुपों के ने बताया कि कृषि क्षेत्र को पूर्व की लिए न्यूनतम चार्ज 200 रुपये प्रति भांति सब्सिद्धी जारी रहेगी। चुकि हासं पावर प्रति वर्ष निर्धारित किया बिजली की बचत ही बिजली का गया है। बिना मीटर वाले नलकुपों उत्पादन है, इसके लिए सरकार ने के लिए यह दरें 15 रुपये प्रति हार्स बहे स्तर पर पराने तारों को बदला

है। पुराने ट्रांसफार्मर पर नए कंडेंससं लगवाप गप हैं ताकि लाइन लास को कम किया जा सके। उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली सप्लाई के लिए नए सब-स्टेशन बनाए गए हैं तथा पुराने स्टेशनों की क्षमता में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा लोड को कम करने के लिए फीडर्स का पथकोकरण किया गया है।

## में नहीं बढेंगी बिजली की

ब्यूरो, हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र से पहले प्रदेश सरकार ने 76 लाख बिजली वपभोवताओं को बड़ी राहत दी है। बिजली उत्पादन

बिजली खरोद बढ़ी लागत के बावजूद हरियाणा

राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने पुराने बिजली टैरिफ को बरकरार रखा है। किसी भी श्रेणी में विजली की दरें नहीं बदाई गई हैं। कृषि क्षेत्र को सब्सिडी भी जारी रहेगी। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के हस्तक्षेप पर बिजली की दरें नहीं बढ़ाने का फैसला लिया गया है।

नवा टेरिफ फल्ली अप्रैल से लाग् होगा। पिछले साल की तरह ही श्रेणी एक के बिजली उपभोक्ताओं से 50 युनिट तक दो रुपये प्रति युनिट और 51 से 100 यूनिट तक ढाई रुपये चार्ज किए जाएंगे। श्रेणी दो में 150 युनिट तक 2.75 रुपये, 150 से

- किसानों को मिलती रहेगी सहिसढी
- राज्य में पिछले आठ वर्षों से बिजली की दरों में नहीं की गई है वृद्धि

विजली सुधारों पर केंद्र सरकार ने थपथपाई पीठ : मुख्यमंत्री ने बताया कि आठ वर्षों में प्रदेश में अभूतपूर्व बिजली सुधार किए गए हैं। केंद्रीय बिजली मंत्री राज कुमार सिंह ने भी इसकी सराहना की है । केंद्रीय दल ने हरियाणा का अध्ययन भी किया है। इसी के फलस्वरूप लाइनलास को कम करने पर फोकस किया गया है । आजुलाइनलास 13 .43 प्रतिशत रह गया है जो पूर्व की सरकारों में 25 से 30 प्रतिशत तक रहता या । बिजली कंपनियां फिलहाल लाभ की स्थिति में पहुंच गई है।

250 यूनिट तक 5.25 रुपये, से 500 यूनिट तक 6.30 रुपये तथा 501 से 800 यूनिट तक 7.10 रुपये प्रति युनिट चार्ज किए जाएंगे। कृषि की मोठर वाले कृषि नलकृषों के लिए न्यूनतम चार्ज 200 रुपये प्रति हासं पावर प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। बिना मीटर वाले नलकूपी के लिए यह दरें 15 रुपये प्रति हासे पावर प्रति माह तथा 15 हासं पावर से ऊपर की मीटर वाले नलकुपों के लिए 12 रुपये प्रति हार्स पावर प्रति

मुख्यमंत्री ने बताया कि कृषि क्षेत्र को सब्सिडी जारी रहेगी। चूंकि विजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है, इसके लिए सरकार ने बड़े स्तर पर पुराने तारों को बदला है। पुराने ट्रांसफार्मर पर नए कंडेंसर्स लगवाए गए हैं ताकि लाइन लास को कम किया जा सके। उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली सप्लाई के लिए नए सब स्टेशन बनाए गए हैं तथा पुराने स्टेशनों की क्षमता में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा लॉड को कम करने के लिए फीडर्स का पृथकीकरण किया गया है।

## पंजाबकेसरी FRIDAY • 17.2.2023

# बिजली की दरों में नहीं हुई है वृद्धि : मुख्यमंत्री

चंडीगढ़, 16 फरवरी (बंसल): मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कहा है

कि विगत 8 वर्षों में हरियाणा में अभूतपूर्व बिजली सुधार किए गए हैं और हरियाणा में हुए बिजली



सुधारों की केंद्रीय बिजली मंत्री राज कुमार सिंह ने भी सराहना की है और केंद्रीय दल ने हरियाणा का अध्ययन भी किया है।

लाइन लॉसिस को कम करने पर फोकस किया गया है और आज लाइन लॉसिस 13.43 प्रतिशत रह गया है जो पूर्व की सरकारों में 25 से 30 प्रतिशत तक रहता था। सरकार ने उपभोक्ताओं को नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता प्रबंध स्निश्चित किए हैं। उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सरकार ने बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। बिजली उपभोक्ताओं को

- बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 76 लाख के पार
- लाइन लॉसिस 25 प्रतिशत से हुआ 13.43 प्रतिशत

राहत प्रदान की है और बिजली के रेट नहीं बढ़ाए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली दरों के रेट हरियाणा बिजली विनियामक आयोग तय करता है न कि सरकार। आयोग ने वर्ष 2023-2024 के बिजली दरों के आदेश भी कल जारी कर दिए हैं जिसे आयोग की वैबसाइट पर भी डाला गया है। उन्होंने कहा कि आज सभी श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 76 लाख से अधिक है।

बिजली बिलों की दरें वही रहेंगी उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-2023 के दौरान श्रेणी एक में जीरो से 50 यूनिट तक 2 रुपए प्रति यूनिट, 51 से 100 यूनिट तक 2.50 रुपए चार्ज किया। श्रेणी दो में 0 से 150 यूनिट तक 2.75 रुपए, 150 से 250 यूनिट तक 5.25 रुपए, 251 से 500 यूनिट तक 6.30 रुपए तथा 501 से 800 यूनिट तक 7.10 रुपए चार्ज किया।

इस वर्ष भी घरेलू उपभोक्ताओं की श्रेणी एक व दो की निर्धारित दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कृषि क्षेत्र में 15 हॉर्स पावर व उससे ऊपर की मोटर वाले कृषि नलकूपों के लिए न्यूनतम चार्ज 200 रुपए प्रति हॉर्स पावर प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है।

इसी प्रकार बिना मीटर वाले नलकूपों के लिए यह दरें 15 रुपए प्रति हॉर्स पावर प्रति माह तथा 15 हॉर्स पावर से ऊपर की मीटर वाले नलकूपों के लिए 12 रुपए प्रति हॉर्स पावर प्रति माह निर्धारित था, जो वर्ष 2023-24 के दौरान भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को पूर्व की भांति सबसिडी जारी रहेगी।

# ताब केसरी



## बिजली उपमोक्ताओं की संख्या 76 लाख के पार

चलते लाइन लॉसिस 25 प्रतिशत से हुआ 13.43 प्रतिशत कृषि क्षेत्र को सब्सिडी जारी रहेगी, बिजली उपभोक्ताओं के हित सर्वोपरि

चंडीगढ़, राजेश जैन (पंजाब केसरी): मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के कहा है कि विगत 8 वर्षों में हरियाणा में अभूतपूर्व बिजली सुधार किये गए हैं तथा हरियाणा में हुए बिजली सुधारों की केंद्रीय बिजली मंत्री श्री ग्रज कुमार सिंह ने भी सराहना की है और केंद्रीय दल ने हरिज्ञाणा का अध्ययन भी किया है। इसी के फलस्वरूप लाइन लॉसिस को कम करने पर फोकस किया

#### बिजली बिलों की दरें ज्यों की त्यों रहेंगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बिजली उपभोवताओं को राहत प्रदान की है और विजली के रेट नहीं बढ़ाये हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-2023 के दौरान श्रेणी एक में जीरो से 50 यूनिट तक २ रुपये प्रति यूनिट, 51 से 100 यूनिट तक २.50 रुपये वार्ज किया। श्रेणी दो में 0 से 150 युनिट तक 2.75 रूपये, 150 से 250 यूनिट तक 5.25 रुपये, 251 से 500 यूनिट तक 6.30 रुपये तथा 501 से 800 युनिट तक 7.10 रुपये वार्ज किया। इस वर्ष भी चरेलू उपभोक्ताओं की श्रेणी

तक रहता था। सरकार ने

उपभोक्ताओं को नियमित बिजली

आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए

सरकार ने बिजली दरों में कोई

गया है और आज लाइन लॉसिस कहा कि विजली दरों के रेटहरियाणा अनेक बार विजली की उपलब्धता 13.43 प्रतिशत रह गया है जो पूर्व की सरकारों में 25 से 30 प्रतिशत करता है न कि सरकार। आयोग ने वर्ष 2023-2024 के विजली दरों के आदेश भी कल जारी कर दिए हैं जिसे आयोग की वेबसाइट पर भी डाला गया है। उन्होंने कहा कि आज पुरता प्रबंध सुनिश्चित किये हैं। उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सभी श्रेणियों के विजली उपभोक्ताओं की संख्या 76 लाख बदलाव नहीं,किया है। मुख्यमंत्री ने से अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि

एक व दो की निर्धारित दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में 15 हॉर्स पावर व उससे ऊपर की मीटर वाले कृषि नलकूपी के लिए न्युनतम वार्ज 200 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार बिना मीटर वाले नलकुपों के लिए यह दरें 15 रुपये प्रति होंसे पावर प्रति माह तथा 15 होसे पावर से ऊपर की मीटर वाले नलकूपों के लिए 12 रुपयो प्रति होंसे पावर प्रति माह निर्धारित था, जो वर्ष 2023-24 के दौरान भी जारी रहेगा।

बिजली विनियामक आयोग तय कम होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को पूरी बिजली उपलब्ध करवाई, वह बिजली प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण रही है।

कृषि क्षेत्र को पूर्व की भांति सब्सिडी जारी रहेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को पूर्व की भांति सब्सिडी जारी



रहेगी। उन्होंने कहा कि बिजला की बचत ही बिजली का उत्पादन है इसके लिए सरकार ने बड़े स्तर पर बिजली की पुरानी तारों को बदला है, इसके अलावा पुराने ट्रांसफार्मर्स पर नए कंडेंससं लगवाए गए हैं ताकि लाइन लॉसिस को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली सप्लाई के लिए नए सब-स्टेशन बनाये गए हैं तथा पुराने स्टेशनों की क्षमता में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा लोड को कम करने के लिए श्रीडर्स का सेंग्रीगेशन भी किया गया है।

# जगत 🗫 क्रान्ति शुक्रवार १७ फरवरी, २०२३

# बिजली की दरों में नहीं हुई है वृद्धि : मनोहर लाल

- **अ** प्रदेश में बिजली उपमोक्ताओं की संख्या ७६ लाख के पार
- **अ** लाइन लॉस 25 प्रतिशत से हुआ १३.४३ प्रतिशत
- एचईआरसी ने जारी की अधिसूचना
- कृषि क्षेत्र को सिब्सडी जारी रहेगी

#### जगत क्रान्ति ы राकेश गुप्ता

चण्डीगढ : हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर आई है। इस साल बिजली की दरों में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी। हरियाणा बिजली विनियामक आयोग ने इस संबंध में गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी



है। हरियाणा सरकार बिजली के मुद्दे पर चौतरफा घिरी है। पड़ोसी राज्य पंजाब की सरकार बिजली मुफ्त दे रही है। ऐसे में सरकार पर बिजली मुफ्त देने को लेकर दबाव बढा हुआ है। इस संबंध में तो अभी कोई फैसला नहीं हुआ है लेकिन सरकार बिजली की दरों को नहीं बढ़ाएगी।

⇒ शेष पेज 7 पर

## बिजली की...

एचईआरसी की अधिसूचना जारी होने के बाद गुरुवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रदेश में बिजली का लाइन लॉस 25 प्रतिशत से कम होकर 13.43 प्रतिशत रह गया है। उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सरकार ने बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली दरों के रेट हरियाणा बिजली विनियामक आयोग तय करता है। आज सभी श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 76 लाख से अधिक है। मख्यमंत्री ने कहा कि अनेक बार बिजली की उपलब्धता कम होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को पूरी बिजली उपलब्ध करवाई, यह बिजली प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण रही है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-2023 के दौरान श्रेणी एक में जीरो से 50 यूनिट तक 2 रुपये प्रति यूनिट, 51 से 100 यूनिट तक 2.50 रुपये चार्ज किया। श्रेणी दो में 0 से 150 युनिट तक 2.75 रुपये, 150 से 250 यूनिट तक 5.25 रुपये, 251 से 500 युनिट तक 6.30 रुपये तथा 501 से 800 युनिट तक 7.10 रुपये चार्ज किया। इस वर्ष भी

घरेलु उपभोक्ताओं की श्रेणी एक व दो की निर्धारित दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में 15 हॉर्स पावर व उससे ऊपर की मोटर वाले कृषि नलकुपों के लिए न्युनतम चार्ज 200 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। बिना मीटर वाले नलकुपों के लिए यह दरें 15 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह तथा 15 हॉर्स पावर से ऊपर की मीटर वाले नलकूपों के लिए 12 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह निर्धारित था, जो वर्ष 2023-24 के दौरान भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को पूर्व की भांति सब्सिडी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। इसके लिए सरकार ने बड़े स्तर पर बिजली की पुरानी तारों को बदला है, इसके अलावा पुराने ट्रांसफार्मर्स पर नए कंडेंसर्स लगवाए गए हैं ताकि लाइन लॉसिस को कम किया जा सके।

# The Tribune FRIDAY 17 FEBRUARY 2023 Power purchase cost up, but Khattar rules out hike in tariff

Bring down transformer damage rate or face penalty, HERC to Discoms


BHARTESH SINGH THAKUR

CHANDIGARH, FEBRUARY 16
Despite the rise in power purchase costs, the Haryana
Electricity Regulatory Commission (HERC) has once
again kept the retail power
tariff rate the same while
meeting the expenditure with
efficiency gains like reduction in distribution losses.

However, the commission has pulled up the Discoms over a higher transformer failure rate and said the failure to reduce it would attract a penalty. The distribution companies have also come under scanner over the non-replacement of defective energy meters and provisional billing.

The Commission observed that the failure rate of transformers in urban and rural areas of the Uttar Harvana Bijli Vitran Nigam (UHBVN) and Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam (DHBVN) during 2021-22 was 5.63 per cent and 8.69 per cent and 5.03 per cent and 9.46 per cent, respectively, thus crossing the maximum limit prescribed (below 3% in urban and below 6% in rural). For the first half of 2022-23, April to September of 2022, the transformer damage rate was 3.38 per cent and 5.66 per cent for the UHBVN in urban and rural areas respectively. It was 3.36 per cent and 6.60 per cent for DHBVN in urban and rural areas, respectively.

"The higher rate of damage indicates mainly poor maintenance, application of higher size fuses, and no proper earthing of transformers, etc on the distribution network," commented the Commis-



0-50 units/month

₹2 per unit

51-100 units

₹2.50 per unit

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

#### **REINING IN DISTRIBUTION LOSSES**

- The focus has been on reducing the line losses and these have come down to 13.43 per cent, which used to be 25 to 30 per cent during previous regimes
- The commission directed that "at no point of time the percentage of defective meters exceed 2 per cent limit" and called for expediting the installation of smart meters
- The distribution firms have come under scanner over the non-replacement of defective meters and provisional billing

sion's bench, comprising chairperson RK Pachnanda and member Naresh Sardana.

The commission directed that "at no point of time the percentage of defective meters exceed 2 per cent limit" and called for expediting the installation of smart meters.

As per the submissions of Discoms, the provisional billing in the DHBVN was 6.37 per cent in last December, including 2.62 per cent defective meters and for the UHBVN, it was 3.76 per cent, including 0.86 per cent defective meters. The Commission observed that the provisional billing in Discoms was on the higher side as the permissible limit was 0.1 per cent as per the regulations. "There should be no bill rendered on average basis for more than two billing cycles, failing which consumer shall be entitled to claim compensation," said the Commission.

The distribution losses in the case of UHBVNL came down from 31.49 per cent in 2015-16 to 13.96 per cent and are projected at 14 per cent for 2022-23. In the case of DHBVNL, it was 24.47 per cent in 2015-16 which was reduced to 13.55 per cent in 2021-22 and is projected at 14 per cent for 2022-23. The commission observed that distribution loss reduction is one of the key factors for financial turnaround of distribution licensees.

# CM: Subsidy in agri sector to continue

TRIBUNE NEWS SERVICE

CHANDIGARH, FEBRUARY 16
Chief Minister Manohar Lal
Khattar said unprecedented
power reforms have been carried out in the state in the
past eight years, which had
gamered appreciation from
Union Power Minister Raj
Kumar Singh and also studied by a team of the Union
Government.

As a result of this, the focus has been on reducing the line losses and today the line losses have come down to 13.43 per cent; which used to be 25 to 30 per cent during previous regimes. The state government has made elaborate arrangements to ensure regular power supply to the consumers.

Giving relief to the consumers, the state government has not made any change in the electricity rates. The Chief Minister said the power tariffs were decided by the Haryana Electricity Regulatory Commission and not the government.

He said today the number of electricity consumers among all categories was more than 76 lakh in the state.

The CM said the subsidy to the agriculture sector would continue as before. Stating that 'power saving is power generation', he said for this, the government had replaced old electrical wiring on a large scale. Besides, new condensers have been installed on old transformers to reduce line losses.

# The Tribune FRIDAY 17 FEBRUARY 2023

# No power tariff phike in Haryana

Despite the rise in power purchase costs, Haryana Electricity Regulatory Commission (HERC) has once again kept the retail power tariff rate the same while meeting the expenditure with efficiency gains.

However, the commission has pulled up the discoms over higher transformer failure rate and said that failure to reduce it would attract a penalty.

The distribution companies have also come under the scanner over the nonreplacement of defective energy meters and provisional billing. — TNS

# शुक्रवार, १७ फरवरी २०२३

# कामयाबी:बिजली लाइन लॉस 25 से घटकर हुआ 13 फीसदी

मुख्यमंत्री मनोहर लाल बोले, बिजली सुधारों की केंद्रीय बिजली मंत्री ने सराहा

 श्रेणी एक में जीरो से 50 यूनिट तक 2 रुपये प्रति यूनिट, 51 से १०० तक २ .५० रुपये चार्ज

हरिभूमि ब्यूरो 🌬 चंडीगढ़

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कहा है कि विगत 8 वर्षों में हरियाणा में अभूतपूर्व बिजली सुधार किए गए हैं तथा हरियाणा में हुए बिजली सुधारों की केंद्रीय बिजली मंत्री राज कुमार सिंह ने भी सराहना की है और केंद्रीय दल ने हरियाणा का अध्ययन भी किया है।

इसी के फलस्वरूप लाइन लॉसिस को कम करने पर फोकस किया गया है और वर्तमान में लाइन लॉसिस 13.43 प्रतिशत रह गया है जो पूर्व की सरकारों में 25 से 30



प्रतिशत तक रहता था। सरकार ने उपभोक्ताओं को नियमित बिजली आपूर्ति सुनश्चिति करने के लिए पुख्ता प्रबंध सुनश्चिति किए हैं। उपभोक्ताओं की राहत देते हुए सरकार ने बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली दरों के रेट हरियाणा बिजली विनियामक

#### कृषि क्षेत्र में सब्सिडी जारी रहेगी

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कृषि क्षेत्र को पूर्व की भांति सब्सिडी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है इसके लिए सरकार ने बड़े स्तर पर बिजली की पुरानी तारों को बदला है, इसके अलावा पुराने ट्रांसफार्मर्स पर नए कंडेनसर लगाए गए हैं ताकि लाइन लॉस को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली सप्लाई के लिए नए सब-स्टेशन बनाये गए हैं तथा पुराने स्टेशनों की क्षमता में बढोतरी की गई है। इसके अलावा लोड को कम करने के लिए फीडर्स का सेग्रीगेशन भी किया गया है।

आयोग तय करता है न कि सरकार। उपलब्धता कम होने के बावजूद आयोग ने वर्ष 2023-2024 के बिजली दरों के आदेश भी कल जारी कर दिए हैं जिसे आयोग की वेबसाइट पर भी डाला गया है। उन्होंने कहा कि आज सभी श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 76 लाख से अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनेक बार बिजली की

भी प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को पूरी बिजली उपलब्ध करवाई, यह बिजली प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण रही है।

#### बिजली दर ज्यों के त्यों

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत

प्रदान की है और बिजली के रेट नहीं बढाये हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-2023 के दौरान श्रेणी एक में जीरो से 50 यूनिट तक 2 रुपये प्रति यूनिट, 51 से 100 यूनिट तक 2.50 रुपये चार्ज किया। श्रेणी दो में 0 से 150 यूनिट तक 2.75 रुपये, 150 से 250 यूनिट तक 5.25 रुपये, 251 से 500 युनिट तक 6.30 रुपये तथा 501 से 800 यूनिट तक 7.10 रुपये चार्ज किया। इस वर्ष भी घरेल उपभोक्ताओं की श्रेणी एक व दो की निर्धारित दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में 15 हॉर्स पावर व उससे ऊपर की मोटर वाले कृषि नलकुपों के लिए न्यूनतम चार्ज 200 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है।

# दैनिक ट्रिब्यून, शुक्रवार, 17 फरवरी, 2023


## पुरानी ही बिजली दरें लागू, किसानों को जारी रहेगी सब्सिडी

# हरियाणा में 76 लाख उपभोक्ताओं को राहत

चंडीगढ़, १६ फरवरी (दिन्य)

हरियाणा के 76 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। सरकार ने बिजली की दरों में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की है। पहले से चली आ रही दरें ही इस साल भी लागू रहेंगी। हरियाणा राज्य बिजली विनियामक आयोग (एचईआरसी) ने टैरिफ जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, कृषि उपभोक्ताओं को भी पहले की तरह सब्सिडी जारी रहेगी।

किसानों के लिए बिजली की दरें 10 पैसे प्रति यूनिट ही रहेंगी। बिजली की दरों में कटौती और बढ़ोतरी करने के अधिकार एचईआरसी के पास ही हैं। सरकार का एचईआरसी पर किसी तरह का कंट्रोल नहीं है, लेकिन ८ साल में प्रदेश में अभूतपूर्व बिजली सुधार : मुख्यमंत्री



तक था। सरकार ने उपमोवताओं को नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पुखा प्रबंध किए हैं। उपमोवताओं को राहत देते हुए सरकार ने बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।

विजली कंपनियों की ओर से रेट बढ़ाने को लेकर आयोग के सामने दावा प्रस्तुत किया जाता है। बताते हैं कि इस बार सरकार ने इस तरह का कोई दावा ही नहीं रखा। बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं करने को आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार इस मामले पर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होने देना चाहती। दरअसल, नयी दिल्ली के बाद आम

आदमी पार्टी पंजाब में भी 300 यूनिट तक बिजली माफ कर चुकी है। हरियाणा के पूर्व सीएम व विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ऐलान कर चुके हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 300 यूनिट माफ की जाएगी।

#### लाइन लॉस 25 से घटकर 13.43 प्रतिशत आया


हरियाणा ऐसा राज्य है, जहां बिजली बिलों को लेकर सरकारें बनती और गिरती रही हैं। ऐसे में मीजूदा भाजपा सरकार किसी भी तरह का जोखिम लेने के पक्ष में नहीं नड़र आ रही। रेट नहीं बढ़ाने के पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि प्रदेश में लाइन लॉस 25 प्रतिशत से घटकर 13.43 प्रतिशत रह गया है। बिजली कंपनियां भी अब घाटे की बजाय मुनाफे में हैं। सो, सरकार ने उपभोक्ताओं पर बोझ डालने की बजाय पुरानी ही दरों को लागू रखने का निर्णय लिया है।



## हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत:नहीं बढ़ाई दरें; CM मनोहर लाल बोले- कृषि क्षेत्र को सब्सिडी जारी रहेगी

चंडीगढ14 घंटे पहले





हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ी राहत दी है। सरकार की ओर से बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा कर किसानों को राहत देते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में दी जाने वाली सब्सिडी सरकार जारी रखेगी। मनोहर लाल ने कहा कि विगत 8 वर्षों में हरियाणा में अभूतपूर्व बिजली सुधार किए गए हैं। केंद्रीय दल ने हरियाणा का अध्ययन भी किया है।

### 13.43% हुआ लाइन लॉस


मुख्यमंत्री ने बताया कि अच्छे प्रबंधन के कारण बिजली के लाइन लॉस को कम करने में बड़ी सफलता राज्य को मिली है। आज लाइन लॉस 13.43 प्रतिशत रह गया है जो पूर्व की सरकारों में 25 से 30 प्रतिशत तक रहता था। सरकार ने उपभोक्ताओं को नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए हैं। उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सरकार ने बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।

#### बिजली विनियामक आयोग तय करता है रेट

मुख्यमंत्री ने बताया कि बिजली दरों के रेट हरियाणा बिजली विनियामक आयोग तय करता है न कि सरकार। आयोग ने वर्ष 2023-2024 के बिजली दरों के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसे आयोग की वेबसाइट पर भी डाला गया है। उन्होंने कहा कि आज सभी श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 76 लाख से अधिक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनेक बार बिजली की उपलब्धता कम होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को पूरी बिजली उपलब्ध करवाई, यह बिजली प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण रही है।

## 🎎 ये रहेंगी नई बिजली की दरें



जीरो से 50	श्रेणी दो में 0 से	२५१ से ५००		
यूनिट तक देने	150 यूनिट तक	यूनिट तक		
होंगे २ रूपए प्रति	2.75 रुपए देने	६.३० रुपए		
यूनिट	होंगे	रहेंगी दरें		
51 से 100 यूनिट	150 से 250	501 से 800		
तक २.५० रूपए	यूनिट तक	यूनिट तक		
चार्ज किया	5.25 रुपए चार्ज	7.10 रुपए किए		
जाएगा	होंगे	जाएंगे चार्ज		

#### बिजली बिलों की दर ज्यों के त्यों रहेंगी

वर्ष 2022-2023 के दौरान श्रेणी एक में जीरो से 50 यूनिट तक 2 रुपए प्रति यूनिट, 51 से 100 यूनिट तक 2.50 रुपए चार्ज किया। श्रेणी 2 में 0 से 150 यूनिट तक 2.75 रुपए, 150 से 250 यूनिट तक 5.25 रुपए, 251 से 500 यूनिट तक 6.30 रुपए तथा 501 से 800 यूनिट तक 7.10 रुपए चार्ज किया। इस वर्ष भी घरेलू उपभोक्ताओं की श्रेणी एक व दो की निर्धारित दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

### नलकूपों का न्यूनतम चार्ज फिक्स हुआ

इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में 15 हॉर्स पावर व उससे ऊपर की मोटर वाले कृषि नलकूपों के लिए न्यूनतम चार्ज 200 रुपए प्रति हॉर्स पावर प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार बिना मीटर वाले नलकूपों के लिए यह दरें 15 रुपए प्रति हॉर्स पावर प्रति माह तथा 15 हॉर्स पावर से ऊपर की मीटर वाले नलकूपों के लिए 12 रुपए प्रति हॉर्स पावर प्रति माह निर्धारित था, जो वर्ष 2023-24 के दौरान भी जारी रहेगा।



# Haryana Electricity: हिरयाणा में बिजली की दरों में नहीं हुआ इजाफा, देखें कितनी यूनिट के लग रहे हैं कितने पैसे, पूरी डिटेल देखें

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कहा है कि विगत 8 वर्षों में हरियाणा में अभूतपूर्व बिजली सुधार किये गए हैं तथा हिरयाणा में हुए बिजली सुधारों की केंद्रीय बिजली मंत्री श्री राज कुमार सिंह ने भी सराहना की है और केंद्रीय दल ने हिरयाणा का अध्ययन भी किया है।

By Ravi Jakhar | Thu, 16 Feb 2023

Haryana Electricity: मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कहा है कि विगत 8 वर्षों में हरियाणा में अभूतपूर्व बिजली सुधार किये गए हैं तथा हरियाणा में हुए बिजली सुधारों की केंद्रीय बिजली मंत्री श्री राज कुमार सिंह ने भी सराहना की है और केंद्रीय दल ने हरियाणा का अध्ययन भी किया है।

इसी के फलस्वरूप लाइन लॉसिस को कम करने पर फोकस किया गया है और आज लाइन लॉसिस 13.43 प्रतिशत रह गया है जो पूर्व की सरकारों में 25 से 30 प्रतिशत तक रहता था। सरकार ने उपभोक्ताओं को नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किये हैं। उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सरकार ने बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली दरों के रेट हरियाणा बिजली विनियामक आयोग तय करता है न कि सरकार। आयोग ने वर्ष 2023-2024 के बिजली दरों के आदेश भी कल जारी कर दिए हैं जिसे आयोग की वेबसाइट पर भी डाला गया है।

उन्होंने कहा कि आज सभी श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 76 लाख से अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनेक बार बिजली की उपलब्धता कम होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को पूरी बिजली उपलब्ध करवाई, यह बिजली प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण रही है।

#### बिजली बिलों की दर ज्यों के त्यों रहेंगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की है और बिजली के रेट नहीं बढ़ाये हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-2023 के दौरान श्रेणी एक में जीरो से 50 यूनिट तक 2 रुपये प्रति यूनिट, 51 से 100 यूनिट तक 2.50 रुपये चार्ज किया।

श्रेणी दो में 0 से 150 यूनिट तक 2.75 रुपये, 150 से 250 यूनिट तक 5.25 रुपये, 251 से 500 यूनिट तक 6.30 रुपये तथा 501 से 800 यूनिट तक 7.10 रुपये चार्ज किया। इस वर्ष भी घरेलू उपभोक्ताओं की श्रेणी एक व दो की निर्धारित दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में 15 हॉर्स पावर व उससे ऊपर की मोटर वाले कृषि नलकूपों के लिए न्यूनतम चार्ज 200 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार बिना मीटर वाले नलकूपों के लिए यह दरें 15 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह तथा 15 हॉर्स पावर से ऊपर की मीटर वाले नलकूपों के लिए 12 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह निर्धारित था, जो वर्ष 2023-24 के दौरान भी जारी रहेगा।

#### मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को पूर्व की भांति सब्सिडी जारी रहेगी।

उन्होंने कहा कि बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है इसके लिए सरकार ने बड़े स्तर पर बिजली की पुरानी तारों को बदला है, इसके अलावा पुराने ट्रांसफार्मर्स पर नए कंडेंसर्स लगवाए गए हैं ताकि लाइन लॉसिस को कम किया जा सके।

उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली सप्लाई के लिए नए सब-स्टेशन बनाये गए हैं तथा पुराने स्टेशनों की क्षमता में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा लोड को कम करने के लिए फीडर्स का सेग्रीगेशन भी किया गया है।



# Electricity Rates Haryana: हरियाणा में बिजली की दरों में नहीं हुआ इजाफा, देखें कितनी यूनिट के लग रहे हैं कितने पैसे, पूरी डिटेल देखें

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कहा है कि विगत 8 वर्षों में हरियाणा में अभूतपूर्व बिजली सुधार किये गए हैं तथा हरियाणा में हुए बिजली सुधारों की केंद्रीय बिजली मंत्री राज कुमार सिंह ने भी सराहना की है और केंद्रीय दल ने हरियाणा का अध्ययन भी किया है।

#### By Admin Skynews Thu, 16 Feb 2023

Electricity Rates Haryana: मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कहा है कि विगत 8 वर्षों में हिरयाणा में अभूतपूर्व बिजली सुधार किये गए हैं तथा हिरयाणा में हुए बिजली सुधारों की केंद्रीय बिजली मंत्री राज कुमार सिंह ने भी सराहना की है और केंद्रीय दल ने हिरयाणा का अध्ययन भी किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली दरों के रेट हरियाणा बिजली विनियामक आयोग तय करता है न कि सरकार। आयोग ने वर्ष 2023-2024 के बिजली दरों के आदेश भी कल जारी कर दिए हैं जिसे आयोग की वेबसाइट पर भी डाला गया है।

उन्होंने कहा कि आज सभी श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 76 लाख से अधिक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनेक बार बिजली की उपलब्धता कम होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को पूरी बिजली उपलब्ध करवाई, यह बिजली प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण रही है।

#### बिजली बिलों की दर ज्यों के त्यों रहेंगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की है और बिजली के रेट नहीं बढ़ाये हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-2023 के दौरान श्रेणी एक में जीरो से 50 यूनिट तक 2 रुपये प्रति यूनिट, 51 से 100 यूनिट तक 2.50 रुपये चार्ज किया। श्रेणी दो में 0 से 150 यूनिट तक 2.75 रुपये, 150 से 250 यूनिट तक 5.25 रुपये, 251 से 500 यूनिट तक 6.30 रुपये तथा 501 से 800 यूनिट तक 7.10 रुपये चार्ज किया। इस वर्ष भी घरेलू उपभोक्ताओं की श्रेणी एक व दो की निर्धारित दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में 15 हॉर्स पावर व उससे ऊपर की मोटर वाले कृषि नलकूपों के लिए न्यूनतम चार्ज 200 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है।

इसी प्रकार बिना मीटर वाले नलकूपों के लिए यह दरें 15 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह तथा 15 हॉर्स पावर से ऊपर की मीटर वाले नलकूपों के लिए 12 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह निर्धारित था, जो वर्ष 2023-24 के दौरान भी जारी रहेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को पूर्व की भांति सब्सिडी जारी रहेगी।

उन्होंने कहा कि बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है इसके लिए सरकार ने बड़े स्तर पर बिजली की पुरानी तारों को बदला है, इसके अलावा पुराने ट्रांसफार्मर्स पर नए कंडेंसर्स लगवाए गए हैं ताकि लाइन लॉसिस को कम किया जा सके।

उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली सप्लाई के लिए नए सब-स्टेशन बनाये गए हैं तथा पुराने स्टेशनों की क्षमता में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा लोड को कम करने के लिए फीडर्स का सेग्रीगेशन भी किया गया है।



# Electricity Rates Haryana: हरियाणा में बिजली की दरों में नहीं हुआ इजाफा, देखें कितनी यूनिट के लग रहे हैं कितने पैसे, पूरी डिटेल

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कहा है कि विगत ८ वर्षों में हरियाणा में अभूतपूर्व बिजली सुधार किये गए हैं

By Chopal TV News Thu, 16 Feb 2023 1 (5)







Electricity Rates Haryana: मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कहा है कि विगत ८ वर्षों में हरियाणा में अभूतपूर्व बिजली सुधार किये गए हैं तथा हरियाणा में हुए बिजली सुधारों की केंद्रीय बिजली मंत्री राज कुमार सिंह ने भी सराहना की है और केंद्रीय दल ने हरियाणा का अध्ययन भी किया है।

इसी के फलस्वरूप लाइन लॉसिस को कम करने पर फोकस किया गया है और आज लाइन लॉसिस १३.४३ प्रतिशत रह गया है जो पूर्व की सरकारों में 25 से 30 प्रतिशत तक रहता था। सरकार ने उपभोक्ताओं को नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पख्ता प्रबंध सुनिश्चित किये हैं। उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सरकार ने बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली दरों के रेट हरियाणा बिजली विनियामक आयोग तय करता है न कि सरकार। आयोग ने वर्ष २०२३-२०२४ के बिजली दरों के आदेश भी कल जारी कर दिए हैं जिसे आयोग की वेबसाइट पर भी डाला गया है।

उन्होंने कहा कि आज सभी श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 76 लाख से अधिक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनेक बार बिजली की उपलब्धता कम होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को पूरी बिजली उपलब्ध करवाई, यह बिजली प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण रही है।

#### बिजली बिलों की दर ज्यों के त्यों रहेंगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की है और बिजली के रेट नहीं बढ़ाये हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष २०२२-२०२३ के दौरान श्रेणी एक में जीरो से ५० यूनिट तक २ रूपये प्रति यूनिट, ५१ से १०० यूनिट तक २.५० रूपये चार्ज किया।

श्रेणी दो में 0 से 150 यूनिट तक 2.75 रूपये, 150 से 250 यूनिट तक 5.25 रूपये, 251 से 500 यूनिट तक 6.30 रूपये तथा 501 से 800 यूनिट तक ७.१० रूपये चार्ज किया। इस वर्ष भी घरेलू उपभोक्ताओं की श्रेणी एक व दो की निर्धारित दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में 15 हॉर्स पावर व उससे ऊपर की मोटर वाले कृषि नलकूपों के लिए न्यूनतम चार्ज 200 रूपये प्रति हॉर्स पावर प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है।

इसी प्रकार बिना मीटर वाले नलकूपों के लिए यह दरें 15 रूपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह तथा 15 हॉर्स पावर से ऊपर की मीटर वाले नलकूपों के लिए 12 रूपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह निर्धारित था, जो वर्ष 2023-24 के दौरान भी जारी रहेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को पूर्व की भांति सब्सिडी जारी रहेगी।

उन्होंने कहा कि बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है इसके लिए सरकार ने बड़े स्तर पर बिजली की पुरानी तारों को बदला है, इसके अलावा पुराने ट्रांसफार्मर्स पर नए कंडेंसर्स लगवाए गए हैं ताकि लाइन लॉसिस को कम किया जा सके।

उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली सप्लाई के लिए नए सब-स्टेशन बनाये गए हैं तथा पुराने स्टेशनों की क्षमता में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा लोड को कम करने के लिए फीडर्स का सेग्रीगेशन भी किया गया है।



## Electricity Rates Haryana: हरियाणा में लाखों बिजली उपभोक्ताओं को राहत, देखें बिजली दरों की पूरी सूची

हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को बडी राहत दी गई है हरियाणा में इस बार बिजली की दरों में कोई बढोतरी नहीं की गई है इससे प्रदेश के करीब ७६ लाख उपभोक्ताओं को फायदा होगा।

By Chopal TV News Thu, 16 Feb 2023 1 (5)









Electricity Rates Haryana: हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है हरियाणा में इस बार बिजली की दरों में कोई बढोतरी नहीं की गई है इससे प्रदेश के करीब ७६ लाख उपभोक्ताओं को फायदा होगा।

HERC की तरफ से देर शाम नई दरें जारी की गई है हरियाणा में करीब 76 लाख बिजली उपभोक्ता है इस बात हरियाणा बिजली वितरण निगम की तरफ से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए इसमें कोई बदलाव नहीं किया गए है।

	inger d	Termina i Everyo	Total Street St.	PRE 200		freedy the sites.	Test Corp. Po.	-
-		Charges (Paper / Nation or) States	ted (per little of accommod common descent (ib. same maple is on riff) or accommod accommod accommod accommod accommod accommod accommod accommod accommod a		_	HII	destination of the same or same of the sam	7
	STATE OF	Major with Flager			THE STATE OF	Manufacture.		
-	Appropriate (1995)							
71		WELLIAMS.		40				
	Spinster Steen				demokrati fallere	et are		
	Married Millians			March 60 mm				
	Code range years Code				State Contracts			b. 365676
	Street Services	MPT Law.		DESIGNATION.	SE AND TRANS	ARTIM		
	Description of the last of the		e-inecis-e	-	the named the placetopy street; it will report pain (1984)	-	6.1(B495a)	-
	S at one	4	9.1286F0046	-	II) and some	-	K/1000000	-
	Page 1 September 1	. No. (made	The 1807 February Bells Compatible of Light	100 / h 50 (6) h 50 (6) h	Public Steel Streets 2 125 ImageSteel/Setts/		#2010000 #2010000	USE of A USE/OFFine of the Box
	Street (glt)			See 16	threat right			19/9
	Aging Fatter  Sept of 181   Singer and 17 major build action requires using			Nation Nation  Temporal Conference of Early Sufficient Associations and Association Sufficiency Association Sufficienc				
	hapter (196) hapter (196) hapter (196) hapter (196)	of repris			Togeth of 2 150 Togeth of 2 150 Togeth of 2 150 Se Togeth of 2 150	Magazine of Light and a fin reports		
100	-	_			Market 1	_		
	hapterik Nordani	Named and Add Supple South				Department Coast Conf.		
	helt haven				Suff health			
	mark CIT	340 print.	2017 / 5	160	Treation #17	Allenne	pare a h	160
	5991150	ANDRES	paten w	160	Seath # ILES	(80)0400	pann a	166
	Sales Ser	Application of	g	-	Supple Bill	130,004	Applicable from mine	4
	*				miles name in	MARKET		
	NAME OF THE OWNER.	AAA/mma.		-	Truste schillers	25000		*
	max. Treats				BAR NIEW			
	Street)				Dentil .			
		22484	N.(R.) 100.) reports of Structural statistics (		H	-	No. (M) ( (M) - character of Ann-region (and ( (m)) and	
	To yes	STATES	n. er ter mente		to and	series.	N. ST. 100 SAME OF	-

	TWENCHING AND AND AND ADDRESS.			TWEET NO. WILLIAM CO. LEWIS CO. LEWI				
4.4	ingin o	Freigh Freight (Filter / Yell) and Yells)	Front Charp. Do per 600 per contin of the connected base / per colo of continued on the departs on the co- continued on the continued on the continued on the co- continued on th	100	tongen of	Owgo Owgo (New / unt or unt)	Need thep the per till per teach of the connected teach / per till of sectional section through the star register of the per sectional per till or per t	
	No.				SEC - HAVE SHAPES			

#### Retuc:

- Victor of Act Corrects," Taked Builling MBIs for supply at 23 3V and above, the HT industrial barR at the corresponding entage level shall be applicable. The barR determined in the table above the Act Turnum balling expely at 23 VV virtings, in ordinate of partitings table above to the Open access conformers bringing in process under Open Access Machinese shall also save associatings of BS Residents.
- Found changes for HT sopply and Bulk Sopply skipgory are in Bu. / WA of Openinc Someon
   is used of Gulk Supply Consumers (other than Bulk Supply DE), the Seed changes are to
- Bu AW of the connected lase where contract demand is not conditioned and in Rii AVA of contract demand where contract demand is used used.

  Advector's Chamber, shall be teriord a single rate (belf) equivalent to Co3 of O Supply as
- determined to the propert order. There shall be no domand / fixed sharps.

  5. The electricity connectation shall be levied a commissional tartified 8s. 3.75 / Unit (698 or 69%), No demand charges shall be levied.
- The schedule of SetH and charges does not locked Electricity Daty, Manicipal Tax. Panchaget Tax (being levide as part the notifications issued by the State Government) and ISA as no MM Regulations is vages.
- Tariff for the digital Gazabalos shall be th. 2.0 / Wh subject to payment of subsety by the Stars Government, in case of son-populated of subsets a bariff ecosystem to Democic Supply tariff, as determined in the present order shall be applicable.
- The facilities stendingly copply to the EV Charging station in Karyana shall be a single part tariff equivalent to the CoS of INT Supply and LT Supply, as distinguished in the present order. The off peak / night time concession benefits shall also be applicable. There shall be no fasted / demand distinge.
- In the case of the sainting consumers above 50 kW upto 70 kW 0.71 that has been reregal with rit Supple, the facelf shall be as per HT Supple, in the absence of a competible restrict actually power factor of 0.00 may be used. However, the factors dual resumer that a computation restrict of requisits accuracy as installed either by the Discous or by the consumers thereafter within all resetts from this celer. It is clarified that consumers will not have the agreement of the action of their things that to put and down.
- The sanff for places of worship shall be a single part sanff equivalent to the Dervesto Supply farifful.
- 11. The charges, other than energy and demand charges determined in the present order, for NDS category merged with HT / LT Supply shall be as per the charges applicable for erstwhile HT / LT industry. The Discoms are directed to file a comprehensive proposal for amendment in general and miscellianeous charges as well as the relevant regulations such as the Duty to Supply Regulations.
- The Temporary Supply Tariff shall remain unchanged i.e. as per the Commission's tariff order for the FY 2021-22.
- 13. The AP Supply tariff shall be Rs. 6.62 / kWh for metered supply and BHP (in the case of flat rate shall be converted to kW and units worked out by applying the average running hours of the tube-wells. However, the State Govtt. may continue with the subsidized tariff provided advance subsidy, in the beginning of each quarter is paid by the State Government to the Discoms, as per Section 65 of the Electricity Act, 2003. It is clarified that in the case of theft of electricity by AP Tube-Well consumer the tariff to be reckoned with shall be as determined by the Commission i.e. Rs. 6.62/Unit.
- 14. It is clarified that the acceptance limit of cash will be Rs. 5000 (five thousand). However, the cash collection limit for theft penalty amount may be enhanced to Rs. 2,00,000 (two lakhs); submission of PAN Card shall be mandatory for any transaction exceeding Rs. 50,000 (Fifty Thousand). It is further made clear that the AEE / SDO concerned shall be fully responsible for cash collected and prompt remittance into the designated bank(s).
- The AP Tube-well tariff determined by the Commission u/s 62 of the Electricity Act, 2003 shall be levied by the Discoms in case the Government does not pay subsidy in accordance with the provisions of Section 65 of the Electricity Act, 2003.
- 16. Green Energy premium shall be Rs. 2.30 / Unit over and above the normal tariff.

All the directives contained in the various chapters of the present order as well as the Annexures, shall be complied with by the Discoms within the time line specified for the purpose.

#### ANNEXURE - B

#### Directives issued in the present order

- UHBVNL and DHBVNL are directed to intimate, within one month from the date of the
  present order, the details of assets for which Capex were incurred and depreciation
  claimed but remained stranded / un-utilised due to one reason or the other including
  non-availability of associated lines / equipment etc.
- The licensee(s) must ensure that consumers are paid interest on their Advance Consumption Deposits duly reflected in their energy bills for the relevant month i.e. bill(s) issued in the month of April / May.
- 3. In view of the discrepancies in the AP sales figures, the Commission directs that the MD DHBVN will check the figures of AP sales and input energy and submit a report on running of AP tube wells on non-AP feeders within one month of issue of this order besides reconciliation of figures as per order.
- 4. The Commission had rationalized certain tariff category and classified the same into HT and LT Supply depending on the voltage of at which consumers in different categories were taking supply. Hence, the same practice shall continue. The Discoms, may collate data accordingly i.e. as per the merged categories instead of the categories that have been dispensed with.
- 5. While resorting to bidding or calling for expression of interest for power procurement the Discoms must ensure that the power under PPAs, already approved by the Commission, materialises and also the intra-State generator, subject to MoD in vogue are dispatched. However, it is reiterated that when contracting a new source of power supply the landed cost of such power vis-à-vis cost of power from HPGCI's power stations shall be reckoned with instead of MoD prepared on the basis of variable/ fuel cost.
- In case additional power, if required, may be met from power allocated to Haryana from
  the Central un-allocated quota with prior approval of the Commission. However, in case
  of extreme emergency Discoms may schedule power subject to ex-post facto approval of
  the Commission giving detailed justification, not later than 15 days thereof.
- 12. The Commission again directs the DISCOMs to reduce AT&C losses of all urban feeders below 25% and that of Rural feeders below 50% in FY 2022-23 and to submit the Status Report after 2 months of the order.
- 13. The Commission again directs the licensees to bring down the distribution transformer damage rate below the prescribed limits in FY 2022-23 and FY 2023-24. Any slippage on account of the timeline shall lead to penalty as deemed fit and appropriate by the Commission as per various provisions of the Act and Regulations framed thereunder. Further Commission directs the licensee to provide the action plan and the action taken to reduce rate DT damage during FY 2022-23 and FY 2023-24.
- 14. DHBVN is again directed to clear the backlog of defective metering and to ensure that at no point of time the percentage of defective meters exceeds 2% limit as per SOP regulations in vogue.
- The Commission directs DISCOMs especially DHBVN to replace all electromechanical meters shown pending for replacement and submit compliance report within 3 months from date of this order.
- 16. DISCOMs are directed to expedite the Installation of Smart Metering Project already undertaken to ensure the competition of project within the time lines of agreement executed between EESL and DISCOMs.
- Further, DISCOMs to submit status of RFP/NIT along with their detailed plan regarding replacing of conventional energy meters by prepaid smart meters within two months of issuance of this Tariff Order.
- 18. The commission directs DISCOMs:
  - i. To improve efficiency in the meter reading activities including billing.
  - ii. To reduce number of bills rendered on provisional basis.
  - There should be no bill rendered on average basis for more than 2 billing cycles failing which consumer shall be entitled to claim compensation.
- 19. It may be noted that in case batteries are installed by the Discoms at their sub-stations and the same are charged during off-peak hours so that the stored power can be injected back into the grid during peak hours to bridge any demand-supply gap, the same shall be counted towards fulfilment of storage RPO.



## हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिलों को लेकर बड़ी राहत, HERC ने किया ये ऐलान

हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है हरियाणा में इस बार बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है इससे प्रदेश के करीब 76 लाख उपभोक्ताओं को फायदा होगा.

By Chopal TV News Thu, 16 Feb 2023 1 0





हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है हरियाणा में इस बार बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है इससे प्रदेश के करीब 76 लाख उपभोक्ताओं को फायदा होगा.

HERC की तरफ से देर शाम नई दरें जारी की गई है हरियाणा में करीब 76 लाख बिजली उपभोक्ता है इस बात हरियाणा बिजली वितरण निगम की तरफ से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए इसमें कोई बदलाव नहीं किया गए है।


# No change in power rates in Hry, no. of users crosses 76L

## Despite Less Production, Sufficient Supply Provided: CM

TIMES NEWS NETWORK

Chandigarh: In a relief to consumers, Haryana has decided not to make any changes in electricity rates. The Haryana Electricity Regulatory Commission has issued orders for electricity rates for the year 2023-2024, which has been posted on its website. As on Thursday, the number of electricity consumers of all categories is more than 76 lakh.

During the year 2022-2023, in category one, Rs 2 per unit was charged from zero to 50 units; while Rs 2.50 was charged from 51 to 100 units. In category two, Rs 2.75 was charged from 0 to 150 units, Rs 5.25 from 150 to 250 units, Rs 6.30



Transmission losses are to be cut

from 251 to 500 units and Rs 7.10 from 501 to 800 units. This year also, there has been no change in the fixed rates of category one and two of domestic consumers.

Similarly, in the agriculture sector, Rs 200 per horsepower per year has been fixed for agricultural tubewells, with motor of 15 horsepower and above. Likewise, the rates fixed at Rs 15 per horsepower per month for unmetered tubewells and Rs 12 per horsepower per month for metered tubewells above 15 horsepower; will continue during the year 2023-24 as well.

Sharing more details about the issue of power, Haryana chief minister Manohar Lal Khattar said it has been a great example of power management, and despite less availability of power, the state government provided sufficient electricity to consumers. As a result of this, the focus has been on reducing line losses and today the line losses have come down to 13.43 percent, which used to be 25 to 30 percent in the previous governments. The state government has made elaborate arrangements to ensure regular power supply to the consumers.

The CM added that the subsidy to the agriculture sector will continue as before. Stating that 'power saving is power generation', he said that for this, the government has replaced old electrical wiring on a large scale; besides new condensers have been installed on old transformers to reduce line losses.

ELECTION MODE

# No hike in Haryana power tariff despite ₹357-crore revenue gap

Regulator noted that discoms have projected average cost of power for 2023-24 at ₹3.83/unit while it is more than ₹5/unit in 2022-23

#### Hitender Rao

hrao@hindustantimes.com

CHANDIGARH: In good news for electricity consumers in Haryana, they will continue to pay the existing electricity rates in the next financial year starting April I.

Going into poll mode, Haryana government owned power distribution companies - the Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam (UHBVN) and Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam (DHBVN), had prayed before the power regula-

tor to allow the existing levels of electricity tariff and charges to be continued in 2023-24 financial year. The Haryana Electricity Regulatory Commission (HERC), which is responsible for the regulation of power sector and fixing electricity tariff in the state, seems to have played along. The regulator, in its February 15 order on retail supply tariff for 2023-24, accepted the no-escalation plea of the stateowned power distribution companies (discoms) despite the fact that the two companies projected a revenue deficit of Rs 397.36 crore at the existing tariff. The regulator allowed the discoms' plea of no escalation in power tariff by accepting their argument of bridging the Rs 397.36 crore revenue gap by way of efficiency gains.

The power regulator though noted with concern that the average cost of power (without transmission cost) for 2023-24

has been projected by the discoms at Rs 3.83 per unit while it has been more than Rs 5 per unit in 2022-23 financial year (up to December 2022).

However, the regulator noted that the landed cost of shortterm power proposed for their consideration and approval is also significantly higher and spills over to the months, so far, considered as off-peak months. "The discoms are directed to examine the discrepancies in its power purchase cost vis-à-vis the cost projected, to bring out the facts that would lead to reduction in cost of power to the extent projected for the ensuing financial year. A report regarding the same may be submitted within a month from the date of the present order," the Commis-

The regulator said that given the uncertainty in availability of coal including the requirement to blend 10% imported coal with

domestic coal at thermal power plants as well as the requirement to use torrefied biomass pellets. the cost of power is likely to work out more than the power purchase cost considered by them in the present order

"In view of non-availability of power from a few power generating units, the discoms are likely to purchase short-term power from power exchange or otherwise, and cost thereto is likely to be more than the average power purchase and the average rate of short-term power considered on the basis of quantum and cost of such power procured during 2022-23." the HERC said.

The Commission said that at the existing tariff, there is a revenue gap of Rs 357.18 crore after considering the surplus on account of true-up for the 2021-22 financial year and holding cost thereto.

The commission, in its order.

view that at this stage the distribution and retail supply tariff ought not to be revised. In view of the above, the Commission directs that in the next aggregate revenue requirement (ARR), the discoms will submit a tariff proposal as well; it may not necessarily be for increase or decrease in tariff but for improvement in tariff design, reduction in the number of category or sub-categories, re-alignment of fixed charges etc. The proposal should include its impact on a typical consumer, it said.

The Commission also noted that the amount collected by the discoms in the 2022-23 fiscal by way of minimum monthly charges and expected to be collected at the same level in the 2023-24 exceeds the estimated revenue gap, the said amount shall be carried over as surplus to be trued up at the time of truing-up exercise of the 2023-24.


# बिजली दरों में नहीं हुई वृद्धि, कृषि क्षेत्र को सिस्स्डी रहेगी जारी : मुख्यमंत्री

## हरियाणा में बिजली सुधारों की केंद्रीय बिजली मंत्री राज कुमार सिंह ने की सराहना

चंडीगढ, 16 फरवरी (राम सिंह बराड): मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा" है कि विगत 8 वर्षों में हरियाणा में अभृतपूर्व बिजली सुधार किये गए हैं तथा हरियाणा में हुए बिजली सुधारों की केंद्रीय बिजली मंत्री राज कुमार सिंह ने भी सराहना की है और केंद्रीय दल ने हरियाणा का अध्ययन भी किया है। इसी के फलस्वरूप लाइन लॉसिस को कम करने पर फोकस किया गया है और आज लाइन लॉसिस 13.43 प्रतिशत रह गया है जो पूर्व की सरकारों में 25 से 30 प्रतिशत तक रहता था। सरकार ने उपभोकाओं को नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किये हैं। उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सरकार ने बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली दरों के रेट हरियाणा बिजली विनियामक आयोग तय करता है

न कि सरकार। आयोग ने वर्ष 2023-2024 के बिजली दरों के आदेश भी कल जारी कर दिए हैं जिसे आयोग की वेबसाइट पर भी डाला गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सभी श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 76 लाख से अधिक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनेक बार बिजली की उपलब्धता कम होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को पूरी बिजली उपलब्ध करवाई, यह बिजली प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की है और बिजली के रेट नहीं बढ़ाये हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-2023 के



मुख्यमंत्री मनोहर लाल

500 यूनिट तक 6.30 रुपये तथा 501 से 800 यूनिट तक 7.10 रुपये चार्ज किया। इस वर्ष घरेलू उपभोक्ताओं की श्रेणी एक व दो की निर्धारित दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में 15 हॉर्स पावर व उससे ऊपर की मोटर वाले कृषि नलकूपों के लिए न्यूनतम चार्ज 200 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है।

दौरान श्रेणी एक में

जीरो से 50 युनिट

तक 2 रुपये प्रति

यूनिट 51 से 100

युनिट तक 2.50 रुपये

चार्ज किया। श्रेणी दो

में 0 से 150 यूनिट

तक 2.75 रुपये, 150

से 250 यूनिट तक

5.25 रुपये, 251 से

इसी प्रकार बिना मीटर वाले नलक्पों के लिए यह दरें 15 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह तथा 15 हॉर्स पावर से ऊपर की मीटर वाले नलक्पों के लिए 12 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह निर्धारित था, जो वर्ष 2023-24 के दौरान भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को पूर्व की भाति सब्सिडी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है इसके लिए सरकार ने बड़े स्तर पर बिजली की पुरानी तारों को बदला है, इसके अलावा पुराने ट्रांसफार्मर्स पर नए कंडेंसर्स लगवाए गए हैं ताकि लाइन लॉसिस को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली सप्लाई के लिए नए सब-स्टेशन बनाये गए हैं तथा पुराने स्टेशनों की क्षमता में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा लोड को कम करने के लिए फीडर्स का सेग्रीगेशन भी किया गया है।

प्रेस कतरनें

दिनांक 1 7 FEB 2023



# बजट से पहले बड़ा फैसला, नहीं बढ़ेंगी बिजली की दरें, किसानों को सब्सिडी मिलती रहेगी

राज्य खरो, चंडीगढ़ : हरियाण विधानसभा के बजट सत्र से पहले प्रदेश सरकार ने 76 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। बिजली उत्पादन और बिजली खरीद की बढ़ी लागत के बावजूद हरियाणा राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने पुराने बिजली टैरिफ को बरकरार रखा है। किसी भी श्रेणी में बिजली की दर्रे नहीं बढ़ाई गई हैं। कृषि क्षेत्र को सब्सिडी भी जारी रहेगी। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के हस्तक्षेप पर बिजली की दरें नहीं बदाने का फैसला लिया गया है।

नवा टैरिफ पहली अप्रैल से लागू होगा। पिछले साल की तरह ही श्रेणी एक के बिजली उपभोक्ताओं से 50 यूनिट तक दो रुपये प्रति यूनिट और 51 से 100 युनिट तक ढाई रुपये चार्ज किए जाएंगे। श्रेणी दो में 150 यूनिट तक 2.75 रुपये, 150 से 250 युनिट तक 5.25 रुपये, 251 ब्रित युनिट चार्ज किए जाएंगे। किप

 हरियाणा राज्य विद्युत विनियामक आयोग के प्रयास से 76 लाख विजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी

नहीं की गई है वृद्धि, कम खपत वाले उपभोक्ताओं के लिए ससी हुई विजली

लाइनलास १३.४३ प्रतिगत रह गया है

ओ पूर्व की सरकारों में 25

सं ३० प्रतिशत तक रहता

था। अनेक बार बिजली

की उपलब्धता कम होने

ने उपभोवलाओं को पूरी

बिजली उपलब्ध करवाई।


के बावजूद प्रदेश सरकार

#### बजली सुधारों पर केंद्र सरकार ने श्रपथपाई पीठ

परवानेत्री मनोहर लाल ने बताया

के विगत आह वर्षे में प्रदेश में अमृतपूर्व बिजली सुधार किए गए है। केंद्रीय बिजली मंत्री राज कुमार सिंह ने भी इसकी सरहना की है। कंदीय देश में हरियाणा का अध्ययन भी किया

है। इसीके कलस्वस्थ लाइनलास को कम



से 500 युनिट तक 6.30 रुपये तथा

507 से 800 युनिट तक 7.10 रुपये

यह बिजली प्रवंचन का वेहतरीन उदाहरण है। विजली धपनियां पिलहाल लाभ की स्थिति में पहच गई है।

> क्षेत्र में 15 हार्स पावर व उससे ऊपर की मोटर वाले कृषि नलकुपा के लिए न्यूनतम चार्ज 200 रुपरे प्रति

हासं पावर प्रति वर्ष निर्धारित किया पिछले आठ वर्णों से बिजली की दरों में गया है। बिना मीटर वाले नलकपों के लिए यह दरें 15 रुपये प्रति हार्स पावर प्रति माह तथा 15 हार्स पावर से ऊपर की मीटर वाले नलकुपों के लिए 12 रुपये प्रति हासं पावर प्रति माह रहेगा।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि कृषि क्षेत्र को पूर्व की भाति सब्सिडी जारी रहेगी। चुकि बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है, इसके लिए सरकार ने बड़े स्तर पर प्राने तारों को बदला है। पुराने टांसफार्मर पर नए कंडेंसर्स लगवाए गए हैं ताकि लाइन लास को कम किया जा सके। उपमोक्ताओं को निर्वाध बिजली सप्लाई के लिए नए सब-स्टेशन बनाए गए हैं तथा पुराने स्टेशनों की क्षमता में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा लोड को कम करने के लिए फीडर्स का पृथकोकरण किया गया है।

## 23 को सीएम पेश करेंगे 2023-24 का बजट

राज्य ब्यूरो, चंडीगदः विधानसभा का बजट सन्न 20 फरवरी से आरंप होगा और 22 मार्च को खत्म होगा। पहला चरण 20 से 23 तक रहेगा। 23 फरवरी को वित्त मंत्री के नाते मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2023-24 का वार्षिक बजट पेश करेंगे। इस चरण में विधानसभा की चार सीटिंग होंगी। दूसरे चरण की तारीख बदली गई है। पहले यह 16 मार्च से आरंभ होना था, जो अब 17 मार्च से आरंभ होगा और 21 की बजाय 22 मार्च तक चलेगा। विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बृहस्पतिवार को हुई बैठक में: बजट सत्र के प्रारूप को अंतिम रूप दिया गया। भ्रपेंद्र सिंह हुइडा बैठक में नहीं आए। विधानसभा स्पीकर हा. ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी

#### 30 ध्यानाकवंण प्रस्ताव मिले

विधानसभा अध्यक्ष डा . झानवंद गाता ने बताया कि बजट सन के लिए 51 विचायकों की ओर से 3,28 ताराक्रित प्रध्न और 20 विद्यायकी की और से 184 अतारांकित प्रश्न विधानसभा सचिवालय को प्राप्त हुए है। विधायकों से ३० ध्यानाकर्षण संस्ताएं, दो कार्य स्थान प्रस्तात, दो गैर सरकारी प्रस्ताव, दो अल्प अवधि प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं।

(बीएसी) की बैठक में मुख्यमंत्र मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यं सिंह चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज कंबरपाल गुजर व डिप्टी स्पीक रणबीर सिंह गंगवा ने भागीदारी की 20 को राज्यपाल बंडारु दत्तात्रेय है बजट सत्र की शुरुआत होगी।

## अमरउजाला

17.02.2023

# बिजली की दरों में नहीं हुई वृद्धि, कृ.

क्षेत्र को सब्सिडी जासे रहेगी: मुख्यमंत्री

खंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है हरियाणा में विजली उपभोक्ताओं की संख्या 76 लाख पार हुई है व बिजली की दरों में बृद्धि नहीं की गई।

पिछले 8 वर्षों में हरियाणा में अभूतपूर्व बिजलो सुधार किये गए हैं। हरियाणा में हुए बिजली सुधारों की केंद्रीय बिजली मंत्री राज कुमार सिंह ने भी सराहना की है और केंद्रीय दल ने हरियाणा का अध्ययन भी किया है। हसी के फलस्वरूप लाइन लॉसिस की कम करने पर फोकस किया गया है और वर्तमान में लाइन लॉसिस 13.43 प्रतिसत रह गया है, जो पूर्व की सरकारों में 25 से 30 प्रतिसत

को निर्धामत अएति सनिश्चित करने के प्रकृता प्रबंध सनिश्चित किये उपभोकताओं को राहत देते सरकार ने बिजलो दरों में को बदलाध नहीं किया है। आयोग ने वर्ष 2023-2024 के विमली दरो आदेश भी कल जारी कर दिए हैं जिसे आयोग की वेबसहट पर भी हाला गया है। पुराने स्टेशमी की क्षमता में बढ़ोतरी की गईम्ख्यमंत्री ने कहा कि कृषि होत्र को पूर्व की भारत सिन्मडी जारी रहेगी। सरकार ने बहे स्तर पर विजली की पुरामी तारों को **बटला है।** ब्राज

# No Power tariff hike in Haryana: Chief Minister

PNS CHANDIGARH



Giving relief to the con-Minister Manohar Lal Khattar on Thursday said that no change has been made in the electricity rates and there will be no hike in the rates of power this financial year.

"As a result of power reforms, the focus has been on reducing the line losses and today the line losses have come down to 13.43 percent; which used to be 25 to 30 percent in the previous governments. The state government has made elaborate arrangements to ensure regular power supply to the consumers, he said.

Khattar added that the power tariffs are decided by the Haryana Electricity Regulatory Commission and not the government. The Commission has also issued the orders for electricity rates for the year 2023-2024, which have been posted on its website. He said that today the number of electricity consumers of all categories as more than 76 lakh. He said

it has been a great example of power management, that despite the less availability of electricity many times; the state government provided complete electricity to the consumers. The Chief Minister said that the government has provided relief to the electricity consumers and has not increased the tariffs. He said that during the year 2022-2023, in category one, Rs 2 per unit was charged from zero to 50 units; while Rs 2.50 was charged from 51 to 100 units. In category two, Rs 2.75 was charged from 0 to 150 units, Rs 5.25 from 150 to 250 units. Rs 6.30 from 251 to 500 units and Rs 7.10 from 501 to 800 units. This year also there has been no change in the fixed rates of category one and two of domestic consumers. Similarly, in the agriculture sector, Rs 200 per horsepower per year has been fixed for agricultural tubewells with motor of 15 horsepower and above. Likewise, the rates fixed at Rs 15 per horsepower per month for unmetered tubewells and Rs 12 per horsepower per month for metered tubewells above 15 horsepower; will continue during the year 2023-24 as well,

Khattar said that the subsidy to the agriculture sector will continue as before. Stating that 'power saving is power generation, he said that for this, the government has replaced old electrical wiring on a large scale; besides new condensers have been installed on old transformers to reduce line

He said that new sub-stations and old stations have been increased for uninterrupted power supply to the consumers. Apart from this, segregation of feeders has been done to reduce the load,

Khattar added. CM TO PRESENT BUDGET ON FEB 23

The Chief Minister, who also holds the finance portfolio, will present the state Budget for 2023-24 in the Vidhan Sabha on February 23. The Budget session will begin with Governor Bandaru Dattatreya delivering the address on February 20, said Vidhan Sabha Speaker Gian Chand Gupta after presiding over a meeting of the Business Advisory Committee (BAC) in Chandigarh on Thursday.

Talking to reporters, Gupta said that the Vidhan Sabha will start on February 20 and would continue till March 22. However, there would be no sittings from February 24 to March 16. During this period, there would be a total of seven sittings of House.Discussion on the gov-ernor's address will be held on February 21 and February 22 and the Chief Minister will respond to governor's address on February 22. There would be no sittings from February 24 to March 16. On March 17, there will be a detailed discussion on budget in the assembly. There will be a Government holiday on March 18, and 19. The discussion will be held on budget on March 20 and March 21. The CM will give answer on budget on March 21. Discussion on legislative work will be held on March 22.

सवेस ब्यूरो 🖁 📞 बिजली उपमोक्ताओं की चंडीगढ, 16 फरवरी : मुख्यमंत्री संख्या ७६ लाख पार

मनोहर लाल के कहा कि विगत 08 वर्षों में हरियाणा में अभ्वपूर्व विजली सुधार किए गए है। हरियाणा में हुए बिजली सुधारों की केंद्रीय बिजली मंत्री राज कुमार सिंह ने भी सराहना की है और केंद्रीय दल ने हरियाणा का अध्ययन भी किया है। इसके फलस्वरूग लाइन लॉसिस को कम करने पर फोकस किया गया है। आज लाइन लॉसिस 13,43 प्रतिशत रह गया है, जो पूर्व की सरकारों में 25 से 30 प्रतिशत तक रहता था। सरकार ने उपभोकताओं को । शेष पाट 4 पर

निरंतर प्रयासों के चलते लाइन लॉसिस २५ प्रतिशत से हुआ १३.४३ प्रतिशत



मनाहर लाल

## बिजली बिलों की दर ज्यों की त्यों रहेंगी

मण्डमंत्री ने कता कि सरकार ने बिअली उपपोक्ताओं को एहत प्रदान की है और विजली के रेप्ट नहीं बदाए है। वर्ष 2022-2023 के दौरान बेणी एक में औरो से 50 युनिट तक दो रुपने प्रति युनिट, 51 से 100 यनिट तक 2.50 रुपवे चार्ज किया। श्रेणी दो में 0 से 150 युनिट तक 2.75 रुपये, 150 से 250 युनिट तक 5.25 रुपये, 251 से 500 युनिट तक 6.30 रुपये और 501 से 800 युनिट तक 7.10 रुपये चार्ज किया। इस वर्ष भी घरेल उपभोक्ताओं की

क्षेणी एक व यो को निधरित देशे मे कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कृषि क्षेत्र में 15 हॉर्स पावर व उससे ऊपर की मोटर वाले कृषि नलकृषी के लिए न्यूनतम चार्ज 200 रुपये प्रति होसं पावर प्रति वर्ष निधारित किया गया है। बिना मीटर वाले नलकृषों के लिए यह दो 15 रुपये प्रति होंसे पायर प्रति माह और 15 हॉर्स पावर से ऊपर की मीटर वाले नलक्षपी के लिए 12 रुपये प्रति धाँसं पाधर प्रति याध निर्धारित था, जो वर्ष 2023-24 के दौरान भी जारी रहेगा।

## कृषि क्षेत्र को सबसिडी रहेगी जारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को पूर्व की भारि संबंसिडी जारी रहेगी। बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। इसके लिए सरकार ने बड़े स्तर पर विजाली की पुरानी तारों को बदला है। इसके अलावा पुराने टांसपवर्णसं पर नए कडिससं लगवाए नए हैं ताकि लाइन लॉसिस को कम किया जा सके। उपभोक्ताओं को निर्बाध विजली सप्लाई के लिए नए सब-स्टेशन बनाए गए हैं। पुराने स्टेशनों की क्षमता में बढ़ौतरी की गई है। इसके अलावा लोह को कम करने के लिए प्रीहर्स का संग्रीयेशन भी किया गया है।

# हरियाणा में बिजली दरों

नियमित विजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पुछ्ता प्रवीय सुनिश्चित किए हैं। उपभोक्ताओं को राहत देते हुए मरकार ने बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किजली दरों के रेट हरियाणा बिजली विनियामक आयोग तय करता है न कि सरकार। आयोग ने वर्ष 2023-2024 के बिजली दरों के आदेश भी कल जारी कर दिए हैं। जिसे आयोग की वेबसाएट पर भी हाला गया है। आज सभी ब्रेणियों के बिजली अभीकदाओं की संख्या 76 लाख से अधिक हैं। अनेक बार बिजली की उपलब्धता कम होने के बायजूद भी सरकार ने उपभोक्ताओं को पूरी विजली उपलब्ध करकाई, वह बिजली प्रवीयम का बेहतरीन उदाहरण रही है।



# बिजली की दरों में नहीं हुई है वृद्धि-मुख्यमंत्री

बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 76 लाख के पार

निरंतर प्रयासों के चलते लाइन लॉसिस 25 प्रतिशत से हुआ 13.43 प्रतिशत

## कृषि क्षेत्र को सब्सिडी जारी रहेगी, बिजली उपभोक्ताओं के हित सर्वोपरि - मुख्यमंत्री

चंडीगढ़, 16 फरवरी 2023। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के कहा है कि विगत 8 वर्षों में हरियाणा में अभूतपूर्व बिजली सुधार किये गए हैं तथा हरियाणा में हुए बिजली सुधारों की केंद्रीय बिजली मंत्री श्री राज कुमार सिंह ने भी सराहना की है और केंद्रीय दल ने हरियाणा का अध्ययन भी किया है। इसी के फलस्वरूप लाइन लॉसिस को कम करने पर फोकस किया गया है और आज लाइन लॉसिस 13.43 प्रतिशत रह गया है जो पूर्व की सरकारों में 25 से 30 प्रतिशत तक रहता था। सरकार ने उपभोक्ताओं को नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किये हैं। उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सरकार ने बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली दरों के रेट हरियाणा बिजली विनियामक आयोग तय करता है न कि सरकार। आयोग ने वर्ष 2023-2024 के बिजली दरों के आदेश भी कल जारी कर दिए हैं जिसे आयोग की वेबसाइट पर भी डाला गया है। उन्होंने कहा कि आज सभी श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 76 लाख से अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनेक बार बिजली की उपलब्धता कम होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को पूरी बिजली उपलब्ध करवाई, यह बिजली प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण रही है।

#### बिजली बिलों की दर ज्यों के त्यों रहेंगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की है और बिजली के रेट नहीं बढ़ाये हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-2023 के दौरान श्रेणी एक में जीरो से 50 यूनिट तक 2 रुपये प्रति यूनिट, 51 से 100 यूनिट तक 2.50 रुपये चार्ज किया। श्रेणी दो में 0 से 150 यूनिट तक 2.75 रुपये, 150 से 250 यूनिट तक 5.25 रुपये, 251 से 500 यूनिट तक 6.30 रुपये तथा 501 से 800 यूनिट तक 7.10 रुपये चार्ज किया। इस वर्ष भी घरेलू उपभोक्ताओं की श्रेणी एक व दो की निर्धारित दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में 15 हॉर्स पावर व उससे उपर की मोटर वाले कृषि नलकूपों के लिए 200 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति वर्ष

निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार बिना मीटर वाले नलकूपों के लिए यह दरें 15 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह तथा 15 हॉर्स पावर से ऊपर की मीटर वाले नलकूपों के लिए 12 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह निर्धारित था, जो वर्ष 2023-24 के दौरान भी जारी रहेगा।


मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को पूर्व की भांति सब्सिडी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है इसके लिए सरकार ने बड़े स्तर पर बिजली की पुरानी तारों को बदला है, इसके अलावा पुराने ट्रांसफार्मर्स पर नए कंडेंसर्स लगवाए गए हैं तािक लाइन लॉसिस को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली सप्लाई के लिए नए सब-स्टेशन बनाये गए हैं तथा पुराने स्टेशनों की क्षमता में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा लोड को कम करने के लिए फीडर्स का सेग्रीगेशन भी किया गया है।



Home > राज्य > हरियाणा > बिजली की दरों में नहीं हुई है वृद्धि, बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 76 लाख के पार-मुख्यमंत्री

## बिजली की दरों में नहीं हुई है वृद्धि, बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 76 लाख के पार-मुख्यमंत्री





#### अजीत सिन्हा की रिपोर्ट

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कहा है कि विगत 8 वर्षों में हरियाणा में अभूतपूर्व बिजली सुधार किये गए हैं तथा हरियाणा में हुए बिजली सुधारों की केंद्रीय बिजली मंत्री राज कुमार सिंह ने भी सराहना की है और केंद्रीय दल ने हरियाणा का अध्ययन भी किया है। इसी के फलस्वरूप लाइन लॉसिस को कम करने पर फोकस किया गया है और आज लाइन लॉसिस 13.43 प्रतिशत रह गया है जो पूर्व की सरकारों में 25 से 30 प्रतिशत तक रहता था। सरकार ने उपभोक्ताओं को नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए हैं। उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सरकार ने बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।



मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली दरों के रेट हरियाणा बिजली विनियामक आयोग तय करता है न कि सरकार। आयोग ने वर्ष 2023-2024 के बिजली दरों के आदेश भी कल जारी कर दिए हैं जिसे आयोग की वेबसाइट पर भी डाला गया है। उन्होंने कहा कि आज सभी श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 76 लाख से अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनेक बार बिजली की उपलब्धता कम होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को पूरी बिजली उपलब्ध करवाई, यह बिजली प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की है और बिजली के रेट नहीं बढ़ाये हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-2023 के दौरान श्रेणी एक में जीरो से 50 यूनिट तक 2 रुपये प्रति यूनिट, 51 से 100 यूनिट तक 2.50 रुपये चार्ज किया। श्रेणी दो में 0 से 150 यूनिट तक 2.75 रुपये, 150 से 250 यूनिट तक 5.25 रुपये, 251 से 500 यूनिट तक 6.30 रुपये तथा 501 से 800 यूनिट तक 7.10 रुपये चार्ज किया। इस वर्ष भी घरेलू उपभोक्ताओं की श्रेणी एक व दो की निर्धारित दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में 15 हॉर्स पावर व उससे ऊपर की मोटर वाले कृषि नलकूपों के लिए न्यूनतम चार्ज 200 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार बिना मीटर वाले नलकूपों के लिए यह दरें 15 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह तथा 15 हॉर्स पावर से ऊपर की मीटर वाले नलकूपों के लिए 12 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह निर्धारित था, जो वर्ष 2023-24 के दौरान भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को पूर्व की भांति सब्सिडी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है इसके लिए सरकार ने बड़े स्तर पर बिजली की पुरानी तारों को बदला है इसके अलावा पुराने ट्रांसफार्मर पर नए कंडेंसर्स लगवाए गए हैं ताकि लाइन लॉसिस को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली सप्लाई के लिए नए सब-स्टेशन बनाये गए हैं तथा पुराने स्टेशनों की क्षमता में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा लोड को कम करने के लिए फीडर्स का सेग्रीगेशन भी किया गया है।



Home > Dhbvn > बिजला का दरा म नहां हुई ह वृद्ध- मुख्यमत्रा

### बिजली की दरों में नहीं हुई है वृद्धि- मुख्यमंत्री

ajeybharat O Thursday, February 16, 2023

बिजली की दरों में नहीं हुई है वृद्धि- मुख्यमंत्री

बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 76 लाख के पार

निरंतर प्रयासों के चलते लाइन लॉसिस 25 प्रतिशत से हुआ 13.43 प्रतिशत

कृषि क्षेत्र को सब्सिडी जारी रहेगी, बिजली उपभोक्ताओं के हित सर्वोपरि - मुख्यमंत्री

चंडीगढ़, 16 फरवरी 2023। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के कहा है कि विगत 8 वर्षों में हरियाणा में अभूतपूर्व बिजली सुधार किये गए हैं तथा हरियाणा में हुए बिजली सुधारों की केंद्रीय बिजली मंत्री श्री राज कुमार सिंह ने भी सराहना की है और केंद्रीय दल ने हरियाणा का अध्ययन भी किया है। इसी के फलस्वरूप लाइन लॉसिस को कम करने पर फोकस किया गया है और आज लाइन लॉसिस 13.43 प्रतिशत रह गया है जो पूर्व की सरकारों में 25 से 30 प्रतिशत तक रहता था। सरकार ने उपभोक्ताओं को नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किये हैं। उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सरकार ने बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली दरों के रेट हरियाणा बिजली विनियामक आयोग तय करता है न कि सरकार। आयोग ने वर्ष 2023-2024 के बिजली दरों के आदेश भी कल जारी कर दिए हैं जिसे आयोग की वेबसाइट पर भी डाला गया है। उन्होंने कहा कि आज सभी श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 76 लाख से अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनेक बार बिजली की उपलब्धता कम होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को पूरी बिजली उपलब्ध करवाई, यह बिजली प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की है और बिजली के रेट नहीं बढ़ाये हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-2023 के दौरान श्रेणी एक में जीरो से 50 यूनिट तक 2 रुपये प्रति यूनिट, 51 से 100 यूनिट तक 2.50 रुपये चार्ज किया। श्रेणी दो में 0 से 150 यूनिट तक 2.75 रुपये, 150 से 250 यूनिट तक 5.25 रुपये, 251 से 500 यूनिट तक 6.30 रुपये तथा 501 से 800 यूनिट तक 7.10 रुपये चार्ज किया। इस वर्ष भी घरेलू उपभोक्ताओं की श्रेणी एक व दो की निर्धारित दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में 15 हॉर्स पावर व उससे ऊपर की मोटर वाले कृषि नलकूपों के लिए 200 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार बिना मीटर वाले नलकूपों के लिए यह दरें 15 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह तथा 15 हॉर्स पावर से ऊपर की मीटर वाले नलकूपों के लिए 12 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह निर्धारित था, जो वर्ष 2023-24 के दौरान भी जारी रहेगा।


मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को पूर्व की भांति सब्सिडी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है इसके लिए सरकार ने बड़े स्तर पर बिजली की पुरानी तारों को बदला है, इसके अलावा पुराने ट्रांसफार्मर्स पर नए कंडेंसर्स लगवाए गए हैं ताकि लाइन लॉसिस को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली सप्लाई के लिए नए सब-स्टेशन बनाये गए हैं तथा पुराने स्टेशनों की क्षमता में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा लोड को कम करने के लिए फीडर्स का सेग्रीगेशन भी किया गया है।

## बिजली की दरों में नहीं हुई है वृद्धिः मुख्यमंत्री खट्टर

गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कहा कि विगत 8 वर्षों से हरियाणा में अभूतपूर्व बिजली सुधार किये गए हैं। इसके चलते लाइन लॉसिस को कम करने पर फोकस किया गया है। लाइन लॉसिस 13.43 प्रतिशत रह गया है, जो पूर्व की सरकारों में 25 से 30 प्रतिशत तक रहता था।

सरकार ने उपभोक्ताओं को नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किये हैं। उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सरकार ने बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में दिए ब्यान में कहा कि बिजली दरों के रेट हरियाणा बिजली विनियामक आयोग तय करता है न की सरकार। आयोग ने वर्ष 2023-2024 के बिजली दरों के आदेश भी बुधवार को जारी कर दिए हैं, जिसे आयोग की वेबसाइट पर भी डाला गया है।

उन्होंने कहा कि सभी श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 76 लाख से अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बार बिजली की उपलब्धता



मुख्यमंत्री मनोहर लाल। • फाइल फोटो

### हर श्रेणी के लिए अलग-अलग दर निर्धारित

मुख्यमंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली के रेट नहीं बढ़ाए हैं। वर्ष 2022-2023 के दौरान श्रेणी एक में जीरो से 50 यूनिट तक 2 रुपये प्रति यूनिट, 51 से 100 यूनिट तक 2.50 रुपये चार्ज किया। इस वर्ष भी घरेलू उपभोक्ताओं की श्रेणी एक व दो की निर्धारित दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

कम होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को पूरी बिजली उपलब्ध करवाई, यह बिजली प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण रही है।

## प्रदेश में नहीं बढ़ेंगी बिजली की दरें, किसानों को सब्सिडी जारी

### हरियाणा कें बजट से पहले मनोहर सरकार का बड़ा फैसला

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र से पहले प्रदेश सरकार ने 76 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। बिजली उत्पादन और बिजली खरीद की बढ़ी लागत के बावजूद हरियाणा राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने पुराने बिजली टैरिफ को बरकरार रखा है। किसी भी श्रेणी में बिजली की दरें नहीं बढ़ाई गई हैं। कृषि क्षेत्र को सब्सिडी भी जारी रहेगी। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के हस्तक्षेप पर बिजली की दरें नहीं बढ़ाने का फैसला लिया गया है।


नया टैरिफ पहली अप्रैल से लागू होगा। पिछले साल की तरह ही श्रेणी एक के बिजली उपभोक्ताओं से 50 यूनिट तक दो रुपये प्रित यूनिट और 51 से 100 यूनिट तक ढाई रुपये चार्ज किए जाएंगे। श्रेणी दो में 150 यूनिट तक 2.75 रुपये, 150 से 250 यूनिट तक 5.25 रुपये, 251 से 500 यूनिट तक 6.30 रुपये तथा 501 से 800 यूनिट तक 7.10 रुपये प्रित यूनिट चार्ज किए जाएंगे। कृषि क्षेत्र में 15 हार्स पावर व उससे ऊपर की मोटर वाले कृषि नलकूपों के लिए न्यूनतम चार्ज 200 रुपये प्रित हार्स पावर प्रित वर्ष निर्धारित किया

 राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने 76 लाख बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए पुराने बिजली टैरिफ को रखा बरकरार  पिछले आठ वर्षों से बिजली की दरों में नहीं की गई है वृद्धि, इस दौरान बिजली की कम खपत वाले उपभोक्ताओं के सस्ती हुई बिजली

### बिजली सुधारों पर केंद्र सरकार ने थपथपाई पीठ

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि विगत आठ वर्षों में प्रदेश में अभूतपूर्व बिजली सुधार किए गए हैं। केंद्रीय बिजली मंत्री राज कुमार सिंह ने भी इसकी सराहना की है। केंद्रीय दल ने हरियाणा का अध्ययन भी किया है। इसी के फलस्व

भी किया है। इसी के फलस्वरूप लाइनलास को कम करने पर फोकस किया गया है। आज लाइनलास



मनोहर लालं 🛮

13.43 प्रतिशत रह गया है जो पूर्व की सरकारों में 25 से 30 प्रतिशत तक रहता था। अनेक बार बिजली की उपलब्धता कम होने के बावजूद प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को पूरी बिजली उपलब्ध करवाई।

यह बिजली प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण है। बिजली कंपनियां लाभ की स्थिति में पहुंच गई हैं।

गया है। बिमा मीटर वाले नलकूपों के लिए यह दरें 15 रुपये प्रति हार्स पावर प्रति माह तथा 15 हार्स पावर से ऊपर की मीटर वाले नलकूपों के लिए 12 रुपये प्रति हार्स पावर प्रति माह रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि कृषि क्षेत्र को पूर्व की भांति सब्सिडी जारी रहेगी। चूंकि बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है, इसके लिए सरकार ने

बड़े स्तर पर पुराने तारों को बदला है। पुराने ट्रांसफार्मर पर नए कंडेंसर्स लगवाए गए हैं ताकि लाइन लास को कम किया जा सके। उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली सप्लाई के लिए नए सब-स्टेशन बनाए गए हैं तथा पुराने स्टेशनों की क्षमता में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा लोड को कम करने के लिए फीडर्स का पृथकीकरण किया गया है।

## उपभोक्ताओं के हित सर्वोपरि बिजली दरों में वृद्धि नहीं : सीएम

नियमित बिजली आपूर्ति

सुनिश्चित करने के लिए

पुख्ता प्रबंध किए गए

चंडीगढ़ (एसएनबी) । मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कहा है कि विगत आठ वर्षों में हरियाणा में अभूतपूर्व बिजली सुधार किये गए हैं तथा हरियाणा में हुए बिजली सुधारों की केंद्रीय बिजली मंत्री राज कुमार सिंह ने भी सराहना की है तथा केंद्रीय दल ने हरियाणा का अध्ययन भी किया है। इसी के फलस्वरूप लाइन लॉसिस को कम करने पर फोकस किया गया है व आज लाइन लॉसिस 13.43 प्रतिशत रह गया है, जो पूर्व की सरकारों में 25 से 30 प्रतिशत तक रहता था। सरकार ने

उपभोक्ताओं को नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए हैं। उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सरकार ने बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली दरों के रेट हिरियाणा बिजली विनियामक आयोग तय करता है न कि सरकार। आयोग ने वर्ष 2023-2024 के बिजली दरों के आदेश भी बीते कल जारी कर दिए हैं, जिसे आयोग की वेबसाइट पर भी डाला गया है। उन्होंने कहा कि आज सभी श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 76 लाख से अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनेक बार बिजली की उपलब्धता कम होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को पूरी बिजली उपलब्ध करवाई, ये बिजली प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण रही है।

बिजली बिलों की दर ज्यों की त्यों रहेंगी: मुख्यमंत्री ने

कहा कि सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की है और बिजली के रेट नहीं बढ़ाए हैं। वर्ष 2022-2023 के दोरान श्रेणी एक में 0 से 50 यूनिट तक 2 रुपये प्रति यूनिट, 51 से 100 यूनिट तक 2.50 रुपये चार्ज किया। श्रेणी-दो में 0 से 150 यूनिट तक 2.75 रुपये, 150 से 250 यूनिट तक 5.25 रुपये, 251 से 500 यूनिट तक 6.30 रुपये तथा 501 से 800 यूनिट तक 7.10 रुपये चार्ज किया। इस वर्ष भी घरेलू उपभोक्ताओं की श्रेणी एक व दो की निर्धारित दरों में कोई

परिवर्तन नहीं किया गया है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में 15 हॉर्सपावर व उससे ऊपर की मोटर वाले कृषि नलकूपों के लिए न्यूनतम चार्ज 200 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार बिना मीटर वाले नलकुपों के लिए ये दरें 15 रुपये

प्रति हॉर्सपावर प्रति माह तथा 15 हॉर्स पावर से ऊपर की मीटर वाले नलकूपों के लिए 12 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह निर्धारित था, जो वर्ष 2023-24 के दौरान भी जारी रहेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को पूर्व की भांति सब्सिडी जारी रहेगी। बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। इसके लिए सरकार ने बड़े स्तर पर बिजली की पुरानी तारों को बदला है, इसके अलावा पुराने ट्रांसफार्मर्स पर नए कंडेंसर्स लगवाए गए हैं, ताकि लाइन लॉसिस को कम किया जा सके। उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली सप्लाई के लिए नए सब-स्टेशन बनाये गए हैं तथा पुराने स्टेशनों की क्षमता में बढ़ोतरी की गई है।

## (सच कहूँ न्यूज) 17.02.2023

## बिजली की दरों में नहीं हुई कोई वृद्धिः सीएम मनोहर

- लाइन लॉसिस 25 प्रतिशत से हुआ 13.43 प्रतिशत
- जारी रहेगी प्रदेश के कृषि क्षेत्र को सब्सिडी

चंडींगढ़ (सच कहूँ न्यूज)।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कहा कि विगत 8 वर्षों में हरियाणा में अभूतपूर्व बिजली सुधार किये गए हैं तथा हरियाणा में हुए बिजली सुधारों की केंद्रीय

बिजली मंत्री राज कुमार सिंह ने भी सराहना की है और केंद्रीय दल ने सरकार। आयोग ने वर्ष 2023-2024 हरियाणा का अध्ययन भी किया है। इसी के फलस्वरूप लाइन लॉसिस

को कम करनें पर फोकस किया गया है और आज लाइन लॉसिस 13.43 प्रतिशत रह गया है जो पूर्व की सरकारों में 25 से 30 प्रतिशत तक रहता था। सरकार ने उपभोक्ताओं को नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित

> करने के लिए पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किये हैं। उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सरकार ने बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली दरों के रेट बिजली हरियाणा

विनियामक आयोग तय करता है न कि के बिजली दरों के आदेश भी कल जारी कर दिए हैं। 🗢 शेष पृष्ठ ७ घर...

## (सच कहूँ न्यूज) 17.02.2023

प्रथम पृष्ठ का शेष...



#### बिजली की दरों में नहीं...

जिसे आयोग की वेबसाइट पर भी डाला गया है। उन्होंने कहा कि आज सभी श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 76 लाख से अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनेक बार बिजली की उपलब्धता कम होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को पूरी बिजली उपलब्ध करवाई, यह बिजली प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की है और बिजली के रेट नहीं बढ़ाये हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-2023 के दौरान श्रेणी एक में जीरो से 50 यूनिट तक 2 रुपये प्रति यूनिट, 51 से 100 यूनिट तक 2.50 रुपये चार्ज किया। श्रेणी दो में

0 से 150 यूनिट तक 2.75 रुपये, 150 से 250 यूनिट तक 5.25 रुपये, 251 से 500 यूनिट तक 6.30 रुपये तथा 501 से 800 यूनिट तक 7.10 रुपये चार्ज किया। इस वर्ष भी घरेलू उपभोक्ताओं की श्रेणी एक व दो की निर्धारित दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में 15 हॉर्स पावर व उससे ऊपर की मोटर वाले कृषि नलकुपों के लिए न्युनतम चार्ज 200 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार बिना मीटर वाले नलकुपों के लिए यह दरें 15 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह तथा 15 हॉर्स पावर से ऊपर की मीटर वाले नलकुपों के लिए 12 रूपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह निर्धारित था, जो वर्ष 2023-24 के दौरान भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को पूर्व की भांति सब्सिडी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है इसके लिए सरकार ने बड़े स्तर पर बिजली की पुरानी तारों को बदला है. इसके अलावा पुराने ट्रांसफार्मर्स पर नए कंडेंसर्स लगवाए गए हैं ताकि लाइन लॉसिस को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली सप्लाई के लिए नए सब-स्टेशन बनाये गए हैं तथा पराने स्टेशनों की क्षमता में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा लोड को कम करने के लिए फीडर्स का संग्रीगेशन भी किया गया है


## बिजली के क्षेत्र में हुए हैं अभूतपूर्व सुधार दरों में नहीं हुई वृद्धि : मुख्यमंत्री

लाइन लॅसिस जो ३० प्रतिशत
 था घटकर १३.४३ रह गया

#### निरुपम सोनी

चंडीगढ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कहा है कि विगत 8 वर्षों में हरियाणा में अभूतपूर्व बिजली सुधार किये गए हैं तथा हरियाणा में हुए बिजली सुधारों की केंद्रीय बिजली मंत्री राज कुमार सिंह ने भी सराहना की है और केंद्रीय दल ने हरियाणा का अध्ययन भी किया है। इसी के फलस्वरूप लाइन लॉसिस को कम करने पर फोकस किया गया है और आज लाइन लॉसिस 13.43 प्रतिशत रह गया है जो पूर्व की सरकारों में 25 से 30 प्रतिशत तक रहता था। सरकार ने उपभोक्ताओं को नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किये हैं। उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सरकार ने बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली दरों के रेट हरियाणा बिजली विनियामक आयोग तय करता है न कि सरकार। आयोग ने वर्ष 2023-2024 के बिजली दरों के आदेश भी कल जारी



कर दिए हैं जिसे आयोग की वेबसाइट पर भी डाला गया है। उन्होंने कहा कि आज सभी श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 76 लाख से अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनेक बार बिजली की उपलब्धता कम होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को पूरी बिजली उपलब्ध करवाई, यह बिजली प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण रही है।

बिजली बिलों की दर त्यों के त्यों रहेंगी: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की है और बिजली के रेट नहीं बढ़ाये हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-2023 के दौरान श्रेणी एक में जीरो से 50 यूनिट तक 2 रुपये प्रति यूनिट, 51 से 100 यूनिट तक 2.50 रुपये चार्ज किया। श्रेणी दो में 0 से 150 यूनिट तक 2.75 रुपये, 150 से 250 यूनिट तक 5.25 रुपये, 251 से 500 यूनिट तक 6.30 रुपये तथा 501 से 800 यूनिट तक 7.10 रुपये चार्ज किया। इस वर्ष भी घरेलू उपभोक्ताओं की श्रेणी एक व दो की निर्धारित दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसी


प्रकार कृषि क्षेत्र में 15 हॉर्स पावर व उससे ऊपर की मोटर वाले कृषि नलकुपों के लिए न्यूनतम चार्ज 200 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार बिना मीटर वाले नलकुपों के लिए यह दरें 15 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह तथा 15 हॉर्स पावर से ऊपर की मीटर वाले नलकूपों के लिए 12 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह निर्धारित था, जो वर्ष 2023-24 के दौरान भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को पूर्व की भारति सब्सिडी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है इसके लिए सरकार ने बड़े स्तर पर बिजली की पुरानी तारों को बदला है, इसके अलावा पुराने ट्रांसफार्मर्स पर नए कंडेंसर्स लगवाए गए हैं ताकि लाइन लॉसिस को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली सप्लाई के लिए नए सब-स्टेशन बनाये गए हैं तथा पुराने स्टेशनों की क्षमता में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा लोड को कम करने के लिए फीडर्स का सेग्रीगेशन भी किया गया है।

#### हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत

# कृषि क्षेत्र को सब्सिडी जारी रहेगी

चंडीगढ़। हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटटर ने बड़ी राहत दी है। सरकार की ओर से बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा कर किसानों को राहत देते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में दी जाने वाली सब्सिडी सरकार जारी रखेगी। मनोहर लाल ने कहा कि विगत ८ वर्षों में हरियाणा में अभूतपूर्व बिजली सुधार किए गए हैं। केंद्रीय दल ने हरियाणा का यध्ययन भी किया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि अच्छे प्रबंधन के कारण बिजली के लाइन लॉस को कम करने में बड़ी सफलता राज्य को मिली है। आज लाइन लॉस 13.43 प्रतिशत रह गया है जो पूर्व की सरकारों में 25 से 30 प्रतिशत तक रहता था। सरकार ने उपभोक्ताओं को नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आयोग की वेबसाइट पर भी डाला गया किया गया है।



है। उन्होंने कहा कि आज सभी श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 76 लाख से अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनेक बार बिजली की उपलब्धता कम होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को पुरी बिजली उपलब्ध करवाई, यह बिजली प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण रही है। वर्ष 2022-2023 के दौरान श्रेणी एक में जीरो से 50 यूनिट तक 2 रुपए प्रति यूनिट, 51 पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए हैं। से 100 यूनिट तक 2.50 रुपए चार्ज उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सरकार ने किया। श्रेणी 2 में 0 से 150 यूनिट तक बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं किया 2.75 रुपए, 150 से 250 युनिट तक है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बिजली दरों 5.25 रुपए, 251 से 500 युनिट तक के रेट हरियाणा बिजली विनियामक 6.30 रुपए तथा 501 से 800 युनिट तक आयोग तय करता है न कि सरकार। 7.10 रुपए चार्ज किया। इस वर्ष भी आयोग ने वर्ष 2023-2024 के बिजली घरेल उपभोक्ताओं की श्रेणी एक व दो दरों के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसे की निर्धारित दरों में कोई परिवर्तन नहीं


### बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 76 लाख के पार

## बिजली की दरों में नहीं हुई वृद्धिः मुख्यमंत्री

निरंतर प्रयासों के चलते लाइन लॉसिस 25 प्रतिशत से हुआ 13.43 प्रतिशत

कृषि क्षेत्र को सब्सिडी जारी रहेगी, बिजली उपभोक्ताओं के हित सर्वोपरि - मुख्यमंत्री

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के कहा है कि विगत 8 वर्षों में हरियाणा में अभूतपूर्व बिजली सुधार किये गए हैं तथा हरियाणा में हुए बिजली सुधारों की केंद्रीय बिजली मंत्री श्री राज कुमार सिंह ने भी सराहना की है और केंद्रीय दल ने हरियाणा का अध्ययन भी किया है। इसी के फलस्वरूप लाइन लॉसिस को कम करने पर फोकस किया गया है और आज लाइन



लॉसिस 13.43 प्रतिशत रह गया है जो पूर्व की सरकारों में 25 से 30 प्रतिशत तक रहता था। सरकार ने उपभोक्ताओं को नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किये हैं। उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सरकार ने बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली दरों के रेट हरियाणा बिजली विनियामक आयोग तय करता है न कि सरकार। आयोग ने वर्ष 2023– 2024 के बिजली दरों के आदेश भी कल जारी कर दिए हैं जिसे आयोग की वेबसाइट पर भी डाला गया है। उन्होंने कहा कि आज सभी श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 76 लाख से अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनेक बार बिजली की उपलब्धता कम होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को पूरी बिजली उपलब्ध करवाई, यह बिजली प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण रही है।

#### बिजली बिलों की दर ज्यों के त्यों रहेंगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की है और बिजली के रेट नहीं बढाये हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-2023 के दौरान श्रेणी एक में जीरो से 50 युनिट तक 2 रुपये प्रति युनिट, 51 से 100 यूनिट तक 2.50 रुपये चार्ज किया। श्रेणी दो में 0 से 150 युनिट तक 2.75 रूपये, 150 से 250 यूनिट तक 5.25 रुपये, 251 से 500 यूनिट तक 6.30 रुपये तथा 501 से 800 यूनिट तक 7.10 रुपये चार्ज किया। इस वर्ष भी घरेलू उपभोक्ताओं की श्रेणी एक व दो की निर्धारित दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में 15 हॉर्स पावर व उससे ऊपर की मोटर वाले कृषि नलकृपों के लिए 200 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार बिना मीटर वाले नलकृपों के लिए यह दरें 15 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह तथा 15 हॉर्स पावर से ऊपर की मीटर वाले नलकृपों के लिए 12 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह निर्धारित था, जो वर्ष 2023-24 के दौरान भी जारी रहेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को पूर्व की भारत सब्सिडी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है इसके लिए सरकार ने बड़े स्तर पर बिजली की पुरानी तारों को बदला है, इसके अलावा पुराने ट्रांसफार्मर्स पर नए कंडेंसर्स लगवाए गए हैं ताकि लाइन लॉसिस को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली सप्लाई के लिए नए सब-स्टेशन बनाये गए हैं तथा पुराने स्टेशनों की क्षमता में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा लोड को कम करने के लिए फीडर्स का संग्रीगेशन भी किया गया है।

## बिजली की दरों में नहीं हुई है वृद्धि: मुख्यमंत्री मनोहर लाल

बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 76 लाख के पार

निरंतर प्रयासों के चलते लाइन लॉसिस 25 प्रतिशत से हुआ 13.43 प्रतिशत


कृषि क्षेत्र को सबसडी जारी रहेगी, बिजली उपभोक्ताओं के हित सर्वोपरि : मुख्यमंत्री

#### भारत सारथी

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कहा है कि विगत 8 वर्षों में हरियाणा में अभूतपूर्व बिजली सुधार किये गए हैं तथा हरियाणा में हुए बिजली सुधारों की केंद्रीय बिजली मंत्री श्री राज कुमार सिंह ने भी सराहना की है और केंद्रीय दल ने हरियाणा का अध्ययन भी किया है। इसी के फलस्वरूप लाइन लॉसिस को कम करने पर फोकस किया गया है और आज लाइन लॉसिस 13.43 प्रतिशत रह गया है जो पूर्व की सरकारों में 25 से 30 प्रतिशत तक रहता था।

सरकार ने उपभोक्ताओं को नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किये हैं। उपभोक्ताओं

को राहत देते हुए सरकार ने बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली दरों के रेट हरियाणा बिजली विनियामक आयोग तय करता है न कि सरकार। आयोग ने वर्ष 2023-2024 के बिजली दरों के आदेश भी कल जारी कर दिए हैं जिसे आयोग की वेबसाइट पर भी डाला गया है। उन्होंने कहा कि आज सभी श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 76 लाख से अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनेक बार बिजली की उपलब्धता कम होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को पूरी बिजली उपलब्ध करवाई, यह बिजली प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण रही है।



बिजली बिलों की दर ज्यों के त्यों रहेंगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की है और बिजली के रेट नहीं बढ़ाये हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-2023 के दौरान श्रेणी एक में जीरो से 50 यूनिट तक 2 रुपये प्रति यूनिट, 51 से 100 यूनिट तक 2.50 रुपये चार्ज किया। श्रेणी दो में 0 से 150 यूनिट तक 2.75 रुपये, 150 से 250 यूनिट तक 5.25 रुपये, 251 से 500 यूनिट तक 6.30 रुपये तथा 501 से 800 यूनिट तक 7.10 रुपये चार्ज किया। इस वर्ष भी घरेलू उपभोक्ताओं की श्रेणी एक व दो की


निर्धारित दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में 15 हॉर्स पावर व उससे ऊपर की मोटर वाले कृषि नलकूपों के लिए न्युनतम चार्ज 200 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार बिना मीटर वाले नलकुपों के लिए यह दरें 15 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह तथा 15 हॉर्स पावर से ऊपर की मीटर वाले नलकूपों के लिए 12 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह निर्धारित था. जो वर्ष 2023-24 के दौरान भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को पूर्व की भांति सबसिडी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है इसके लिए सरकार ने बड़े स्तर पर बिजली की पुरानी तारों को बदला है, इसके अलावा पुराने ट्रांसफार्मर्स पर नए कंडेंसर्स लगवाए गए हैं ताकि लाइन लॉसिस को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली सप्लाई के लिए नए सब-स्टेशन बनाये गए हैं तथा पुराने स्टेशनों की क्षमता में बढोतरी की गई है। इसके अलावा लोड को कम करने के लिए फीडर्स का सेग्रीगेशन भी किया गया है।

# बिजली की दरों में नहीं हुई है वृद्धि : मुख्यमंत्री मनोहर लाल

ह्यूपन इंडिया/उपेज गर्ग चंडीगढ । मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कहा है कि विगत 8 वर्षों में हरियाणा में अधृतपूर्व विजली सुधार किये गए हैं तथा हरियाणा में हए बिजली सुधारों की केंद्रीय विवली मंत्री श्री राज कमार सिंह ने भी सराहना की है और केंद्रीय दल ने हरियाण का अध्ययन भी किया है। इसी के फलस्वरूप लाइन लॉसिस को कम करने पर फोकस किया गया है और आज लाइन जो पूर्व की सरकारों में 25 से 30 प्रविशव वक रहता था।

- बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 76 लाख के
- निरंतर प्रयासों के चलते लाइन लॉसिस 25 प्रतिशत से हुआ 13.43 प्रतिशत
- कृषि क्षेत्र को सब्सिडी जारी रहेगी, बिजली उपभोक्ताओं के हित सर्वोपरि : मुख्यमंत्री

सरकार ने उपभोक्ताओं को को राहत देते हुए सरकार ने लांसिस 13.43 प्रतिशत रह गया है नियमित बिजली आपूर्ति मुनिश्चित विजली दरों में बोई बदलाय नहीं करने के लिए पुछता प्रबंध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सनिश्चित किये हैं। उपभोक्ताओं विजली दरों के रेट हरियाणा



करता है न कि सरकार । आयोग ने वर्ष 2023-2024 के विजली दरों उदाहरण रही है।

के आदेश भी कल जारी कर दिए हैं विकली उपभोक्ताओं को राहत में 15 होंसे पाका व उससे उपर की लिए सरकार ने बडे स्तर पर विकली विसे आयोग की वेबसाइट पर भी प्रदान की है और बिवाली के रेट नहीं मोटर वाले कृषि नलकुमों के लिए की पूरानी तारों को बटाल है, इसके डाला गया है। उन्होंने कहा कि बढ़ाये हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष न्यूनतम चार्च 200 रुपये प्रति होंसे अलावा पूराने ट्रांसफार्यमं पर नए आब सभी बेपियों के बिवानी 2022-2023 के टीएन बेणी एक में पावर प्रति वर्ष निभारित किया गया कोडेसर्स लगवाए गए हैं तकि लाइन उपयोजनाओं की मंख्या 76 लाख जीरों में 50 यूनिट तक 2 रुपये प्रति हैं। इसी प्रकार बिना मीटर बाले लॉसिस को कम किया जा सके। से अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृद्धि, 51 से 100 वृद्धि तक 2.50 नतकृषों के तिए यह हों 15 रुपये उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को अनेक बार बिजली की उपलब्धता रुपये पार्व किया। क्षेत्री दो में 0 से प्रति होमें पावर प्रति माह तथा 15 निर्वाध बिजली सफ्ताई के लिए नर कम होने के बावजूद भी प्रदेश 150 युनिट तक 2.75 रुपये, 150 से हीसे पावर से उपर की मीटर वाले सब स्टेशन बनाये गए हैं तथा पठने सरकार ने उपभोक्ताओं को पूरी 250 चुनिट तक 5.25 रुपये, 251 से नलकुपों के लिए 12 रुपये प्रति प्रीसं स्टेशनों की क्षमता में बदोतरी की गई विक्रती उपलब्ध करवाई, यह 500 युनिट तक 6.30 रुपये तथा 501 पावर प्रति माह निर्धारित था, जो वर्ष है। इसके अलावा लोड को कम विकारी प्रबंधन का बेहतरीन में 800 पनिट तक 7.10 रुपये पार्व 2023-24 के टीएन भी कारी रहेगा। करने के लिए फीडर्स का मेग्रीगेजन

विजनी विनियासक आयोग तथ विक**नी किनों की दर ज्यों के न्यों** उपभोक्ताओं को क्षेणी एक व दो की पूर्व की भाँत सर्वसदी जारी रहेगी। निर्धारित दरों में कोई परिवर्तन नहीं उन्होंने कहा कि विवरती की बचत मुख्यमंत्री ने बड़ा कि सरकार ने किया गया है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र ही विजनी का उत्पादन है इसके किया। इस वर्ष भी परेलु मुख्यपंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को भी किया गया है।

## गुड़गांव मेल 17.02.2023

## पिछले 8 वर्षों में बिजली की दरों में नहीं हुई है वृद्धि: मनोहर


### बिजली उपमोक्ताओं की संख्या 76 लाख के पार, निरंतर प्रयासों के चलते लाइन लॉसिस 25 प्रतिशत से हुआ 13.43 प्रतिशत

डा. कमलेश कली /गुड़गांव मेल फरवरी। चण्डीगढ. 16 मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के कहा है कि विगत 8 वर्षों में हरियाणा में अभृतपूर्व बिजली सुधार किये गए हैं तथा हरियाणा में हुए बिजली सुधारों की केंद्रीय बिजली मंत्री श्री राज कमार सिंह ने भी सराहना की है और केंद्रीय दल ने हरियाणा का अध्ययन भी किया है। इसी के फलस्वरूप लाइन लॉसिस को कम करने पर फोकस किया गया है और आज लाइन लॉसिस 13.43 प्रतिशत रह गया है जो पूर्व की सरकारों में 25 से 30 प्रतिशत तक रहता था। सरकार ने उपभोक्ताओं को नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किये हैं। उपभोक्ताओं को राहत देते हुए

सरकार ने बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली दरों के रेट हरियाणा बिजली विनियामक आयोग तय करता है न कि सरकार। आयोग ने वर्ष 2023-2024 के बिजली दरों के आदेश भी कल जारी कर दिए हैं जिसे आयोग की वेबसाइट पर भी डाला गया है। उन्होंने कहा कि आज सभी श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 76 लाख से अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनेक बार बिजली की उपलब्धता कम होने के बावजुद भी प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को पुरी बिजली उपलब्ध करवाई, यह बिजली प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण रही है।

बिजली बिलों की दर ज्यों के त्यों



रहेंगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की हैं और पिछले 8 वर्षों में बिजली के रेट नहीं बढ़ाये हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-2023 के दौरान श्रेणी एक में जीरो से 50 युनिट तक 2 रुपये प्रति युनिट, 51

से 100 युनिट तक 2.50 रुपये चार्ज किया। श्रेणी दो में 0 से 150 युनिट तक 2.75 रुपये, 150 से 250 यूनिट तक 5.25 रुपये, 251 से 500 यूनिट तक 6.30 रुपये तथा 501 से 800 यनिट तक 7.10 रुपये चार्ज किया। इस वर्ष भी घरेलू उपभोक्ताओं की श्रेणी एक व दो की निर्धारित दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में 15 हॉर्स पावर व उससे ऊपर की मोटर वाले कृषि नलकुपों के लिए 200 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार बिना मीटर वाले नलकुपों के लिए यह दरें 15 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह तथा 15 हॉर्स पावर से ऊपर की मोटर वाले नलक्पों के लिए 12 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह

निर्धारित था, जो वर्ष 2023-24 के दौरान भी जारी रहेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को पूर्व की भांति सबसडी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है इसके लिए सरकार ने बड़े स्तर पर बिजली की पुरानी तारों को बदला है, इसके अलावा पुराने ट्रांसफार्मर्स पर नए कंडेंसर्स लगवाए गए हैं ताकि लाइन लॉसिस को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली सप्लाई के लिए नए सब-स्टेशन बनाये गए हैं तथा पुराने स्टेशनों की क्षमता में बढोतरी की गई है। इसके अलावा लोड को कम करने के लिए फीडर्स का संग्रीगेशन भी किया गया 81

## **3114 214 417**.02.2023

## बिजली की दरों में नहीं हुई है वृद्धिः मुख्यमंत्री

#### बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 76 लाख के पारः निरंतर प्रयासों के चलते लाइन लॉसिस 25 प्रतिशत से हुआ 13.43 प्रतिशत

कृषि क्षेत्र को सब्सिडी जारी रहेगी, बिजली उपभोवताओं के हित सर्वोपरिः मख्यमंत्री

ओपन मर्च/ विशेष संवाददाना सनबीर भारताज

मुख्याम । मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के कहा है कि विगत 8 वर्षे में हरियाणा में अभृतपूर्व बिजली सधार किये गए हैं तथा हरियाणा में हुए बिजली सुध्हरों की केंद्रीय बिजली मंत्री श्री राज कुमार सिंह ने भी सराहना की है और केंद्रीय दल ने हरियाणा का अध्ययन भी किया है। इसी के फलस्वरूप लड़न लॉसिस को कम करने पर फोकस किया गया है और आज लाइन लॉसिस ने उपभोक्ताओं को नियमित



13.43 प्रतिशत रह गया है जो पर्व की सरकारों में 25 से 30 प्रतिरात तक रहता था। सरकार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किये हैं। उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सरकार ने विजली दर्शे

में कोई बदलाव नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में दिए ब्यान में कहा कि बिजली दरों के रेट हरियाणा विजली

बिजली बिलों की दर ज्यों के त्यों रहेंगी

मुख्यमंत्री में कहा कि सरकार में बिजली उपमोवल जो को सहत प्रयान की है और बिजली के रेट नहीं बढ़ाये हैं। उन्होंने मुख्यकां में कहत कि सरकार में बिक्स 3340व.33 को स्थान प्रचान को है और भागना के हैं महिन कर है। उनराज कहा कि की 2022-2023 के दौरान सेवी एक में जीते से 50 दुनिए तक 2 रावचे पति दुनिए, 51 से 300 दुनिए तक 2.50 रावचे कर्ज विकाश सेवी दो में 0 से 500 दुनिए तक 2.75 रावचे, 150 से 250 दुनिए तक 5.25 रावचे, 251 से 500 दुनिए तक 6.30 राजचे तम 501 से 800 दुनिए तक 7.10 राजचे वर्ज किया इस वर्ध भी परेश उपमोक्त औ की सेवी एक व दो की निवासित दों में बरेई परिवर्तन मही किया महा है। इसी प्रकार कुता सेवा में 15 सीई प्रवार व उससे उत्पार को सोटर बाले कुता महामुखों के लिए 200 रावचे पति सीई प्रकार पति वर्ध निवासित किया महा है। इसी प्रकार विजा महिद्य पाले मालाकुर्यों के लिए वह रहें 15 राजचे पति सीई पालर पति महा का 5 सीई पालर से उत्पार की मीटर बाले महत्वा के तिहा 12 राजचे वित सीई पालर पति महत्वा कर की की 2023-24 के दोशन मी मार्ट कर की निवास की मुद्रतमारी ने कहा कि कृषि केर को पूर्व की गरित सिहाडी गरी होगी। उन्होंने कहा कि बिजानी की बदात ही बिजानी का उत्पादन हैं इसके किर हरकार में बई हार कर बिजानी की पुतानी तहते को बदल है, इसके असवाव पुराने ट्रांगमार्गित पर गर कंटेसर्स समक्ष्य गर हैं तकि लाइन लॉसिस को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि उपमोक्ताओं को निर्वाध बिजली सरावर्ड के लिए नए सब-स्टेसन बनादे नए हैं तहा। पुनमें स्टेसने की बनात में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलाव लोड को कम करने के लिए कींडर्स का सेक्रीमेंडन में किया गया है।

विनियासक आयोग तय करता है जिसे आयोग की वेबसाइट पर न कि सरकार। आयोग ने वर्ष 2023-2024 के बिजली दरों के

भी डाला गया है। उन्होंने कहा कि आज सभी श्रेणियों के आदेश भी कल जारी कर दिए हैं विजली उपभोक्ताओं की संख्या 76 लाख से अधिक है। मख्यमंत्री ने कहा कि अनेक बार विजली की उपलब्धता कम होने के बावज़द भी प्रदेश सरकार ने

उपभोकताओं को पूरी विजली उपलब्ध करवर्ष, यह विजली प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण

## गुड़गांव दुडे

## हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत


#### कृषि क्षेत्र को सन्तिडी जारी रहेगी।

#### चंडीगढ़, गुड़गांव दुडे

हरियाणा के बिजली उपभोकाओं को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ी राहत दी है। सरकार की ओर से बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा कर किसानों को राहत देते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में दी जाने वाली सब्सिडी सरकार जारी रखेगी। मनोहर लाल ने कहा कि विगत 8 वर्षों में हरियाणा में अभूतपूर्व बिजली सुधार किए गए हैं। केंद्रीय दल ने हरियाणा का अध्ययन भी किया है।

#### 13.43% हुआ लाइन लॉस

मुख्यमंत्री ने बताया कि अच्छे प्रबंधन के कारण विजली के



लाइन लॉस को कम करने में बड़ी सफलता राज्य को मिली है। आज लाइन लॉस 13.43 प्रतिशत रह गया है जो पूर्व की सरकारों में 25 से 30 प्रतिशत तक रहता था। सरकार ने उपभोकाओं को नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए हैं। उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सरकार ने बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।

#### बिजली विनियामक आयोग तय करता है रेट

मुख्यमंत्री ने बताया कि बिजली दरों के रेट हरियाणा बिजली विनियामक आयोग तय करता है न कि सरकार। आयोग ने वर्ष 2023-2024 के बिजली दरों के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसे आयोग की वेबसाइट पर भी डाला गया है। उन्होंने कहा कि आज सभी श्रेणियों के बिजली उपभोकाओं की संख्या 76 लाख से अधिक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनेक बार बिजली की उपलब्धता कम होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को पूरी बिजली उपलब्ध करवाई, यह बिजली प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण रही है।

#### बिजली बिलों की दर ज्यों के त्यों रहेंगी

वर्ष 2022-2023 के दौरान श्रेणी एक में जीरों से 50 यूनिट तक 2 रुपए प्रति यूनिट, 51 से 100 यूनिट तक 2.50 रुपए चार्ज किया। श्रेणी 2 में 0 से 150 यूनिट तक 2.75 रुपए, 150 से 250 यूनिट तक 5.25 रुपए, 251 से 500 यूनिट तक 6.30 रुपए तथा 501 से 800 यूनिट तक 7.10 रुपए चार्ज किया। इस वर्ष भी घरेलू उपभोक्ताओं की श्रेणी एक व दो की निर्धारित दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

#### नलकूपों का न्यूनतम चार्ज फिक्स हुआ

इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में 15 हॉर्स पावर व उससे ऊपर की मोटर वाले कृषि नलकृपों के लिए न्यूनतम चार्ज 200 रुपए प्रति हॉर्स पावर प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार बिना मीटर वाले नलकृपों के लिए यह दरें 15 रुपए प्रति हॉर्स पावर प्रति माह तथा 15 हॉर्स पावर से ऊपर की मीटर वाले नलकृपों के लिए 12 रुपए प्रति हॉर्स पावर प्रति माह निर्धारित था, जो वर्ष 2023-24 के दौरन भी जारी रहेगा।




### बिजली की दरों में नहीं की गई है कोई वृद्धिः मुख्यमंत्री मनोहर लाल

## बिजली उपमोक्ताओं की संख्या ७६ लाख के पार

### निरंतर प्रयासों के चलते लाइन लॉसेस 25 प्रतिशत से हुआ 13.43 प्रतिशत

देश रोजाना ब्यरो. चंडीगढ

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कहा है कि विगत आठ वर्षों में हरियाणा में अभूतपूर्व बिजली सुधार किये गए हैं। प्रदेश में हुए बिजली सुधारों की केंद्रीय बिजली मंत्री राज कुमार सिंह ने भी सराहना की है और केंद्रीय दल ने हरियाणा का अध्ययन भी किया है। इसी के फलस्वरूप लाइन लॉसेस को कम करने पर फोकस किया गया है। आज लाइन लॉसेस 13.43 प्रतिशत रह गया है जो पूर्व की सरकारों में 25 से 30 प्रतिशत तक रहता था। सरकार ने उपभोक्ताओं को नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता सनिश्चित किये हैं।



उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सरकार ने बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। कृषि क्षेत्र

को पूर्व की भाति सब्सिडी जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली दरों के रेट हरियाणा

बिजली विनियामक आयोग तय करता है न कि सरकार। आयोग ने वर्ष 2023-2024 के बिजली दरों के आदेश भी कल जारी कर दिए हैं जिसे आयोग की वेबसाइट पर भी डाला गया है। उन्होंने कहा कि आज सभी श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 76 लाख से अधिक है। अनेक बार बिजली की उपलब्धता कम होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को पूरी बिजली उपलब्ध करवाई, यह बिजली प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की है और बिजली के रेट नहीं बढाये हैं।

## बिजली की दरों में नहीं हुई है वृद्धिः सीएम

बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 76 लाख के पार, निरंतर प्रयासों के चलते लाइन लॉसिस 25 प्रतिशत से हुआ 13.43 प्रतिशत, कृषि क्षेत्र को सब्सिडी जारी रहेगी

#### चण्डीगढ/टीम एक्शन इंडिया

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कहा है कि विगत 8 वर्षों में हरियाणा में अभूतपूर्व बिजली सुधार किये गए हैं तथा हरियाणा में हुए बिजली सधारों की केंद्रीय बिजली मंत्री श्री राज कमार सिंह ने भी सराहना की है और केंद्रीय दल ने हरियाणा का अध्ययन भी किया है। इसी के फलस्वरूप लाइन लॉसिस को कम करने पर फोकस किया गया है और आज लाइन लॉसिस 13.43 प्रतिशत रह गया है जो पूर्व की सरकारों में 25 से 30 प्रतिशत तक रहता था। सरकार ने उपभोक्ताओं को नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किये हैं। उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सरकार ने बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली दरों के रेट हरियाणा बिजली विनियामक आयोग तय करता है न कि सरकार। आयोग ने वर्ष 2023-2024 के बिजली दरों के आदेश भी कल जारी कर दिए हैं जिसे आयोग की वेबसाइट पर भी डाला



गया है। उन्होंने कहा कि आज सभी श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 76 लाख से अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनेक बार बिजली की उपलब्धता कम होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को पूरी बिजली उपलब्ध करवाई, यह बिजली प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण रही है। बिजली बिलों की दर ज्यों के त्यों रहेंगी:

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की है और बिजली के रेट नहीं बढाये हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-2023 के दौरान श्रेणी एक में जीरो से 50 यूनिट तक 2 रुपये प्रति यूनिट, 51 से 100 यूनिट तक 2.50 रुपये चार्ज किया। श्रेणी दों में 0 से 150 यूनिट तक 2.75 रुपये, 150 से 250 युनिट तक 5.25

8 किष क्षेत्र में 15 हॉर्स पावर व उससे ऊपर की मोटर वाले कृषि नलकृपों के लिए न्यूनतम चार्ज 200 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है

रुपये, 251 से 500 यूनिट तक 6.30 रुपये तथा 501 से 800 यूनिट तक 7.10 रुपये चार्ज किया। इस वर्ष भी घरेलू उपभोक्ताओं की श्रेणी एक व दो की निर्धारित दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में 15 हॉर्स पावर व उससे ऊपर की मोटर वाले कृषि नलकुपों के लिए न्यूनतम चार्ज 200 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति वर्ष निर्धारित

इसी प्रकार बिना मीटर वाले नलकुपों के लिए यह दरें 15 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह तथा 15 हॉर्स पावर से ऊपर की मीटर वाले नलकुपों के लिए 12 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह निर्धारित था, जो वर्ष 2023-24 के दौरान भी जारी रहेगा

### नहीं बढ़ेंगी बिजली दरें, किसानों को सब्सिडी मिलती रहेगी

राज्य ब्यूरो, वंडीगद्वः हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र से पहले प्रदेश सरकार ने 76 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। बिजली उत्पादन और बिजली खरीद की बढी लागत के बावजूद हरियाणा राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने पुराने बिजली टैरिफ को बरकरार रखा है। किसी भी श्रेणी में बिजली की दरें नहीं बढ़ाई गई हैं। कृषि क्षेत्र को सब्सिडी भी जारी रहेगी। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के हस्तक्षेप पर बिजली की दरें नहीं बढाने का फैसला लिया गया है।

नया टैरिफ पहली अप्रैल से लाग होगा। पिछले साल की तरह ही श्रेणी एक के बिजली उपभोक्ताओं से 50 युनिट तक दो रुपये प्रति युनिट और 51 से 100 यूनिट तक ढाई रुपये चार्ज किए जाएँगे। श्रेणी दो में 150 युनिट तक 2.75 रुपये, 150 से 250 युनिट तक 5.25 रुपये, 251

- हरियाणा राज्य विद्यत विनियामक आयोग ने 76 लाख बिजली उपभोवनाओं को सहत देते हुए पुराने बिजली टेरिफ को स्खा बस्क रार
- पिछले आठ वर्षों से बिजली की दरों में नहीं की गई है वृद्धि, इस दौरान बिजली की कम खपत वाले उपभोक्ताओं के सस्ती हुई बिजली

#### बिजली सुधारों पर केंद्र सरकार ने थफ्थपाई पीठ



मनोहर लाल। मधारण आकडिव

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि विगत आठ वर्षों में प्रदेश में अभृतपूर्व बिजली सुधार किए गए हैं । केंद्रीय बिजली मंत्री राज कुमार सिंह ने भी इसकी सराहना की है। केंद्रीय दल ने हरियाणा का अध्ययन भी किया है। इसी के फलस्वरूप लाइनलास को कम करने पर फोकस किया गया है। आज लाइनलास 13.43 प्रतिशत रह गया है जो पूर्व की सरकारों में 25 से 30 प्रतिशत तक रहता था। अनेक बार उपलब्धता कम होने के बावजूद सरकार ने उपभोक्ताओं को पुरी बिजली उपलब्ध करवाई । यह प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण है। बिजली कंपनियां फिलहाल लाभ में हैं।

से 500 यूनिट तक 6.30 रुपये तथा 501 से 800 यूनिट तक 7.10 रुपये प्रति यूनिट चार्ज किए जाएंगे। कृषि क्षेत्र में 15 हार्स पावर व उससे ऊपर की मोटर वाले कृषि नलकूपों के लिए न्युनतम चार्ज 200 रुपये प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। बिना मीटर वाले नलक्पों के लिए यह दरें 15 रुपये प्रति होर्स

पावर प्रति माह तथा 15 हार्स पावर से ऊपर की मीटर वाले नलकुपों के लिए 12 रुपये प्रति हार्स पावर प्रति माह रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि कृषि क्षेत्र को पूर्व की भांति सब्सिडी जारी रहेगी। चुंकि बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है, इसके लिए सरकार ने को कम करने के लिए फीडर्स का बड़े स्तर पर पुराने तारों को बदला

है। पुराने ट्रांसफार्मर पर नए कंडेंसर्स लगवाए गए हैं ताकि लाइन लास को कम किया जा सके। उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली सप्लाई के लिए नए सब-स्टेशन बनाए गए हैं तथा पुराने स्टेशनों की क्षमता में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा लोड पृथकीकरण किया गया है।

#### 17.02.2023

### कृषि क्षेत्र को सब्सिडी जारी रहेगी, बिजली उपभोक्ताओं के हित सर्वोपरि - मुख्यमंत्री

गुरुग्राम, बुलंद खोज / लोकेश कुमार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कहा है कि विगत 8 वर्षों में हरियाणा में अभृतपूर्व बिजली सुधार किये गए हैं तथा हरियाणा में हुए बिजली सुधारों की केंद्रीय बिजली मंत्री श्री राज कुमार सिंह ने भी सराहना की है और केंद्रीय दल ने हरियाणा का अध्ययन भी किया है। इसी के फलस्वरूप लाइन लॉसिस को कम करने पर फोकस किया गया है और आज लाइन लॉसिस 13.43 प्रतिशत रह गया है जो पूर्व की सरकारों में 25 से 30 प्रतिशत तक रहता था। सरकार ने उपभोक्ताओं को नियमित बिजली आपर्ति सनिश्चित करने के लिए पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किये हैं। उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सरकार ने बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं

किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली दरों के रेट हरियाणा बिजली विनियामक आयोग तय करता है न कि सरकार। आयोग ने वर्ष 2023-2024 के बिजली दरों के आदेश भी कल जारी कर दिए हैं जिसे आयोग की वेबसाइट पर भी खला गया है। उन्होंने कहा कि आज सभी श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 76 लाख से अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनेक बार बिजली की उपलब्धता कम होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को पूरी बिजली उपलब्ध करवाई, यह बिजली प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की है और बिजली के रेट नहीं बढाये हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-

2023 के दौरान श्रेणी एक में जीरो से 50 युनिट तक 2 रुपये प्रति युनिट, 51 से 100 युनिट तक 2.50 रुपये चार्ज किया। श्रेणी दो में 0 से 150 युनिट तक 2.75 रुपये, 150 से 250 युनिट तक 5.25 रुपये, 251 से 500 यनिट तक 6.30 रुपये तथा 501 से 800 यूनिट तक 7.10 रुपये चार्ज किया। इस वर्ष भी घरेलू उपभोक्ताओं की श्रेणी एक व दो की निर्धारित दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में 15 हॉर्स पावर व उससे ऊपर की मोटर वाले कृषि नलकुपों के लिए 200 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार बिना मीटर वाले नलकुपों के लिए यह दरें 15 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह तथा 15 हॉर्स पावर से ऊपर की मीटर

वाले नलकूपों के लिए 12 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह निर्धारित था, जो वर्ष 2023-24 के दौरान भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को पूर्व की भांति सब्सिडी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है

इसके लिए सरकार ने बड़े स्तर पर बिजली की पुरानी तारों को बदला है, इसके अलावा पुराने ट्रांसफार्मर्स पर नए कंडेंसर्स लगवाए गए हैं तािक लाइन लॉसिस को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली सप्लाई के लिए नए सब-स्टेशन बनाये गए हैं तथा पुराने स्टेशनों की क्षमता में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा लोड को कम करने के लिए फीडर्स का सेग्रीगेशन भी किया गया है।



### हरियाणा में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं

Feb16,2023 | Rajender Singh Jadon | Chandigarh

कृषि क्षेत्र को सब्सिडी जारी रहेगी, बिजली उपभोक्ताओं के हित सर्वोपरि -मुख्यमंत्री

राजेंद्र सिंह जादौन

चंडीगढ़, 16 फरवरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि विगत 8 वर्षों में हिरयाणा में अभूतपूर्व बिजली सुधार किये गए हैं तथा हिरयाणा में हुए बिजली सुधारों की केंद्रीय बिजली मंत्री राज कुमार सिंह ने भी सराहना की है और केंद्रीय दल ने हिरयाणा का अध्ययन भी किया है। इसी के फलस्वरूप लाइन लॉसिस को कम करने पर फोकस किया गया है और अब लाइन लॉसिस 13.43 प्रतिशत रह गया है जो पूर्व की सरकारों में 25 से 30 प्रतिशत तक रहता था। सरकार ने उपभोक्ताओं को नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किये हैं। उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सरकार ने बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली दरों के रेट हरियाणा बिजली विनियामक आयोग तय करता है न कि सरकार। आयोग ने वर्ष 2023-2024 के बिजली दरों के आदेश भी बुधवार को जारी कर दिए हैं जिसे आयोग की वेबसाइट पर भी डाला गया है। उन्होंने कहा कि आज सभी श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 76 लाख से अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनेक बार बिजली की उपलब्धता कम होने के बावजूद प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को पूरी बिजली उपलब्ध करवाई, यह बिजली प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण रही है।

#### बिजली बिलों की दर ज्यों के त्यों रहेंगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की है और बिजली के रेट नहीं बढ़ाये हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-2023 के दौरान श्रेणी एक में जीरो से 50 यूनिट तक 2 रुपये प्रति यूनिट, 51 से 100 यूनिट तक 2.50 रुपये चार्ज किया। श्रेणी दो में 0 से 150 यूनिट तक 2.75 रुपये, 150 से 250 यूनिट तक 5.25 रुपये, 251 से 500 यूनिट तक 6.30 रुपये तथा 501 से 800 यूनिट तक 7.10 रुपये चार्ज किया। इस वर्ष भी घरेलू उपभोक्ताओं की श्रेणी एक व दो की निर्धारित दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में 15 हॉर्स पावर व उससे ऊपर की मोटर वाले कृषि नलकूपों के लिए न्यूनतम चार्ज 200 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार बिना मीटर वाले नलकूपों के लिए यह दरें 15 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह तथा 15 हॉर्स पावर से ऊपर की मीटर वाले नलकूपों के लिए 12 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह निर्धारित था, जो वर्ष 2023-24 के दौरान भी जारी रहेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को पूर्व की भांति बिजली सब्सिडी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है इसके लिए सरकार ने बड़े स्तर पर बिजली की पुरानी तारों को बदला है, इसके अलावा पुराने ट्रांसफार्मर्स पर नए कंडेंसर्स लगवाए गए हैं ताकि लाइन लॉसिस को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली सप्लाई के लिए नए सब-स्टेशन बनाये गए हैं तथा पुराने स्टेशनों की क्षमता में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा लोड को कम करने के लिए फीडर्स का सेग्रीगेशन भी किया गया है।

### REGION

[HARYANA]

# Regulator seeks validation of farm sector power sales data

Farm sector growth rate projections for 2023-24 of 5% and 3.31% considered by two discoms was without any basis: HERC

#### Hitender Rao

hran@hindustantimes.com

CHANDIGARH: Citing discrepancies in the numbers of the highly subsidised electricity consumed by the farm sector in Haryana, the power regulator has asked one of the two state-owned power distribution companies (discom) to validate the sales and input energy statistics for the farm sector, also known as agricultural pump (AP) sector. The discom has been asked to submit a report on the running of tubewells on non-AP feeders within a month.

The Haryana Electricity Regulatory Commission (HERC) in its February 15 order on retail power tariff for 2023-24 said that the actual AP consumption of 8.688 million units for 2021-22 was lower than the AP consumption of 9.426.42 million



The discom has been asked to submit report on tubewells on nonagricultural pump feeders within a month. PRIVAREA PRIVA

units approved by the Commission in its March 30, 2021, tariff order. Accordingly, the total AP sales in respect of both the discoms is trued up as 8,688 million units for 2021-22. The regulator had also asked the Dukshin Haryania. Bijlii. Vitran. Nigam (DHBVN) to submit the reasons for aberrations in AP sales and fine tune the analysis.

The DHBVN in a January 16 response said that while the normative loss considered was 16%, the actual line loss on agriculture feeders was between 8% to 9%. It also said that quantum

of AP billing for the consumers on feeder other than AP feeder was inadvertently shown twothree times less than actual biling quantum of such consumer. Due to the system constraint, the agriculture consumers are to be supplied power through other feeders under eventual circumstances, it said.

#### 'Authentication of losses can't be done as 98% meters defective'

The Commission noted that the DHBVN's response on the same aberration in AP sales for 2020-21 was based on the findings of M/s Pranat Engineering Pvt Ltd. Delhi, which was engaged for authentication of AP consumption of II selected AP feeders.

The firm submitted a report in which the transmission and distribution losses on selected AP feeders had been found to be 15.05% from Feb 2021 to May 2021. Further, the third party submitted that exact authentication of transmission and distribution losses on selected feeders for 2017-19, 2018-19 and 2019-20 financial years cannot be done as about 96% meters were defective or burnt," the Commission said.

Citing the report, the regulator further said that for more than 50% connections billing was being done on flat rates. connections other than AP category were not included in billing of AP feeders and about 12 % consumers increased their load without intimation to the discom. The Commission said that DHRVNs reply that the actual the line loss on agriculture feeders was between 8% to 9% is totally in contradiction with the earlier study conducted by discoms. "The DHBVN agriculture sales for 2021-22 as per audited account is 5,586 million units and 5,130 million units as per

methodology of the HERC. However, in UHBVN's case, the agriculture sales for 2021-22 as per audited account is 3,528 million units and 3,557 million units as per methodology of the HERC. There is a significant difference of 455 million units in DHBVN's sales for 2021-22 which is unrealistic as sales cannot be more than energy fed, the regulator said.

#### Growth rate projections without any basis

The Commussion also disapproved the 2023-24 growth rate projections for the AP sector stating that that 5% and 3.3P% growth rate considered by the UHBVN and DHBVN, respectively, was without any basis. The Commission has analysed a two-to-five-year compound annual growth rate (CAGH) for 2016-17 to 2021-22 period considering actual sales of these years. The Commission observes that the five-year CAGR is negative for both UHBVN and DHBVN and, therefore, considered the CAGR at the rate of 1% for projecting AP sales for 2023-24 based up the AP sale projection evolved for 2022-23. Thus, the HERC approved the AP sales of 8,884 million units for the two. discouss, the under said



#### Haryana: Regulator seeks validation of farm sector power sales data

#### **Chandigarh News**

Published on Feb 18, 2023 12:56 AM IST

The DHBVN in a January 16 response said that while the normative loss considered was 16%, the actual line loss on agriculture feeders was between 8% to 9%. Power regulator cited discrepancies in the numbers of the highly subsidised electricity consumed by the farm sector in Haryana.



Citing discrepancies in the numbers of the highly subsidised electricity consumed by the farm sector in Haryana, the power regulator has asked one of the two stateowned power distribution companies (discom) to validate the sales and input energy statistics for the farm sector, also known as agricultural pump sector. (Priyanka Parashar/Mint)

By Hitender Rao, Chandigarh

Citing discrepancies in the numbers of the highly subsidised electricity consumed by the farm sector in Haryana, the power regulator has asked one of the two state-owned power distribution companies (discom) to validate the sales and input energy statistics for the farm sector, also known as agricultural pump (AP) sector. The discom has been asked to submit a report on the running of tubewells on non-AP feeders within a month.

The Haryana Electricity Regulatory Commission (HERC) in its February 15 order on retail power tariff for 2023-24 said that the actual AP consumption of 8,688 million units for 2021- 22 was lower than the AP consumption of 9,426.42 million units approved by the Commission in its March 30, 2021, tariff order. Accordingly, the total AP sales in respect of both the discoms is trued up as 8,688 million units for 2021-22. The regulator had also asked the Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam (DHBVN) to submit the reasons for aberrations in AP sales and fine tune the analysis.

The DHBVN in a January 16 response said that while the normative loss considered was 16%, the actual line loss on agriculture feeders was between 8% to 9%. It also said that quantum of AP billing for the consumers on feeder other than AP feeder was inadvertently shown two-three times less than actual billing quantum of such consumer. Due to the system constraint, the agriculture consumers are to be supplied power through other feeders under eventual circumstances, it said.

#### 'Authentication of losses can't be done as 98% meters defective'

The Commission noted that the DHBVN's response on the same aberration in AP sales for 2020-21 was based on the findings of M/s Pranat Engineering Pvt Ltd, Delhi, which was engaged for authentication of AP consumption of 11 selected AP feeders.

The firm submitted a report in which the transmission and distribution losses on selected AP feeders had been found to be 15.05% from Feb 2021 to May 2021. "Further, the third party submitted that exact authentication of transmission and distribution losses on selected feeders for 2017-18, 2018-19 and 2019-20 financial years cannot be done as about 98% meters were defective or burnt," the Commission said.

Citing the report, the regulator further said that for more than 50% connections billing was being done on flat rates, connections other than AP category were not included in billing of AP feeders and about 12 % consumers increased their load without intimation to the discom.

The Commission said that DHBVNs reply that the actual the line loss on agriculture feeders was between 8% to 9% is totally in contradiction with the earlier study conducted by discoms. "The DHBVN agriculture sales for 2021-22 as per audited account is 5,586 million units and 5,130 million units as per methodology of the HERC. However, in UHBVN's case, the agriculture sales for 2021-22 as per audited account is 3,528 million units and 3,557 million units as per methodology of the HERC. There is a significant difference of 455 million units in DHBVN's sales for 2021-22 which is unrealistic as sales cannot be more than energy fed, the regulator said.

#### Growth rate projections without any basis

The Commission also disapproved the 2023-24 growth rate projections for the AP sector stating that that 5% and 3.31% growth rate considered by the UHBVN and DHBVN, respectively, was without any basis. The Commission has analysed a two-to-five-year compound annual growth rate (CAGR) for 2016-17 to 2021-22 period considering actual sales of these years. The Commission observes that the five-year CAGR is negative for both UHBVN and DHBVN and, therefore, considered the CAGR at the rate of 1% for projecting AP sales for 2023-24 based up the AP sale projection evolved for 2022-23. Thus, the HERC approved the AP sales of 8,884 million units for the two discoms, the order said.



#### बिजली खरीद लागत बढ़ी, लेकिन हरियाणा विदयुत नियामक आयोग ने टैरिफ में बढ़ोतरी से इनकार किया

Gulabi Jagat17 Feb 2023 12:55 PM

हमें फॉलो करें ट्रिब्यून समाचार सेवा चंडीगढ़: बिजली खरीद लागत में वृद्धि के बावजूद, हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) ने वितरण घाटे में कमी जैसे दक्षता लाभ के साथ खर्च को पूरा करते हुए एक बार फिर खुदरा बिजली दरों को समान रखा है। वितरण हानियों पर लगाम लगाना लाइन लॉस को कम करने पर ध्यान दिया जा रहा है और यह घटकर 13.43 फीसदी पर आ गया है, जो पिछली सरकारों के दौरान 25 से 30 फीसदी हुआ करता था। आयोग ने निर्देश दिया कि "किसी भी समय दोषपूर्ण मीटरों का प्रतिशत 2 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं होता है" और स्मार्ट मीटरों की स्थापना में तेजी लाने का आहवान किया

खराब मीटरों को न बदलने और अस्थायी बिलिंग को लेकर वितरण कंपनियां सवालों के घेरे में आ गई हैं ऊर्जा प्रभार (श्रेणी-1) (प्रति माह 100 यूनिट तक की खपत के लिए) हालांकि, आयोग ने उच्च ट्रांसफार्मर विफलता दर पर डिस्कॉम की खिंचाई की है और कहा है कि इसे कम करने में विफलता पर जुर्माना लगेगा। खराब ऊर्जा मीटरों को न बदलने और अस्थायी बिलिंग को लेकर वितरण कंपनियां भी सवालों के घेरे में आ गई हैं। आयोग ने पाया कि 2021-22 के दौरान उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर की विफलता दर 5.63 प्रतिशत और 8.69 प्रतिशत और 5.03 प्रतिशत थी। क्रमशः 9.46 प्रतिशत, इस प्रकार निर्धारित अधिकतम सीमा को पार करना (शहरी में 3% से कम और ग्रामीण में 6% से नीचे)। 2022-23 की पहली छमाही के लिए, 2022 के अप्रैल से सितंबर तक, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में UHBVN के लिए ट्रांसफार्मर क्षति दर क्रमशः 3.38 प्रतिशत और 5.66 प्रतिशत थी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डीएचबीवीएन के लिए यह क्रमशः 3.36 प्रतिशत और 6.60 प्रतिशत था।

अध्यक्ष आरके पचनंदा और सदस्य नरेश सरदाना की आयोग की पीठ ने टिप्पणी की, "नुकसान की उच्च दर मुख्य रूप से खराब रखरखाव, उच्च आकार के फ़्यूज़ का उपयोग, और वितरण नेटवर्क पर ट्रांसफार्मर की उचित अर्थिंग आदि का संकेत नहीं देती है।" आयोग ने निर्देश दिया कि "किसी भी समय दोषपूर्ण मीटरों का प्रतिशत 2 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं होता है" और स्मार्ट मीटरों की स्थापना में तेजी लाने का आहवान किया। डिस्कॉम की प्रस्तुतियों के अनुसार, डीएचबीवीएन में अनंतिम बिलिंग पिछले दिसंबर में 6.37 प्रतिशत थी, जिसमें 2.62 प्रतिशत दोषपूर्ण मीटर शामिल थे और यूएचबीवीएन के लिए यह 3.76 प्रतिशत था, जिसमें 0.86 प्रतिशत दोषपूर्ण मीटर शामिल थे। आयोग ने देखा कि डिस्कॉम में अनंतिम बिलिंग अधिक थी क्योंकि विनियमों के अनुसार अनुमेय सीमा 0.1 प्रतिशत थी।

आयोग ने कहा, "दो से अधिक बिलिंग चक्रों के लिए औसत आधार पर कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर उपभोक्ता मुआवजे का दावा करने का हकदार होगा।" यूएचबीवीएनएल के मामले में वितरण घाटा 2015-16 में 31.49 प्रतिशत से घटकर 13.96 प्रतिशत हो गया और 2022-23 के लिए 14 प्रतिशत अनुमानित है। डीएचबीवीएनएल के मामले में, यह 2015-16 में 24.47 प्रतिशत था जो 2021-22 में घटकर 13.55 प्रतिशत हो गया और 2022-23 के लिए 14 प्रतिशत अनुमानित है। आयोग ने पाया कि वितरण लाइसेंसधारियों के वितीय बदलाव के लिए वितरण हानि में कमी एक प्रमुख कारक है।



## Fact Check: हरियाणा में महंगी हो गई बिजली? जानिए CM खट्टर ने क्या दिया जवाब

पीटीआई- भाषा**Updated at:** 17 Feb 2023 08:37 AM (IST)

Electricity Price Hike: इन दिनों काफी चर्चाएं थीं कि हिरायाणा सरकार बहुत जल्द बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर सकती है. ऐसे में सीएम खट्टर ने बयान जारी करते हुए बड़ी बात कही है.

Haryana News: हरियाणा में बिजली की दरों को लेकर लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी कि बिजली की दरों में बढ़ोतरी (Electricity Price Hike) होने वाली है. लोगों के बीच इस चर्चाओं से तेजी से भ्रम फैल रहा था. बिजली की दरों में इस बार कितने रुपये तक की बढ़ोतरी होगी? ऐसे कई सवाल लोगों के जहन में घूम रहे थे. लेकिन हरियाणा सरकार ने इन सब चर्चाओं पर अब फ्ल स्टॉप लगा दिया है.

सीएम मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि राज्य सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष (2023-24) के लिए बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, जबिक कृषि क्षेत्र के लिए बिजली सब्सिडी पहले की तरह जारी रहेगी. आपको बताते चलें कि हरियाणा सरकार बिजली के मुद्दे पर चौफरफा घिरी नजर आती है. क्योंकि हरियाणा के पड़ोसी राज्य पंजाब में सरकार द्वारा मुफ्त बिजली दी जा रही है. ऐसे में राज्य सरकार पर भी मुफ्त बिजली देने का दवाब बढ़ा है, जिसको देखते हुए सरकार मुफ्त बिजली ना सही, बिजली की दरों को ज्यों के त्यों रखा है.

#### कब-कब कितने रुपये बढ़े

हरियाणा में सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 76 लाख से अधिक है. सीएम के इस फैसले से लाखो लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022-2023 के दौरान पहली श्रेणी में शून्य से 50 यूनिट तक के लिए बिजली दर दो रुपये प्रति यूनिट रही, जबिक 51 से 100 यूनिट तक 2.50 रुपए वसूले गए. दूसरी श्रेणी में 0 से 150 यूनिट तक 2.75 रुपए, 150 से 250 यूनिट पर 5.25 रुपए, 251 से 500 यूनिट पर 6.30 रुपए और 501 से 800 यूनिट पर 7.10 रुपए शुल्क लिया गया.

#### लाइन लॉस में ह्आ कम

बताया जा रहा है कि अच्छे प्रबंधन की वजह से बिजली के लाइन लॉस को कम करने में बड़ी सफलता मिली है. जो लाइन लॉस पहले 25 से 30 प्रतिशत तक रहता था वो अब 13.43 प्रतिशत रह गया है. सरकार ने नियमित बिजली आपूर्ति के लिए पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए हैं. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी बिजली की दरों को लेकर बयान आया है उन्होंने कहा कि अनेकों बार बिजली की उपलब्धता नहीं होने की बाद भी प्रदेश सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को पूरी बिजली उपलब्ध करवाई गई, सरकार ने बेहतरीन बिजली प्रबंधन का उदारहण दिया है.



Haryana Electricity Rates: हरियाणा में बिजली की नई दरें लागू, जानिए आप पर कितना पड़ेगा असर support@india.com (India.com News Desk) द्वारा स्टोरी • शुक्रवार

Haryana New Electricity Rates: हरियाणा में उपभोक्ताओं राहत देते हुए 2023-24 के लिए बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबिक कृषि क्षेत्र के लिए बिजली सब्सिडी पहले की तरह जारी रहेगी. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है, "हरियाणा विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2023-24 के लिए बिजली दरों के आदेश जारी कर दिए हैं." सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 76 लाख से अधिक है.

उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-2023 के दौरान पहली श्रेणी में शून्य से 50 यूनिट तक के लिए बिजली दर दो रुपये प्रति यूनिट रही; जबिक 51 से 100 यूनिट तक 2.50 रुपये वसूले गए. दूसरी श्रेणी में 0 से 150 यूनिट तक 2.75 रुपये, 150 से 250 यूनिट पर 5.25 रुपये, 251 से 500 यूनिट पर 6.30 रुपये और 501 से 800 यूनिट पर 7.10 रुपये शुल्क लिया गया.

आगामी वित्त वर्ष में यह होगी स्थिति

वास्तविक

उपलब्धता

(मैगावॉट)

8178

8347

9157

9311

9364

8583

7390

7371

7371

7643

7643

7716

मैंटीनैंस पर रोक

अप्रैल और मई में प्लांड

अंतर

-1713

-2194

-4203

-4120

-3378

-4282

-2340

-487

-961

-607

-1165

-712

अनुमानित

पीक डिमांड

(मैगावॉट)

9891

10541

13360

13431

12742

12865

9730

7858

8332

8250

8808

8428

मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर

मेंटीनैस पर रोक लगाने के निर्देश विए हैं। दरअसल ग्रिड

कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने अप्रैल और मई के दौरान पूरे

देश में बिजली की दिमांड 230 गीगावॉट तक जाने का

अनुमान लगाया है। इसके बाद मंत्रालय की ओर से ये

निर्देश जारी किए गए, ताकि उपभोक्ताओं को किसी भी

प्रकार की परेशानी न हो। हालांकि एच.पी.पी.सी. इससे

बचने के लिए शॉर्ट टर्म के आधार पर बिजली खरीबने

तरकीब अधिक कारगर साबित नहीं हो पाई थी। पाइवेट

कंपनियों द्वारा पिछले साल जब बिजली की सप्लार्ड करने

से इनकार कर दिया गया था तो शॉर्ट टर्म के आधार पर

जगह हाथ-पांच मारने के बावजूद पिछले वर्ष बिजली की

कई अन्य कंपनियों से बिजली खरीदी गई थी। सभी

कित्लत उपभोक्ताओं को झेलनी पड़ी थी। यही नहीं,

के हिसाब से बिजली खरीबी गई थी।

जल्बबाजी में जब बिजली खरीबी गई तो उसकी दरें भी

काफी अधिक थीं। पीक आवर में तो 12 रुपए प्रति युनिट

की प्लानिंग तो कर रहा है लेकिन पिछले साल यह

1 अप्रैल से 15 मई तक किसी भी प्रकार की प्लॉड

अप्रैल (23)

मई (23)

जून (23)

**जुलाई** (23)

अगस्त (23)

सितम्बर (23)

अक्तूबर (२३)

नवम्बर (२३)

दिसम्बर (23)

जनवरी (24)

फरवरी (24)

मार्च (24)

### पंजाब केसरी

## इस साल 4200 मैगावॉट तक पहुंचेगी बिजली की शॉर्टेज

जून और ज़ुलाई में डिमांड 13000 मैगावॉट से अधिक जाएगी, शॉर्ट टर्म पर बिजली खरीदने की चल रही तैयारी चंडीगढ, 26 फरवरी (विजय गौड) : हरियाण

#### 929 मैगावॉट के लिए मिली अप्रवल

एच.पी.पी.सी. अब शॉर्ट और मिड टर्म के आधार पर बिजली का जुगाड़ करने में जुटा हुआ है, जिसके लिए हरियाणा इलैक्टिसिटी रेग्लेटरी कमीशन (एच.ई.आर.सी.) से कई प्रोजैक्ट्स के लिए अप्रवल मांगी जा रही है।

इनमें से एक है नैशनल थर्मल पॉवर कॉर्पेरिशन (एन. टी.पी.सी.) के दादरी थर्मल पॉवर प्लांट स्टेज-1 से बिजली खरीदने का प्रोपोजल । एच.पी.पी.सी. ने इस प्लांट से 179 मैगावॉट बिजली खरीदने का प्रोपोजल कमीशन के पास सब्मिट कराया था. जिसे कमीशन की ओर से अप्रवल मिल चुकी है।

यह बिजली इस साल एक अप्रैल से 30 सितम्बर तक ली जानी है, जबकि दसरी ओर एक मार्च से लेकर 15 अक्तबर तक विभिन्न कंपनियों से 750 मैगावॉट बिजली की खरीद को लेकर भी कमीशन की ओर से मंजूरी दे दी गई है।

#### स्कीम के तहत इंडस्ट्रीज को रात दी जाएगी राहत

बिजली की पीक डिमांड के दौरान शॉर्टेज से निपटने के लिए इंडस्टीज को टाइम ऑफ डे स्कीम के तहत राहत दी जाएगी। इस स्कीम के तहत अगर इंडस्ट्रीज में रात के समय अधिक बिजली का इस्तेमाल किया जाता है तो उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा।

इसके साथ ही शिफ्ट में चल रही इंडस्ट्रीज को दिन की बजाय रात की शिफ्ट में अधिक बिजली इस्तेमाल करने पर भी यह सविधा मिलेगी । कोविड महामारी की वजह से विनीय नक्सान से उबरने में इंडस्टीज के लिए यह स्कीम कारगार साबित हो सकती है।

#### इस तरह बढी डिमांड अधिकतम डिमांड वित्त वर्ष ( मैगावॉट में ) 2020-21 10894 2021-22 12120 2022-23 12768 13000 से अधिक 2023-24

#### प्लांटस के कारण हालात खराब

#### यमुनानगर के पावर प्लांट से दूर हो सकती है किल्लत

वर्तमान समय में तो प्रदेश सरकार को उपभोक्ताओं की जरूरत को पुरा करने के लिए अलग-अलग राज्यों से बिजली लेनी पड़ रही है लेकिन भविष्य में यमुनानगर के पावर प्लांट से कुछ हद तक डिमांड को कवर किया जा सकेगा। यमुनानगर में जल्द ही 800 मैगावॉट थर्मल पावर प्लांट के निर्माण का काम शुरू किया जाएगा, जिससे हरियाणा में पावर जनरेशन की कैपेसिटी 3382 मैगावॉट हो जाएगी। इसके लिए पिछले महीने हरियाणा पॉवर जनरेशन कॉर्पोरेशन (एच.पी.जी.सी.एल.) की ओर से टैंडर जारी कर दिया गया। जानकारी के अनुसार इस प्रोजैक्ट पर लगभग 5000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सुत्रों के अनुसार टैंडर अलॉट होने के चार वर्ष के भीतर यह प्रोजैक्ट कंप्लीट हो जाएगा. जिसके बाद इस प्रोजैक्ट से बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी।

मौजुदा परिस्थितियों में एच.पी.पी.सी. अपने उपभोक्ताओं की बिजली की डिमांड को पूरा करने में असमर्थ है। इसकी मुख्य वजह है अडानी पावर लिमिटेड, सी.जी.पी.एल. मुंद्रा और फरीदाबाद गैस पॉवर प्लांट से बिजली न मिलना। एच.पी.पी.सी. ने इन पावर जनरेटर्स के साथ लॉना टर्म एग्रीमैंट किया था लेकिन पिछले साल की तरह इस साल भी इन स्त्रोतों से हरियाणा को बिजली नहीं मिलेगी। वहीं, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने पिछले वर्ष की तुलना में इस साल बिजली की डिमांड अधिक होने का अनुमान जताया है।

#### सर्दियों में भी रहेगी कमी

में इस साल फिर से बिजली की भारी किल्लत होने

वाली है। समय रहते अगर प्रदेश सरकार की ओर से

बिजली की खरीद को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई

गई तो हालात पिछले साल से भी अधिक खराब हो

सकते हैं। हालांकि हरियाणा पॉवर परचेज सैंटर

(एच.पी.पी.सी.) की ओर से मिड और शॉर्ट टर्म के

बिजली की खरीद तो की जा रही है लेकिन इससे

भी पीक डिमांड और उपलब्ध बिजली के अंतर को

कम करना मश्किल लग रहा है। एच.पी.पी.सी. की

ओर से जो अनुमान लगाया गया है उसके अनुसार

वित्त वर्ष 2023-24 में बिजली की पीक डिमांड और

उपलब्धता में 4200 मैगावॉट तक का अंतर आएगा।

इस साल जून और सितंबर में बिजली की सबसे

मैगावाँट तक पहुंचने की उम्मीद है, जबकि उस समय

सभी स्त्रोतों से 9157 मैगावॉट बिजली ही प्रदेश के

पास मौजुद होगी। इस तरह 4203 मैगावॉट बिजली

की शॉर्टिज जून माह में हो सकती है। इसी तरह सितम्बर

में पीक डिमांड 12865 मैगावॉट तक जाएगी, जबकि

उपलब्ध बिजली 8583 मैगावॉट ही होगी। उस समय

अंतर 4282 मैगावॉट का होगा।

जन के महीने में अनुमानित पीक डिमांड 13360

अधिक किल्लत का सामना करना पडेगा।

PUNJAB KESARI

आधार पर

अलग-

अलग

स्बोतों से

आगामी वित्त वर्ष में बिजली की कमी केवल गर्मियों में नहीं, बल्कि सर्दियों में भी रहेगी। अभी से ही अगर बिजली का प्रबंध नहीं किया गया तो इस साल हरियाणा के लगभग 76 लाख उपभोक्ताओं को सर्दियों में भी बिजली की कमी झेलनी पड़ेगी। सर्दियों के दौरान अगले वर्ष फरवरी के महीने में 1165 मैगावॉट बिजली की शॉर्टेज झेलनी पडेगी। हालांकि तापमान बढ़ने के साथ ही अभी से ही एयर कंडीशन का लोड भी बढ़ने लगा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्च से ही बिजली की डिमांड तेजी से बढेगी जो कि अक्तबर तक रहेगी।जिसकी मख्य वजह एयर कंडीशन और एग्रीकल्चर पंप का अधिक इस्तेमाल होगा।

## Discoms to recover security from April, farmers exempt

Don't Be Dictatorial, Say Residents; Move To Hit 69L Consumers

ACDICULTURE | 6 81

Manvir.Saini@timesgroup.com

Chandigarh: From April 1, Haryana's two power utilities will recover advance consumption deposit (ACD) from nearly 69 lakh electricity consumers.

Uttar Harvana Biili Vitran Nigam (UHBVN) and Daksin Harvana Biili Vitran Nigam (DHBVN) have more than 75 lakh electricity consumers, including almost 6.8 lakh in the agriculture category, who are exempted from paying these charges. ACD is twomonth average bill paid in the financial year. In April 2021, the recovery was deferred because consumers had gone through two years of Covid-19.

The recovery of ACD is said to be when the electricity tariff was frozen for the year 2023-24. The ACD is mandato-

#### HARYANA POWER CONSUMERS\*

IUIAL   / JL	AGRICULTURE   O.OL			
THOSE REQUIRED TO PAY ACD				
Category of consumers	UHBVN	DHBVN	Total	
Domestic supply	27.1L	32.4L	59.5L	
Non-domestic (commercial and institutional)	3.8L	4L	7.8L	
Industrial	55k	65k	1.2L	
Streetlight	2,500	2,075	4,575	
Public works	10k	13k	23k	
Bulk supply	308	845	1,153	
Railway traction	103	6	109	
Lifts	344	283	628	
Othors	11/-	114	26	

(\*As on Nov 2022)

ry and barring agriculture, all other categories (domestic, commercial, industrial, and institutional) must pay it. This is an advance security

that the discoms collect from the consumers. Those who have paid it must pay the differential amount based on average consumption in the current financial

Till 2003, ACD was called security deposit advance and it was added to the Haryana Electricity Act after unbundling the Haryana State Electricity Board. In 2016, HERC had made it mandatory and given a dressing down to the discoms for not realising it. The discoms started collecting it in 2019 but deferred realisation during Covid-19. P K Das, chairman of both discoms, claimed that: "Since Haryana Electricity Regulatory Commission (HERC) has recommended it, the realisation is imminent. Companies ask for security deposit routinely. It's as good as a bank de-

posit on which we will pay interests into the consumers' account at the start of every financial year. The collection will reflect in the next bill."

Commercial and industrial consumers have objected. Haryana Chamber of Commerce and Industries state president Rainish Garg said: "Entrepreneurs are duty-bound to follow the rules but the discoms should also reciprocate to our contribution. We have paid a month's advance and now they want a twomonth advance. As for interest, we make payment after borrowing from the banks, so we should get the benefit of market rates."

Panchkula Citizen Welfare Association president S K Nayyar said: "The discoms should not be dictatorial. They should give the record of deposits that the consumers had made ahead of 2003. They deferred it since 2016 and now they slap a consolidated amount on us. They are even not ready to have any agreement or written document of security deposit. How will the landlord be able to recover from tenants who have periodic stay?"

### हरियाणा के 69 लाख बिजली उपभोक्ताओं से कंपनियां लेगी ए.सी.डी, किसानों को रहेगी छूट

हरियाणा, 7 मार्च (स्पैशल डॅस्क): 1 अप्रैल से हरियाणा की दोनों बिजली कंपनी अपने 69 लाख कंज्यमर से अग्रिम खपत जमा (एसीडी) लेगी। उत्तर हरियाणा बिज ली वितरण निग म (यएचबीवीएन) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के पास 75 लाख से ज्यादा बिजली कंज्यमर हैं। इनमें करीब 6.8 लाख कृषि श्रेणी के भी शामिल हैं जिन्हें ये शुल्क देने में छूट दी गई है। एसीडी वित्तीय वर्ष में भुगतान किए गए दो महीने के औसत बिल को कहते हैं।

सरकार ने अप्रैल 2021 में, एसीडी की वसली को टाल दिया था क्योंकि कोविड-19 महामारी के चलते उपभोक्ताएं के दो साल बहुत कठिनाई से गुजर रहे थे। एसीडी की रकम इसलिए ली जा रही है। क्योंकि वर्ष 2023-24 के लिए बिजली दरों की बढाया नहीं गया।

#### एसीडी देना है अनिवार्य

कृषि को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों (घरल, वाणिज्यिक, उदयोगों और संस्थानों) को एसीडी देना अनिवार्य है। यह एक अग्रिम सुरक्षा राशि है जिसे बिजली वितरण कंपनियां

प्रदेश में 75 लाख हैं बिजली कंज्युमर, इनमें 6.8 लाख हैं कृषि श्रेणी के

#### ਧਫੇश में इन्हें ਫੇਗ होगा एसीडी

प्रदेश में कुल बिजली उपमोकत् 75 लाख हैं। इनमें अकेले कृषि के 6.8 लाख हैं।

उपभोक्ताओं की श्रेणी डोमेस्टिक सप्टाई	<mark>यूएवबीवीएन</mark> 27.1 लाख	डीएचबीवीएन 32.4 लाख	<mark>कुल</mark> 59.5 लाख
नॉन- डोमेरिटक	3.৪ শোভা	4 লাজ	7.8 লাম্ব
इंडस्ट्रियल	५५ हजार	65 हजार	12 লাম্ব
स्ट्रीट लाइट	2500	2075	4575
पब्लिक वर्क्स	१० हजार	१३ हजार	23 हजार
बल्क सप्लाई	308	845	1153
रेलवे ट्रक्शन	103	6	109
लिपट्स	344	283	628
अदर्श	1 हजार	1 ਵਗਦ	2 हजार



कंज्यमर से इकट्टा करती हैं। जिन कंज्यूमर ने इस राशि का भूगतान किया है, उन्हें चाल वित्त वर्ष में औसत खपत के आधार पर अंतर

राशि का भूगतान करना होगा।

#### डिस्कॉम को लगाई फटकार

वर्ष 2003 तक एसीडी को सुरक्षा

जमा अग्रिम (सिक्योरिटी डिपोजिट एडवांस) कहा जाता था। हरियाणा स्टेट बिजली बोर्ड को अलग करने के बाद इसे हरियाणा विजली अधिनियम में जोड़ा गया।

वर्ष 2016 में. हरियाणा विजली नियामक आयोग (एचईआरसी) ने इसे अनिवार्य कर दिया था और डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनियां) को इसका अहसास नहीं होने पर फटकार भी लगाई थी। डिस्कॉम्स ने 2019 में इसे इकट्टा करना शुरू कर दिया लेकिन कोविड-19 के दौरान वसली को टाल दिया गया।

दोनों विजली कंपनियों के अध्यक्ष पीके दास ने बताया कि चुंकि एचईआरसी ने एसीडी की सिफारिश की थी। कंपनियां नियमित रूप से सिक्योरिटी डिपोजिट मांगती हैं।

जिस तरह हम बैंक में जमा करते हैं, ये भी उतना ही बेहतर है, जिसपर हम कंज्यमर अकाउंट में ब्याज जमा करते हैं। हम ब्याज की रकम प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में उपभोक्ताओं के खाते में डालते हैं। ये जमा रकम अगले बिल में दिखाई देगी।

#### औद्योगिक उपभोक्ताओं ने जताई आपत्ति

इस पर वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं ने आपत्ति जताई है। हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्टीज के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश गर्ग ने बताया कि उद्यमी नियमों का पालन करने के लिए बाध्य हैं, लेकिन डिस्कॉम को भी हमारे योगदान का प्रतिफल देना चाहिए।

हमने एक महीने का एडवांस दिया है और अब वे दो महीने का एडवांस चाहते हैं। जहां तक ब्याज की बात है तो हम बँकों से कर्ज लेकर भुगतान करते हैं, इसलिए हमें बाजार दरों का लाभ मिलना चाहिए।

पंचकला सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष एस के नैय्यर ने बताया कि डिस्कॉम को तानाशाही नहीं करनी चाहिए। उन्हें उन जमाओं का रिकॉर्ड देना चाहिए जो उपभोक्ताओं ने 2003 से पहले किए धे। उन्होंने इसे 2016 से टाल दिया और अब वे हम पर एक साथ सारी रकम थोप रहे हैं। यहां तक कि वे कोई समझौता या जमानत राशि का लिखित दस्तावेज रखने को भी तैयार नहीं हैं। मकान मालिक किराएदारों से कैसे ये राशि ले पाएगा।

### पंजाबकेसरी MONDAY • 20.3.2023

### हरियाणा में डिमांड पूरी करने के लिए 1329 मैगावॉट बिजली की होगी खरीद

चंडीगढ़, 19 मार्च (विजय गाँड): तापमान बढ़ने के साथ ही हरियाणा में बिजली की डिमांड को पूरा करना एक बार फिर बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 2031-32 तक हरियाणा में 2501 मैगाबॉट से

लेकर 8459 मैगावॉट विजली की कमी होगी। यही कारण है कि हरियाणा इलैक्ट्रिसिटी रें गुले ट्री क मीशान (एच.ई.आर.सी.) बिजली खरीदने की उन सभी याचिकाओं को बिना देरी किए ही अप्रूवल दे रहा है जिनसे प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं

को आने वाले दिनों में बिजली की किल्लत न झेलनी पड़े। कमीशन ने पिछले कुछ दिनों के दौरान हरियाणा पावर परचेज कमेटी (एच.पी.पी.सी.) की अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 1329 मैगावॉट बिजली खरीदने की मंजूरी दी है।

#### एच.ई.आर.सी. ने हिस्याणा पावर परचेज कमेटी की याचिकाओं को दी अप्रवल

दरअसल, पिछले साल गर्मियों के सीजन में बिजली की काफी कमी हुई थी, इस साल

> फिर से वही स्थिति न बने इसके लिए जहां से भी बिजली मिल रही है एच.पी.पी.सी. की ओर से उसे खरीदा जा रहा है। शॉर्ट और मिड के साथ-साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमैंट भी किए जा रहे हैं।

कमीशन ने एच.पी.पी.सी. को 400 मैगावॉट हाईड्रो पावर खरीदने के लिए भी मंज्री दे

दी है। यह बिजली हरियाणा को अगले 35 वर्षों तक मिलती रहेगी। इससे पहले दादरी धर्मल पावर प्लांट से 179 मैगावॉट और विभिन्न कंपनियों से 750 मैगावॉट बिजली खरीदने के लिए एच.पी.पी.सी. को पहले ही मंजुरी मिल चुकी है।

#### 2836 मैगावॉट बिजली न मिलने से बढ़ी परेशानी

मीजूदा समय में हरियाणा को कई स्त्रोतों से बिजली न मिल पाने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा को अडानी पावर से 1424 मैगावॉट, सी.जी.पी.एल. मुद्रां से 380 मैगावॉट, एफ.जी.पी.पी. से 432 मैगावॉट और आर.जी.टी.पी.पी.-2 से 600 मैगावॉट बिजली मिलती थी। लेकिन पिछले वर्ष से इन सभी जगहों से बिजली नहीं मिल रही है जिसकी वजह से प्रदेश में बिजली की भारी किल्लत हो रही है।

#### पीक डिमांड के लिए हाईड्रो प्रोजैक्ट बैस्ट ऑप्शन

हरियाणा के लिए हाईड्रो प्रोजैक्ट से बिजली लेना फायदेमंद सौदा साबित होगा। खासकर जब बिजली की डिमांड प्रदेश में सबसे अधिक होती है तो हाईड्रो प्रोजैक्ट्स से आसानी से बिजली मिल सकती है। जून, जुलाई और सितम्बर में हाइड्रो प्रोजैक्ट्स से सबसे अधिक बिजली जनरेट होती है वहीं, हरियाणा में भी इन महीनों के दौरान धान की फसल होती है जिसकी वजह से बिजली की डिमांड काफी बढ़ जाती है।



 होम / राज्य / पंजाब / Haryana Electricity: हिरयाणा में गर्मी को लेकर सतर्क हुई सरकार, बिजली को लेकर जारी हुए जरूरी निर्देश

Haryana Electricity: हरियाणा में गर्मी को लेकर सतर्क हुई सरकार, बिजली को लेकर जारी हुए जरूरी निर्देश

Haryana Government: पिछले गर्मी के समय पैदा हुए बिजली संकट और कोयले की कमी को लेकर इस बार पहले ही तैयारियां की जा रही है. जिसके तहत एचईआरसी द्वारा डिस्कॉम को बिजली खरीदने की मंजूरी दे दी गई है.

By: ABP Live | Updated at : 17 Mar 2023 01:01 PM (IST)



हरियाणा में गर्मी को लेकर सरकार पहले ही हुई सतर्क (file photo credit abp live)

Share:

Haryana News: इस बार गर्मी कुछ ज्यादा सताने वाली है. जिसको लेकर बिजली का संकट भी पैदा हो सकता है, इसी को देखते ही डिस्कॉम और हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन अभी से

तैयारियों में जुट गया है. एचईआरसी द्वारा डिस्कॉम को बिजली खरीदने की मंजूरी दे दी गई है. बताया जा रहा है कि पीक सीजन में 590.51 करोड़ यूनिट बिजली 6.27 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से खरीदी जाएगी. इस बार पिछले साल के मुकाबले बिजली की डिमांड 13 हजार मेगावाट से अधिक होने का अनुमान है.

#### 1 अप्रैल से बिजली खरीद को मंजूरी

हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने डिस्कॉम को 1 अप्रैल से बिजली खरीद को मंजूरी दी है. दादरी थर्मल पावर प्लांट स्टेज-1 से 179 मेगावाट और मार्च से 15 अक्टूबर तक 750 मेगावाट बिजली खरीद को मंजरी दी गई है. पिछले साल बिजली खरीद की तैयारी ना होने की वजह से ही अप्रैल में डिस्कॉम को 11.50 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से 626.61 करोड़ रुपए की बिजली खरीदनी पड़ी थी. एचईआरसी ने बिजली के सीजन में डिमांड बढ़ने की दो बड़ी वजहें बताई एक तो एसी का चलना क्योंकि एसी के लिए बिजली की ज्यादा जरूरत पड़ती है. इसके अलावा सिंचाई के लिए ट्यूबवेल भी ज्यादा चलते है. जिससे बिजली पर लोड बढ़ता है.

#### पावर प्लांटों को भी दिए गए निर्देश

पिछले साल गर्मियों में प्रदेश के पावर प्लांटों में कोयले की कमी आ गई थी. एचपीजीसीएल के पास तो मात्र 2 से 3 दिन के कोयले का स्टॉक रह गया था. जिसको देखते हुए इस बार हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने डिस्कॉम को पहले ही आदेश दे दिया है कि पावर प्लांटों को इस बार कम से कम 30 दिनों के कोयले का स्टॉक लेकर चलना है.

#### हरियाणा के पास 13,522 मेगावाट बिजली की क्षमता

आपको बता दें कि हरियाणा के पास 13,522 मेगावाट बिजली की क्षमता है. हरियाणा खुद सिर्फ 2582.4 मेगावाट ही बिजली का उत्पादन करता है. बाकि कि बिजली खरीदी जाती है. इसमें से भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड से 846.14 मेगावाट बिजली तो केंद्रीय प्लांटों से 2921.09 और 7173.22 मेगावाट बिजली प्राइवेट कंपनियों से खरीदी जाती है.

### Haryana E Khabar

Haryana Latest News in Hindi (March 2023)

#### **CHANDIGARH NEWS**

### हरियाणा में गर्मी को लेकर पहले ही अलर्ट हुई सरकार, इतने मेगावाट बिजली खरीद को मंजूरी

17 March 2023 Ajay Sehrawat

चंडीगढ़ | पिछले साल गर्मी के सीजन में बिजली आपूर्ति को लेकर घिरी हरियाणा सरकार ने इस बार पहले ही तैयारियां शुरू कर दी है. इस बार पिछले साल से भी ज्यादा गर्मी पड़ने की आंशका जताई जा रही है, जिससे बिजली संकट भी गहरा सकता है. इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (HERC) और डिस्कॉम ने अभी से प्लानिंग शुरू कर दी है.



इस प्लानिंग के तहत, HERC द्वारा डिस्कॉम को बिजली खरीदने की मंजूरी दे दी गई है. मिली जानकारी के अनुसार,पीक सीजन में 590.51 करोड़ यूनिट बिजली 6.27 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से खरीदी जाएगी. वहीं, इस बार पिछले साल के मुकाबले बिजली की मांग 13 हजार

मेगावाट से अधिक रहने का अन्मान जताया गया है.

#### 1 अप्रैल से बिजली खरीद को मंजूरी

HERC ने डिस्कॉम को एक अप्रैल से बिजली खरीद की मंजूरी प्रदान की है. दादरी थर्मल पावर प्लांट स्टेज-1 से 179 मेगावाट और मार्च से 15 अक्टूबर तक 750 मेगावाट बिजली खरीद को मंजूरी दी गई है. बता दें कि पिछले साल बिजली खरीद की तैयारी न होने की वजह से डिस्कॉम को 626.21 करोड़ रुपए की बिजली 11.50 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से खरीदने पर मजबूर होना पड़ा था. HERC के एक अधिकारी ने गर्मी सीजन में बिजली मांग बढ़ने की वजह बताते हुए कहा कि एसी और सिंचाई के लिए ट्यूबवेल चलने से बिजली की मांग बढ़ जाती है.

#### पॉवर प्लांटों को निर्देश

पिछले साल के गर्मी सीजन में कई पॉवर प्लांटों के यहां कोयला खत्म होने की नौबत आ गई थी और HPGCL के पास तो एक समय दो दिन का ही कोयला शेष रह गया था लेकिन इस बार HERC ने डिस्कॉम को पहले ही निर्देश दिए हैं कि पॉवर प्लांटों को कम से कम 30 दिनों का कोयला स्टॉक अपने पास रखना होगा.

#### हरियाणा के पास बिजली क्षमता

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा के पास 13,522 मेगावाट बिजली की क्षमता है जबिक हरियाणा खुद 2582.4 मेगावाट बिजली का ही उत्पादन करता है और बाकी बिजली खरीदी जाती है. इसमें से भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड से 846.14 मेगावाट बिजली जबिक प्राइवेट कंपनियों से 7173.22 मेगावाट और 2921.09 मेगावाट बिजली केन्द्रीय प्लांटों से खरीदी जाती है.

### रमार्ट मीटर लगाने में कंपनी की परफॉर्मैंस ठीक नहीं तो निगम मिनिस्ट्री के सामने उठाए मामले

चंडीगढ, 26 मार्च (गौड़): हरियाणा इलैक्ट्रिसटी रैगुलेट्री कमीशन (एच.ई.आर.सी.) ने निगमों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (ई.ई.एस.एल.) की परफॉर्मैंस अगर सही नहीं रहती है तो इस मामले को मिनिस्ट्री ऑफ पावर (एम.ओ.पी.) के पास उठाया जाना चाहिए।इसका कारण बताया गया है कि दोनों पक्षों के बीच एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर एम.ओ.पी. के हस्तक्षेप से हुए थे। कमीशन ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पाया कि डिस्कॉम और ई.ई.एस.एल. ने मुद्दों को सुलझाने का आश्वासन दिया है।

एच.ई.आर.सी. ने इस तरह हरियाणा में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जाने के मामले का भी निष्पादन कर दिया। हालांकि कमीशन ने दोनों पार्टियों को शर्तों का पालन करने के निर्देश भी दिए हैं।

वहीं, इस मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यू.एच.बी.वी.एन.) की ओर से बताया गया कि ई.ई.एस.एल. ने अभी तक मीटर को इंस्टॉल करने का काम फिर से शुरू नहीं किया है, जिसके कारण निगम की केबल खींचने वाली टीमें बेकार बैठी हैं और साथ ही फील्ड अधिकारी डिफॉल्ट करने वाले उपभोक्ताओं के कनैक्शन डिस्कनैक्ट करने में असमर्थ हैं।